विकेन्द्रित नियोजन

वार्षिक - योजना

(प्रस्ताव)

वर्ष १९८७-८८

54231
309.26
UTT-V

जिला सेक्टर योजना

जनपद-झाँसी

(सहकारी प्रेस, झाँसी-६-८६-/१--१५० कवर)

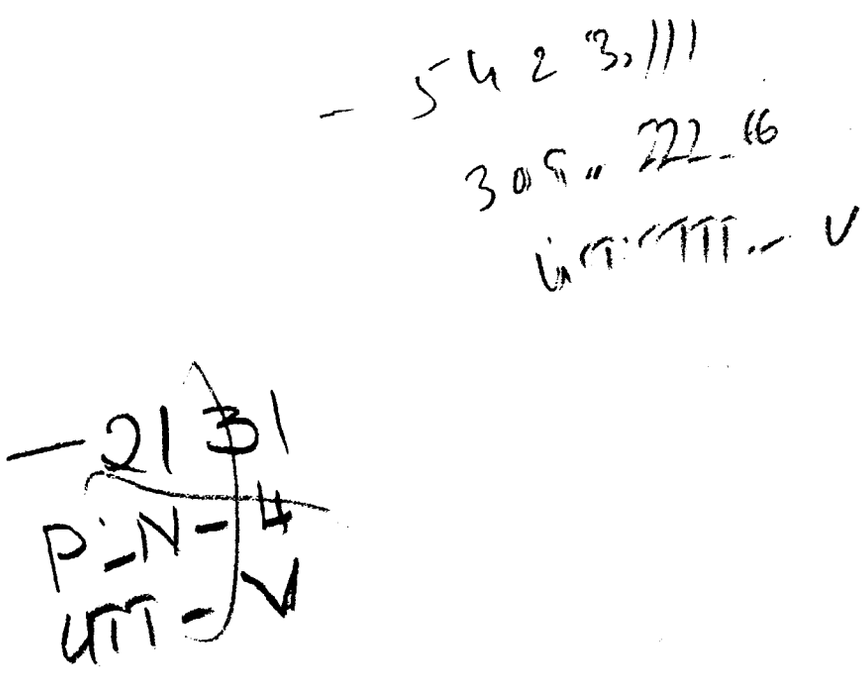

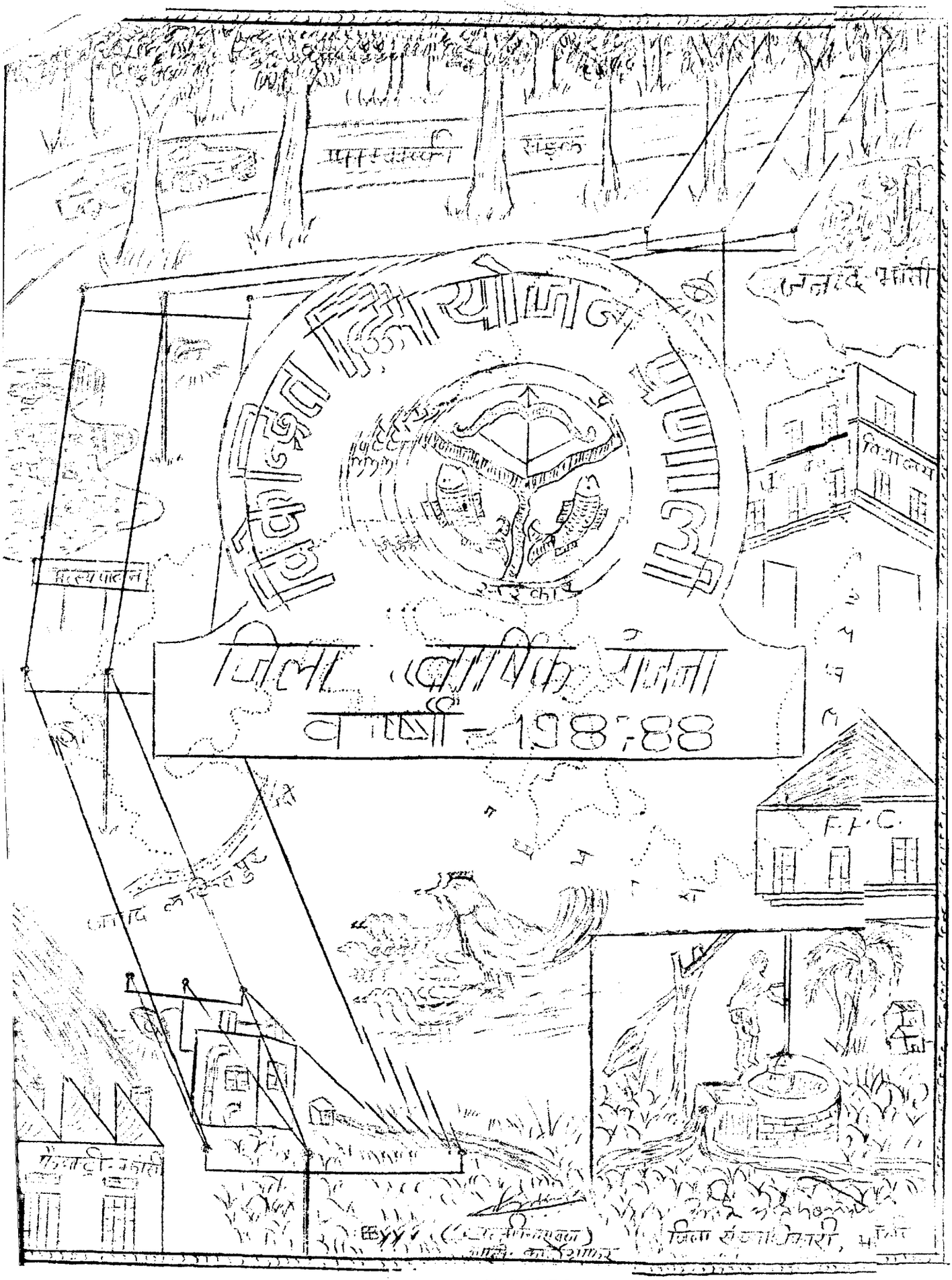

NIEPA DC
DI03814

जिला योजना 87-88
जनपद - झांसी ।

अनुक्रमणिका

	पृष्ठ
अध्याय-1	1 - 8
अध्याय-2	9 - 13
अध्याय-3	13-- 16
अध्याय-4	17 - 21
अध्याय-5	22 - 24
अध्याय-6	25 - 27
अध्याय-7	28 - 63
अध्याय-8	64 - 66
अध्याय-9	67 - 71
अध्याय-10	72 - 75
अध्याय-11	76
अध्याय-12	77 - 78
अध्याय-13	79 - 83
अध्याय -14	84
जी0एन0-1	1 से 4 तक
जी0एन0-2	5 से 47 तक
जी0एन0-3	48 से 91 तक

54231
309.26
UTT-V

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B, Sri Aurobindo Marg, New Delhi-110016
DOC. No. 381H
Date 16.6.82

:: प्रस्तावना ::

प्रदेश में विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली वर्ष 1982-83 से चल रही है । प्रदेशीय आयोजनागत बजट के 30 प्रतिशत भाग में जनपद झांसी को वर्ष 1982-83 में 294-8, वर्ष 1983-84 में 309-54, 1984-85 में 331-21, 1985-86 में 363-36 लाख रुपयों की जिला स्तरीय योजना बनाई गई तथा क्रियान्वित की गई । चालू वर्ष 1986-87 के लिये 428-99 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया तथा इस स्वीकृत योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है । वर्ष 1987-88 हेतु शासन द्वारा 490-14 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है, जिसके लिये योजना बनाकर प्रस्तुत है । जनपद विकास की आवश्यकता को देखते हुए यह परिव्यय बहुत कम है, जिसके कारण नई योजनाओं की आवश्यकता होते हुए भी बहुत कम धन उपलब्ध हो सका तथा उन्हें प्राथमिकता के आधार पर चुना गया ।

2- जिला सेक्टर योजना हेतु प्रसारित निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए जनपद झांसी की वर्ष 1987-88 की जिला योजना 4,90-14 लाख रुपये की निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित की गई ।

(1) राज्य योजना आयोग एवं विभिन्न विभागों से प्राप्त निर्देश एवं मार्गदर्शन ।

(2) जनपद के जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों से प्राप्त मांग पत्र ।

(3) जनपद में व्याप्त क्षेत्रीय विषमतायें ।

(4) जनपद स्थित विकास विभागों के विगत वर्षों के क्रियाकलाप ।

3- शासन की नीति के अनुसार मैं यह भी प्रमाणित कर रही हूं कि:

(1) जिला स्तरीय तकनीकी समितियों का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है ।

(2) अधूरे कार्यों को पूरा करने हेतु आवश्यक प्राविधान कर लिया गया है ।

2----

(3) जनपद में चल रही केन्द्र पुरोनिधानित/बाहरी संस्थाओं द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रमों के लिये राज्यांश के रूप में प्राविधान कर लिया गया है ।

(4) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की मदों हेतु यथेष्ठ प्राविधान सुनिश्चित कर लिया गया है ।

(5) शासन को प्रस्तुत की जा रही जिला योजना में स्थल चयन का उल्लेख, नई योजनाओं का विस्तृत विवरण एवं औचित्य, निर्माण एजेंसी का नाम प्रस्तावित कर दिया गया है ।

4— इस योजना की संरचना में श्री रुद्र शेखर मिश्र, अपर जिलाधिकारी (विकास), श्री सतीश चन्द्र सक्सेना, जिला संख्याधिकारी, श्री राम प्रसाद गुप्त, सहायक अर्थ एवं संख्याधिकारीका प्रयास सराहनीय है, जिन्होंने विशेष लगन एवं परिश्रम से इसे तैयार करने में सहयोग दिया है ।

5— योजना के टंकण एवं छपाई में विकास कार्यालय के लिपिक श्री वी० आर० करकरे एवं राजेन्द्र कुमार पटैरिया तथा संख्याधिकारी कार्यालय के लिपिक श्री रमेश चन्द्र टेलर व श्री मुन्नालाल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का योगदान भी प्रशंसनीय है ।

(मंजुलिका गौतम)
आई० ए०एस०
जिलाधिकारी,
झांसी ।

अध्याय-1

1. भूमिका

1.0 :- जनपद झांसी उत्तर प्रदेश के दक्षिण-पश्चिम कोने में 25.3 और 24.57 उत्तरी अक्षांश एवं 78.40 और 79.25 देशांतर के मध्य स्थित है। इसके उत्तर में जनपद जालौन, पूर्व में हमीरपुर, दक्षिण में ललितपुर तथा सम्पूर्ण पश्चिमी भाग और दक्षिण का कुछ भाग मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से जनपद 4 तहसीलों में विभाजित है। जनपद में कुल 758 आबाद ग्रामों को 602 गांव सभाओं के अधीन रखा गया है।

1.1 :- सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के प्रसार एवं संचालन हेतु जनपद में 8 विकास खण्ड प्रत्येक विकास खण्ड में 10 ग्राम विकास अधिकारी कार्यरत हैं। प्रत्येक तहसील में 2 विकास खण्ड हैं। विकास खण्डवार ग्रामों का विवरण निम्न है।

क्रमसं0	विकास खण्ड का नाम	तहसील का नाम	कुल आबाद ग्रामों की संख्या	कुल गांव सभायें
1.	बड़ागांव	झांसी	82	67
2.	बबीना	,,	73	64
3.	बामौर	गरौठा	100	82
4.	गुरसरांय	,,	107	83
5.	मऊरानीपुर	मऊरानीपुर	83	71
6.	बंगरा	,,	82	68
7.	मोंठ	मोंठ	124	86
8.	चिरगांव	,,	107	81
	योग		758	602

1.2 :- प्राकृतिक संरचना के अनुसार जनपद दो सम्भागों में विभाजित हो सकता है। प्रथम उत्तरी सम्भाग, जिसमें अधिकांश मैदानी क्षेत्र है, मार, काबर, एवं पडुवा की मिट्टी पायी जाती है। मार काली मिट्टी है, जिसकी सतह चिकनी और एवं चूने से मिश्रित है। कृषि के दृष्टिकोण से उपजाऊ माना जाता है और गेहूं, चना, मटर, ज्वार मुख्य फसलें होती है। इसके अन्तर्गत चिरगांव, मोंठ, बामौर, गुरसरांय एवं मऊरानीपुर 5 विकास खण्ड हैं। द्वितीय सम्भाग में विकास खण्ड बंगरा, बड़ागांव एवं बबीना है। विन्ध्याचल पहाड़ के श्रृंखला के कारण भूमि पठारी है। यहां पीले और भूरे प्रकार की मिट्टी

है । यह बेतवा एवं पहूज नदियों के बेसिन में पायी जाती है । इस भाग में पहाड़ झाड़ियों वाले जंगल और बंजर भूमि मिलती है । कांवर, मार और पड़ुवा का मिश्रण 40 से 50 प्रतिशत मिट्टी चिकनी होती है । इसमें सिंचाई की अधिक आवश्यकता है । इसमें गेहूं, चना, मटर और ज्वार एवं अलसी मुख्यता पैदा होती है । रॉकर मिट्टी जो पहाड़ियों पर पायी जाती है औरकृषि के दृष्टिकोण से कम उपयोगी होती है । बेतवा एवं पहूज तथा सुखनई यहीं की मुख्य नदियां है ।

जलवायु

1.3 :- जनपद की जलवायु विशेषता यह है कि ग्रीष्म काल में अधिक गर्मी तथा शीतकाल में अधिक ठंडा होता है । मध्य नवम्बर से जनवरी तक अधिक ठंडक तथा मई एवं जून में अधिक गर्मी होती है । गर्मियों में आर्द्रता 20 प्रतिशत से कम हो जाती है और हवा अधिक गरम चलती है । जनपद में वर्षा का सामान्य औसत 1101 मि0मी0 है, परन्तु वास्तविक रूप से वर्षा किसी वर्ष काफी अधिक और किसी वर्ष काफी कम हो जाती है । विंध्याचल की पहाड़ी श्रृंखला होने के कारण बारिश होने पर शीघ्र ठंडी और धूप होने पर शीघ्र गर्मी का आभास होता है ।

1.4 :- गत 1980-81 से 1984-85 तक तापमान एवं वर्षा की स्थिति निम्न तालिका में प्रदर्शित की गई है ।

वर्ष	तापमान		वर्षा मि0मी0 में	
	उच्चतम	न्यूनतम	सामान्य	वास्तविक
1980-81	45.3	4.2	1101.0	1138.0
1981-82	44.6	3.4	981.0	718.0
1982-83	44.5	1.2	848.0	1194.0
1983-84	46.4	4.0	848.0	1313.0
1984-85	48.2	4.1	944.0	623.0

1.5 नदियां एवं जल निकास :- बेतवा, धसान, लखेरी एवं पहूज यहां की मुख्य नदियां है । बेतवा जनपद की सबसे लम्बी नदी है । यह भोपाल §म.प्र.§ से निकलकर ललितपुर की पश्चिमी सीमा बनाती हुई जनपद के दक्षिण पश्चिम कोने से प्रवेश करती है । [illegible] तथा माताटीला बड़ागांव, पारीक्षा होते हुए जालौन जनपद में प्रवेश करती है ।

इसमें नत्रजन तथा फासफोरस की कमी तथा पोटाश की अधिकता होती है । संकुचित जल निकास इसकी प्रमुख विशेषता है, क्योंकि यह निचले भूभागों में पायी जाती है ।

1.7 भूमि उपयोगिता :- जनपद झांसी की वर्ष 1983-84 में भूमि उपयोगिता का विवरण पुस्तिका के आधार भूत आंकड़ों के प्रथम अनुच्छेद में दिया गया है । वर्तमान समय में 63.0 प्रतिशत शुद्ध बोया गया क्षेत्र है । जिसमें विगत वर्षों से लगभग 3 प्रतिशत वृद्धि हुई है ।

1.8 भू गर्भ जल :- जनपद झांसी में विन्ध्याचल की पहाड़ी श्रृंखला होने के कारण एक विशेष भौतिक संरचना पायी जाती है । भूगर्भ जल का उपयोग सुगमता से कुछ क्षेत्रों में हो पाता है परन्तु अब डी0टी0एच0 रिंग मशीन तथा इनवेल रिंग द्वारा इस कठिनाई को दूर कर दिया गया है । इसके प्रयोग से जनपद में व्यक्तिगत नलकूप खोदे जाने का कार्यक्रम प्रारम्भ किया है । जनपद राजकीय नलकूप भी इसी आधार पर लगाये जा रहे हैं । भू गर्भ सर्वेक्षण हेतु रिपोर्ट सेन्स यूनिट स्थापित है, जो शीघ्र सर्वे करके जल भण्डारण की सूचना स्थान पर बताती है । यह यूनिट अपना कार्य कर रहा है ।

1.9 वन :- जनपद झांसी में वर्ष 1983-84 में 32544 है0 भूमि वन के अन्तर्गत आच्छादित रही जो प्रतिवेदित क्षेत्र का 6.6 प्रतिशत है । यहां के जंगलों में बबूल, महुआ, तेंदू तथा ढाक अच्छी मात्रा में पायी जाती है । जंगल का 50 प्रतिशत से अधिक भाग ईंधन वाले वृक्षों के अन्तर्गत है । विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत शीघ्र उगने वाली प्रजातियों का वृक्षारोपण एवं आर्थिक महत्त्व के प्रजातियों के वृक्षारोपण कार्यक्रम मुख्यतया चलाया जा रहा है । जनपद में विकास खण्डवार जंगलों का वितरण निम्न तालिका में प्रदर्शित है ।

§ क्षेत्र हेक्टेअर में§

1. चिरगांव	5141	2. मऊरानीपुर	265
3. मोंठ	4236	4. बंगरा	2935
5. गुरसरांय	3487	6. बबीना	6131
7. बामौर	10229	8. बड़गांव	221

1.10 खनिज सम्पदा :- खनिज सम्पदा के रूप में जनपद में ग्रेनाइट, पाहरोपिलाइट, फ्लैस्पार पाये जाते हैं । झांसी तहसील में ग्रेनाइट तथा मोंठ तहसील में पाहरोपिलाइट एवं फैलेस्पार ग्रेनाइट विशेष रूप से पाया जाता है । झांसी पहाड़ की गिट्टियां सड़कों के निर्माण एवं फैलेस्पार [illegible]

बेतवा नदी पर 3 बांध हैं । पारीक्षा सिंचाई बांध है जिससे भांडेर एवं गुरसरांय नहरें निकाली गयी है, जिनकी लम्बाई 387 एवं 251 कि0मी0 है । दूसरा बांध सुकुवा ढुकुवा है । यह पारीक्षा की पीडिंग रिजरवायर है । सबसे नवीन बहुउद्देशीय बांध माताटीला है । यह ललितपुर जनपद में स्थित है ।

धसान नदी पर पहाड़ी बांध मऊरानीपुर छतरपुर सड़क पर स्थित है । इस नदी पर ही लहचूरा सिंचाई बांध है जिससे धसान नहर प्रणाली निकली है । इसके अतिरिक्त सिंचाई कार्य हेतु कमलासागर, पहूज बांध तथा गढ़मऊ, बरुआसागर, बड़वार, स्यावरी, पचवारा, कचनेह, तालीना झीलें हैं । सिंचाई विभाग द्वारा डोंगरी एवं सपरार बांधों का निर्माण किया जा रहा है ।

1.6 :- मृदा :- जनपद की मिट्टी मुख्यत: लाल, पीली व काली है । लाल मिट्टी की रचना कणाशय तथा सफटिक से संबंधित है तथा यह अधिकतर ऊँचे भागों पर मिलती है । इसे दो उप श्रेणियों में बांटा जा सकता है ।

﴾1﴿ राकड़ :- यह साधारणत: लाल रंग छिछली, कंकरीली तथा बनावट में बहुत हल्की होती है । इसकी जल धारण क्षमता बहुत ही कम होती है । इसके अंदर प्रागरिक द्रव्य, नत्रजन तथा फासफोरस की बहुत कमी होती है ।

﴾2﴿ पडुवा :- यह मिट्टी रंग में हल्की भूरी बनावट में मध्यम वर्गीय अच्छी जल उत्पादित तथा खरीफ की फसल के लिये उपयुक्त है । यह मिट्टी 40 से0मी0 से 70 से0मी0 तक गहरी होती है तथा इसकी नमी धारण करने की क्षमता 100 से 250 मि0मी0 है । इसमें नत्रजन तथा फासफोरस की कमी पायी जाती है । काली मिट्टी अच्छी तथा जल ग्रहण क्षमता वाली तथा उपजाऊ होती है । इन्हें दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है ।

﴾1﴿ कांवर :- यह मिट्टी निचले समतल भूभागों में मिलती है । इसका रंग काला होता है । इस मिट्टी में कंकड़ कम पाया जाता है । फिर भी यह संभता एवं दृढ़ होती है ।

﴾2﴿ मार :- यह मिट्टी रंग में अधिकतर काली होती है तथा इसमें कंकर के पिंड पाये जाते हैं । बनावट में अच्छी तथा अधिक जल धारण वाली होने के कारण यह मिट्टी रबी की फसल जैसे गेहूँ व चना उगाने के लिये अधिक उत्तम होती है ।

बर्तन बनाने का उपयोग में होता है । इसके अतिरिक्त नदियों से काफी बालू प्राप्त होती है ।

1.11. पशुधन :- पशुधन कृषि का सबसे महत्वपूर्ण अंग है । पशु गणना प्रदेश में पांच वर्ष में कराई जाती है । अंतिम पशु गणना वर्ष 1982 में की गयी थी । वर्ष 1982 की पशुगणना के अनुसार जनपद में कुल 759314 पशु थे। जिनमें सबसे अधिक पशु गरौठा तहसील में तथा सबसे कम पशु 160292 जोंठ तहसील में हैं । जनपद में दूध देने वाली गायें व भैंसें 120589 व 60292 हैं । जनपद में 239369 भेड़े व बकरियां पाली जाती हैं । सबसे अधिक भेड़े बकरियां गरौठा तहसील में हैं । सबसे कम भेड़े बकरियां जोंठ तहसील में है ।

उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि जनपद में पशुधन का भार प्रदेश की तुलना में कम है । क्योंकि जनपद का कुल पशुधन का घनत्व 130 है तथा प्रदेश का घनत्व 178 है ।

जनपद में 79375 कुक्कुट है । इसकी जनपद में घनत्व 12 है जबकि प्रदेश में घनत्व 19 है । इस तरह कुक्कुट का भी घनत्व कम है ।

जनपद में महिष्र वंशीय व गोवंशीय पशुओं की संख्या का कुल पशुओं की संख्या लगभग 73 प्रतिशत है ।

पशुपालन व्यवसाय को आर्थिक महत्व देने की दिशा में यह आवश्यक है कि पशुओं की नस्ल सुधार, स्वास्थ्य रक्षा एवं उनकी उचित मात्रा में पौष्टिक आहार की समुचित व्यवस्था की जाय ताकि उनकी दुग्ध उत्पादकता में विकास हो सके । जनपद में इस संबंध में जो कार्य किया गया है उसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

1.	पशुचिकित्सालय	15
2.	पशुधन विकास केन्द्र	16
3.	कृत्रिम गर्भाधान एवं उपकेन्द्र	20
4.	पशु प्रजनन फार्म	1
5.	भेड़ विकास केन्द्र	8
6.	सुंअर विकास केन्द्र	11

जनपद में चारे की समस्या तथा इसी क्षेत्र में अनुसंधान हेतु एक भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान कार्यरत है ।

1.12 :- जनपद में राजकीय जलाशयों में मत्स्य पालन हेतु 5.88 हे0 क्षेत्र किया गया है । जिसमें फिश नर्सरी कार्यरत है । जनपद में गढ़मऊ, सिमौरे, लरुआसागर, पगवारा एवं कोछाभांवर झील एवं तालाब हैं । बारहमासी जलाशय मुख्यतः बंगरा, मऊरानीपुर, चिरगांव एवं गुरसरांय विकास खण्डों में हैं । जनपद में मछली उत्पादन क्षेत्रों में मछलीकेजीरा उत्पादन हेतु पाण्डन, रेगन, शाल, सीफार, फीओं आदि पाली जाती हैं । मत्स्य उद्योग के विकास के लिये 6 मछुआ सहकारी समितियां संगठित की जा चुकी हैं ।

1.13 जनशक्ति :- जनगणना 1971 के अनुसार झांसी जनपद कुल जनसंख्या 8.70 लाख थीजो वर्ष 1981 में 11.37 हो गई है । वर्ष 1971 में 4.63 लाख पुरूष एवं 4.07 लाख स्त्री है जो वर्ष 1981 में बढ़कर 6.08 लाख पुरूष तथा 5.29 लाख स्त्री हो गयी है । वर्ष 1981 जनसंख्या वृद्धि दर 30.67 रहा। तुलनात्मक जनसंख्या का विवरण निम्न प्रकार है ।

1.14 तहसील वार जनसंख्या :-

तहसील का नाम		वर्ष 1971 की जनगणनानुसार §लाखों में§	वर्ष 1981 की जनगणनानुसार §लाखों में§
झांसी	नगरीय	2.79	4.31
	कुल जनसंख्या	8.70	11.37
मोंठ	नगरीय	0.21	0.35
	कुल जनसंख्या	1.34	2.16
गरौठा	नगरीय	0.09	0.26
	कुल जनसंख्या	1.71	2.09
मऊरानीपुर	नगरीय	0.33	0.50
	कुल जनसंख्या	1.82	2.32
झांसी	नगरीय	2.16	3.20
	कुल जनसंख्या	3.45	4.79

1.15 :-

इस दशक में जनसंख्या वृद्धि दर 30.21 रही ।

1.16 :- घनत्व :-

5024 वर्ग किलो मीटर क्षेत्र वाले इस जनपद में 1971 की जनसंख्या आधार पर घनत्व 173 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था जबकि 1981 की जनसंख्या के आधार पर इसका बढ़कर 226 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गयी ।

जनपद का सबसे ज्यादा घनत्व वाला क्षेत्र तहसील झाँसी है । सबसे कम घनत्व वाले क्षेत्र में बबीना तथा बामौर क्षेत्र हैं तथा बड़ागांव विकास क्षेत्र सबसे बड़ा घनत्व वाला है ।

1.17 ग्रामीण तथा नगरीय आबादी :- 1981 के अनुसार जनपद की 76.9 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामों में निवास करती थी । 1981 की जनगणनानुसार यह प्रतिशत 62.3 रह गया । स्पष्ट है कि नगर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है जिसका कारण नगर क्षेत्रों की घोषणा तथा जनता का ग्रामों से नगरों की ओर सुविधा दृष्टिकोण पलायन रहा है ।

1.18 पुरूष तथा स्त्रियों का अनुपात :- वर्ष 1981 की जनगणनानुसार पुरूष 6.08 एवं 5.29 लाख स्त्रियां हैं । प्रति हजार पुरूषों में 868 स्त्रियां हैं ।

1.19 अनुसूचित जातियां :- वर्ष 1981 की जनगणनानुसार 3.25 लाख अनु0 जातियों के लोग निवास करते हैं जो कि कुल आबादी का 28.7 प्रतिशत है । 1971 से 1981 दशक में जनपद की जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत स्थिर रहा ।

1.20 श्रम शक्ति §कर्मकार§ :- जनपद में कर्मकारों के 1971 व 1981 के तुलनात्मक आंकड़े निम्न तालिका में दिये जा रहे हैं ।

क्रमांक	कर्मकार की श्रेणी	1971 की जनगणनानुसार	1982 की जनगणनानुसार प्रतिशत
1.	कृषक	47.4	48.6
2.	कृषक मजदूर	18.1	12.5
3.	पारिवारिक उद्यमों में लगे मजदूर	8.2	5.8
4.	अन्य कर्मकार	26.3	33.1
	कुल कर्मकारों का प्रतिशत जनसंख्या से	28	28

प्रदेश में कर्मकारों का प्रतिशत निम्न प्रकार है :-

1.	कृषक	58
2.	कृषक मजदूर	16.3
3.	पारिवारिक उद्यम	4.4
4.	अन्य	21.3

इस तरह जनपद में कृषक कर्मकार प्रदेश के औसत से कम हैं और अन्य कार्यों में प्रतिशत अधिक है ।

1.21 साक्षरता :- जनपद में 1981 की जनगणना के अनुसार 36.7 प्रतिशत व्यक्ति साक्षर है । कुल ग्रामीण आबादी की 28.1 प्रतिशत व्यक्ति शिक्षित है तथा कुल नगरीय आबादी का 50.9 प्रतिशत व्यक्ति साक्षर हैं । प्रदेश का साक्षरता का 27.4 प्रतिशत है । इस तरह प्रदेश के स्तर से अधिक व्यक्ति जनपद में साक्षर हैं । जनपद में 50.3 प्रतिशत पुरूष तथा 21.0 प्रतिशत स्त्रियां साक्षर हैं । प्रदेश में 38.9 प्रतिशत पुरूष तथा 14.4 स्त्रियां साक्षर हैं ।

अध्याय-2

2-0 <u>संचार साधन</u>:- किसी भी क्षेत्र के विकास में संचार व्यवस्था का महत्वपूर्ण योग है। संचार व्यवस्था की पर्याप्तता क्षेत्र के विकास स्तर की संकेतक है। जनपद में उपलब्ध संचार व्यवस्थाओं का विवरण निम्न प्रकार है।

2-1 <u>रेल व्यवस्था</u>:- झाँसी मध्य रेल का मंडलीय मुख्यालय है। झाँसी रेल द्वारा बम्बई, मुगलसराय, कलकत्ता, देहली जम्मू, जबलपुर, कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर एवं दक्षिण भारत के प्रमुख नगरों से सम्बद्ध है। जनपद में 171 कि0मी0 ब्राडगेज रेल मार्ग है। तथा 15 रेलवे स्टेशन, हाल्ट सहित, स्थित है। जनपद के वर्तमान 746 आबाद ग्रामों में से 51 ग्रामों को 1 से 3 कि0मी0 की दूरी पर 58 ग्रामों को 3 से 5 कि0मी0 की दूरी पर तथा शेष 637 ग्रामों को 5 कि0 मी0 से अधिक दूरी पर रेल सेवा उपलब्ध है ।

2-2 <u>सड़क</u>:- सड़क व्यवस्था के अर्न्तगत सार्वजनिक निर्माण विभाग स्थानीय निकायों की पक्की सड़कों तथा गामीण अंचलों में गाँवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने हेतु असमतल सड़क है। मार्च 1985 तक जनपद में 776.78 कि0मी0वेपित मार्ग 362.69 कि0मी0 खड़ंजा मार्ग 173 कि0मी0 मिट्टी स्तर के कार्य निर्मित हैं । स्थानीय निकायों की 153 कि0मी0 लम्बी पक्की सड़कें हैं ।

2-2 . इन पक्की सड़कों पर आवागमन की सुविधा प्रदान करने के लिये केवल सरकार बस 90 कि0मी0 केवल निजी बस 450 कि0मी0 तथा निजी बस450 कि0मी0 तथा निजी ओर सरकारी बस 202 कि0मी0 सड़कों पर चलती हैं।

ग्रामीण अंचल की आवागमन की सुविधा निम्नवत है:-

विवरण	ग्राम में	1 किमी0 से कम	1 किमी0 से 3 किमी0तक	3 किमी0से 5 किमी0 तक	5 किमी0 से ऊपर	योग
1-पक्की सड़कें	161	35	164	165	221	746
2-बस स्टाप	79	30	85	135	417	746

आवागमन एवं सामग्री की पूर्ति परामर्श एवं ज्ञान प्राप्त करने हेतु ग्रामीण अंचल का मुख्य केन्द्र विकास कार्यालय है । 31 मार्च 85 तक आबादी के अनुसार <u>सड़कों से जुड़ें ग्रामों की स्थिति निम्न प्रकार है</u>:-

आबादी के अनुसार ग्राम सं0	सड़क से जुड़े
1500 से अधिक	55
1000से 1499 तक	53
500 से 999 तक	107
500 से कम	111

2-4 डाक एवं तार व्यवस्था:- वर्ष 1984-85 में जनपद में 200 डाकघरों की संख्या थी। जिसमें 160 ग्रामीण अंचल तथा 40 नगरीय क्षेत्र में थी । इन डाकघरों में बचत बैंक की सुविधा उपलब्ध है। इन डाकघरों में 31 केन्द्रों॥12 ग्रामीण तथा 19 नगरीय॥ केन्द्रों पर सर्व साधारण को तार की व्यवस्था उपलब्ध है। ग्रामीण अंचल में डाक एवं तार की व्यवस्था की सुविधा निम्न वत है:-

विवरण	ग्राम में सुविधा	सुविधा केन्द्रों से ग्रामों की दूरी				
		1 किमी0 से कम	1-3कि0 मी0तक	3-5 कि0 मी0 तक	5 किमी0 या अधिक	योग
1-पोस्ट आफिस एवं बचत बैंक	149	17	162	202	216	746
2-तारघर	12	3	38	70	623	746

2-5 क्रय विक्रय सम्बन्धी सुविधायें:- दैनिक जीवन के उपभोग हेतु सामग्री का क्रय विक्रय बाजारों के माध्यम से होता है। जनपद में नियंत्रित एवं अनि-यंत्रित बाजार प्रतिदिन एवं साप्ताहिक बाजार लगते हैं। मुख्य बाजारों का विवरण निम्नवत है:-

तहसील का नाम	बाजार संख्या	वस्तुओं की बिक्री
1- सोंठ	10	प्रतिदिन उपभोग की वस्तुऐं
2- गरौठा	23	,, ,, ,, ,,
	1	पशुओं की बिक्री
3- मऊरानीपुर	27	प्रतिदिन के उपभोग की वस्तुऐं
	1	पशुओं की बिक्री ।
	2	प्रतिदिन उपभोग के कपड़े
4- झाँसी	5	प्रतिदिन उपभोग एवं कपड़ें
	1	पशुओं की बिक्री ।

2-6 क्रय-विक्रय समितियाँ:- जनपद में 6 क्रय विक्रय समितियाँ हैं जो कृषक सदस्यों को कृषि उपज की उचित मूल्य पर क्रय विक्रय भन्डारण की व्यवस्था की कार्य करती हैं। इन समितियां में 3 ग्रामीण क्षेत्र तथा 3 नगरीय क्षेत्र में कार्यरत हैं। इन समितियों द्वारा कृषकों को उपज की सीधी खरीद का कार्य किया जाता है। जिससे धीरे-धीरे बिचौलियें समाप्त हो जायेंगें ।

2-7 उपभोक्ता समितियों की स्थापना जन साधारण को उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं के उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से हुयी है। इस जनपद में केन्द्रीय उपभोक्ता भन्डार जो बड़ागाँव एवं बबीना विकास खण्ड में सहकारी समितियों के समिति के रूप में कार्य कर रही है। उपभोक्ता भन्डार खाद्यान्न एवं अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं की करती है। जनपद में 26 प्राथमरी उपभोक्ता भन्डार की स्थापना हुयी है। वर्ष 1984-85 में जनपद के नगरीय एवं ग्रामीण अंचल में कुल 334 सस्ते गल्ले की दुकानें रही ।

2-8 नियंत्रित बाजार:- विपणन व्यवस्था के अन्तर्गत जनपद में 5 नियंत्रित बाजार हैं। इनका विवरण निम्नवत है:-

मण्डी का नाम	अधिनियम लागू होने का दिनांक	मंडी की श्रेणी	मण्डी को वस्तुओं की उपलब्धता
1-मऊरानीपुर	नवम्बर 1960	ए	प्रतिदिन के उपभोग की वस्तुएँ
2-चिरगाँव	जुलाई 1968	ए	,,
3-मोंठ	जुलाई 1968	बी	,,
4-गुरसराय	जुलाई 1969	बी	,,
5-झाँसी	दिसम्बर 1970	बी	,,

2-9 संग्रहण एवं वेयर हाऊसिंग:- जनपद में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम हैं। इसका विवरण निम्नवत है:-

	संख्या	क्षमता (मै0टन)
1- निजी खाद्य गोदाम	5	18340
2- किराये पर (झाँसी में)	4	9170
3- किराये पर (मऊरानीपुर में)	2	5000
4- किराये पर (परीछा में)	3	15000
योग:-	14	47510

उपरोक्त के अतिरिक्त केन्द्रीय भण्डारागार निगम के 2 गोदाम किराये पर झाँसी एवं चिरगाँव में हैं। जिनकी क्षमता क्रमशः 4878 एवं 3669 मै0टन है। केन्द्रीय भडारागार के एक वेयर हाऊस का निर्माण चल रहा है ।

जनपद में 700 मै0टन की क्षमता का एक शीत गोदाम है। इसके अतिरिक्त दो कोल्ड स्टोरेज एवं आइस फैक्ट्री कार्यरत हैं ।

2-10 सिंचाई:- जनपद में सिंचाई की सुविधायें बहुत कम मात्रा में उपलब्ध हैं। शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का 29 प्रतिशत भाग में ही सिंचाई सुविधायें उपलब्ध हैं। वर्तमान साधनों में नहरों का स्थान सर्वप्रथम हैं। वर्ष 84-85 तक जनपद में 198 कि0मी0 लम्बी नहरें 52 राजकीय नलकूप 27548 सिंचाई कूप 11783 रहट 13355 पम्प सैट तथा 554 निजी नलकूप उपलब्ध है ।

वर्ष 1984-85 के अभिलेखानुसार राजकीय नहरों से 57347 है0भूमि में सिंचाई की गई जो शुद्ध सिंचित क्षेत्र का लगभग 64 प्रतिशत हैं। शेषक्षेत्र में निजी लघु सिंचाई साधनों से सिंचाई की जा रही है ।

2-11 जनपद में वर्ष 80-81 तक राजकीय नलकूपों की सुविधा बिल्कुल उपलब्ध नहीं थी, पर शासन प्रयास करके वर्ष 84-85 तक 52 राजकीय नलकूप लगाये जा चुके हैं। जो एक विशेष उपलब्धि है ।

2-12 विद्युत:- कृषि एवं उद्योग के क्षेत्र में विकास लाने के दृष्टिकोण से विद्युत का महत्वपूर्ण स्थान हैं। जनपद में वर्ष 84-85 में कुल 105795 कि0घ0 विद्युत का उपभोग हुआ जिसमें 27.6 प्रतिशत घरेलू प्रकाश 26.4% लघु विद्युत शक्ति 354. औ0शक्ति 0.49 प्रतिशत सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था 8.8 प्रतिशत सिंचाई एवं जल निस्तारण 1-58 प्रतिशत सार्वजनिक जलकल एवं प्रवाह तथा शेष विविध प्रयोग हेतु व्यय हुआ । वर्ष 84-85 में प्रति व्यक्ति विद्युत का उपभोग 93 कि0घं0 रहा ।

2-13 विद्युत लाइनों की लम्बाई एवं विद्युतीकरण ग्राम/नगर:- विद्युत लाइनों की लम्बाई एवं विद्युतीकृत नगर एवं ग्राम जनपद झाँसी में वर्ष 81 की जन गणना के अनुसार 16 नगरीय क्षेत्र हैं। जो सभी विद्युतीकृत हैं। कुल 750 ग्रामों में से 372 ग्राम विद्युतीकरण हैं। इस प्रकार कुल विद्युतीकरण ग्रामों की संख्या 49 प्रतिशत है। अब तक 380 हरिजन बस्तियों को विद्युतीकृत किया जा चुका है ।

2-14 बैंक एवं ऋण सुविधायें :- जनपद झाँसी में वर्ष 84-85 में कुल 96 बैंक शाखायें कार्यरत रहीं हैं। जिनमें 62 व्यवसायिक , 12सहकारी, 4 भूमि विकास बैंक तथा 20 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखायें हैं। इन बैंक शाखाओं द्वारा नगरीय क्षेत्रों तथा अगम्य ग्रामीणअंचलोंमें कृषि, अल्प सिंचाई, उद्योग एवं सेवायें हेतु ऋण वितरण की योजना बनायी गयी है और ऋण वितरण का कार्य किया जाता है। इन बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत विशेष रूप से ऋण वितरण का कार्य किया जाता है। विकास कार्य हेतु बैंकों द्वारा

ऋण योजनायें बनायी गयी हैं। ऋण योजना का विवरण निम्नतालिका में दिया गया है:-

॥हजार रू0में॥

मद का नाम	1981		1982	1983-84
	लक्ष्य	पूर्ति		
1-कृषि का सवांगीकरण	51897	60668	61995	53922
2-ग्रामीणएवं कुटीर उद्योग	1895	2061	3176	8748
3-लघु उद्योग	3812	3059	2085	638348
4- अन्य	10479	47336	15027	638348

00000=-=-=-=-=-=-=-=00000

000=-=-=-=-=-=-=-=-=000

00=-=-=-=-=-=-=-=-=00

0=-=-=-=-=-=-=-=-=0

0=-=-=0

अध्याय - 3

:: प्रशासनिक एवं संस्थागत ढाँचा ::

3-0 प्रशासन की दृष्टिकोण से जनपद §आसँकि मुख्यालय के अतिरिक्त चार तहसीलों में बँटा है। सम्पूर्ण जनपद का प्रशासनिक कार्य जिलाधिकारी के आदेशानुसार कार्यान्वित होता है। जिलाधिकारी के सहयोग के लिये एक अपर जिलाधिकारी§वित्त एवं राजस्व§ सेटलमेंट आफीसर§चकबंदी§ नगर प्रशासन के लिये सिटी मजिस्ट्रेट तथा तहसील मुख्यालय पर परगनाधिकारी नियुक्त हैं ।

3-1 तहसील मुख्यालयों पर परगनाधिकारी प्रशासनिक कार्य एवं शांति व्यवस्था के लिए उत्तरदायी हैं। इसके अतिरिक्त कृषि, पशुपालन के सर्वेक्षण कार्य कराये जा सके भूराजस्व, बैंक बकाया सिंचाई देय, इत्यादि की वसूली कृषकों के आपस में भु-आवंटियों संबंधी मामलों का निस्तारण आवश्यक वस्तुओं के वितरण 20 सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व भी परगनाधिकारी का है ।

3-2 राजस्व संबंधी कार्यों के सम्पादन में परगनाधिकारी के सहायतार्थ प्रत्येक तहसील पर तहसीलदार नायब तहसीलदार एवं आवश्यकतानुसार कानूनगों की सेवायें उपलब्ध हैं। ग्राम स्तर पर राजस्व कार्य के लिए अधीन एवं भूमि का लेखा-जोखा रखन हेतु लेखपाल नियुक्त हैं ।

3-3 शांति व कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये जनपद में पुलिस व्यवस्था है। जनपद में 21 थाने कार्यरत हैं जिसमें 15 ग्रामीण एवं ०६ नगरीय क्षेत्र हैं । इसके अतिरिक्त पुलिस चौकियाँ अपने सीमित क्षेत्र में शांति व्यवस्था स्थापित करती हैं। शांति एवं व्यवस्था को सम्पन्न बनाने हेतु पुलिस एवं प्रशासन पारस्परिक सहयोग रखते हैं ।

3-4 कानून व्यवस्था एवं प्रशासन के अतिरिक्त जनपद के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में नगर पालिकायें एवं टाउन एरिया पर्यावरण की स्वच्छता नगरों के अंदर सड़कों निर्माण सड़कों का रखरखाव भवन निर्माण साधारण प्रशासन तथा राजस्व एकत्रीकरण जल सम्पूर्ति, प्रकाश एवं शिकायत की व्यवस्था नियमों के अधीन कर के जनपद के जिलापरिषद के अतिरिक्त 5 नगरपालिकायें, 8 नगर क्षेत्र समितियाँ नोटी फाइड एरिया एवं 2 केन्ट बोर्ड कार्य कर रहे हैं ।

3-5 न्याय पंचायतें एवं गाँव सभायें :-

वर्तमान विकास प्रणाली के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के विकास नागरिक सुविधा

उपलब्ध कराने, एवं पर्यावरण स्वच्छता संबंधी सुविधाओं के पहुचानें में जनपद को गाँव सभाओं में विभक्त किया गया है। छोटे-2 निश्चित प्रकार के फौजदारी दीवानी संबंधी झगड़ों एवं विवादों को निपटाने हेतु जनपद में 65 न्याय पंचायतें कार्यरत हैं । गाँव सभाओं का कार्य पेयजल हतु हैण्डपम्प, पेयजल कूप सड़कों पर खड़ंजा की व्यवस्था करना है। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था एवं सार्वजनिक श्रवण यंत्रों के रखरखाव है ।

3-6 ग्राम स्तर पर एक भूमि प्रबंधक समिति का गठन किया गया है। जिस-का अध्यक्ष ग्राम प्रधान एवं सचिव लेखपाल होता है। इस समिति का मुख्य कार्य जमींदारी उन्मूलन के पश्चात ग्राम समाज के अधिकार में दी गयी जमीन तालाबों एवं पेड़ों एवं जंगलों का प्रबंध करने के साथ-साथ भू-आवंटन करना है ।

3-7 ग्राम सभाओं की आय पंचायत कर तालाबों का नीलाम भवन कर गाँव सभाओं के स्थाई सम्पत्ति से आय एवं सरकारी सहायकता द्वारा होती है ।

3-8 सहकारिता:- जिला स्तर पर सहकारी बैंक प्रादेशिक सहकारी संघ झाँसी उपभोक्ता संघ तथा केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार कार्यरत हैं। जिला सह-कारी बैंक तथा इसकी शाखा से संबंध समितियों के माध्यम से कृषकों को अल्प कालीन मध्य कालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है। प्रत्येक सदस्य अपने हिस्से का पूंजी का 10 गुना ऋण नगद एवं वस्तुओं के रूप में मिलाकर प्राप्त कर सकता है। अल्प कालीन ऋण की वसूली को 6 मास बाद है। मध्य कालीन ऋण की वसूली 5 वर्षों में की जाती है ।

3-9 प्रादेशिक सहकारी संघ:- प्रादेशिक सहकारी संघ का मुख्य कार्य कृषकों की समितियों के माध्यम से उर्वरक उपलब्ध कराना । गेहूँ और खाद्यान्न का क्रय विक्रय करना तथा ऋण आदि की आपूर्ति करना भी इनके कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत हैं ।

3-10 उपभोक्ता संघ तथा केन्द्रीय उपभाक्ता भण्डार:- उपभोक्ता संघ तथा उपभोक्ता केन्द्रीय भण्डार उपभोक्ता समितियाँ, सहकारी संघो कृषक सेवा समितियों के माध्यम से नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोग सामग्री जैसे, कपड़ा चीनी, दियासलाई, साबुन आदि वस्तुओं को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराता है ।

उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में सार्वजनिक

वितरण प्रणाली के अन्तर्गत 110 ग्रामीण एवं 141 नगरीय क्षेत्र, नगरपालिका, टाउन एरिया में उपभोक्ताओं को शीघ्र सामग्री एवं अन्य दैनिक उपभोग की वस्तुओं को उपलब्ध कराता है ।

3-2 ग्रामीण क्षेत्रों के विकास, कृषि उत्पादन निम्न वर्गों के आर्थिक उत्थान विकास कार्यों से संबंधित समस्त विभागों में सामंजस्य रखने का उत्तरदायित्व अपर जिलाधिकारी § विकास§ का होता है ।

00000===-=-=-=-=-=00000

000=-=-=-=-=-=-=000

00=-=-=-=-=-=-=00

0=-=-=-=-=-=-=0

0=-=-=0

अध्याय-4

:: आर्थिक कार्यकलाप ::

4-0 आर्थिक कार्यकलाप के अन्तर्गत विभिन्न वर्षों की जनगणना के अनुसार कार्यकलाप में लगे हुए व्यक्तियों की संख्या निम्न रूप में रही है ।

कुल जनसंख्या	1961	1971	1981
1- कार्यकलाप में लगे हुए व्यक्ति	207250	248124	316431
2- कुल जनसंख्या	714484	870130	1137031
3- कुल जनसंख्या का प्रतिशत	29	29	28

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि विभिन्न जनगणना के साथ कार्यकलापों की संख्या में वृद्धि हुई है ।

इन कर्मकारों का विभाजन विभिन्न वर्गों में निम्न है:-

मद का नाम	वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार		वर्ष 1981 की जन गणना के अनुसार	
	कुल	कुल कर्मकार का प्रतिशत	कुल	कुल कर्मकार का प्रतिशत
1- कृषक	117494	47.4	153238	48.6
2- कृषक मजदूर	44833	10.1	39437	15.5
3- पशुपालन जंगल लगाना वृक्षारोपण	2078	0.8	--	--
4- खान एवं उद्योग	402	0.2	--	--
5- पारिवारिक उद्योग	11346	4.6	16362	5.3
6- पारिवारिक उद्योग के अतिरिक्त उद्योग	8992	3.6	--	--
7- निर्माण कार्य	1869	0.8	--	--
8- व्यापार एवं वाणिज्य	13523	5.4	104887	33.1
9- यातायात संग्रहण एवं संचार	16194	6.5	--	--
10- अन्य सेवाएँ	31373	12.6	107371	--
योग:-	248124	100.0	316431	100.0

4-1 कर्मकारों का आर्थिक वर्गीकरण:- कुल कर्मकारों को विभिन्न आर्थिक श्रेणी में रखा गया है। वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार 3 आर्थिक वर्गीकरण किये गये हैं। प्रथम वर्गीकरण में कृषि पशुपालन, वन, मत्स्य, खान् एवं खनन सम्मिलित है। द्वितीय के अन्तर्गत विद्युत, गैस, पानी, जलासम्पूर्ति तीसरे वर्गीकरण में अन्य सम्मिलित हैं। विकास खण्डवार वर्गीकरण निम्न प्रकार है:-

	कर्मकारों की संख्या एवं प्रतिशत						
	प्रथम		द्वितीय		तृतीय		योग
1- चिरगाँव	18043	90.6	706	3.5	1163	5.9	19912
2- मोंठ	22532	89.0	901	3.6	1884	7.4	25317
3- गुरसरायँ	21455	91.1	1000	4.2	1106	4.7	23561
4- बामौर	21873	90.5	882	3.7	1401	5.8	24156
5- मऊरानीपुर	20350	88.0	1413	6.2	1136	4.9	28899
6- बंगरा	19243	88.0	1439	6.6	1179	5.4	21861
7- बबीना	15831	82.2	858	4.5	2506	13.0	1019
8- बड़ागाँव	17487	80.9	1397	6.5	2710	12.6	2159
समस्त नगरीय	7993	11.9	13631	19.6	48005	68.0	6962
योग:-	164807	66.4	22227	9.0	61090	24.8	24812

उपरोक्त तालिका से यह ज्ञात होता है कि प्रथम सेक्टर में मोंठ गुरसरायँ, बामौर एवं मऊरानीपुर में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या अधिक है। द्वितीय सेक्टर में विकास खण्ड बड़ागाँव, बंगरा एवं मऊरानीपुर में कार्यरत व्यक्तियों की अधिक है। द्वितीय सेक्टर नगर व क्षेत्र में केन्द्रित होने के कारण कुल नगरीय क्षेत्र के कर्मकार का 19.6 प्रतिशत है। तृतीय सेक्टर अधिकांशत: नगरीय क्षेत्र में है जिनमें नगरीय क्षेत्र के केवल कर्मकार का 8.9 प्रतिशत है । विकास खण्ड के अन्तर्गत बबीना में 13.0 प्रतिशत बड़ागाँव में 12.6 प्रतिशत कर्मकार अन्य सेवा में लगे हुए है ।

4-5 उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि कुल कर्मकार का 66.4 प्रतिशत कृषि 9.63 उद्योग एवं 24.6 प्रतिशत अन्य सेवाओं में लगे हुए हैं। झाँसी एक कृषि प्रधान क्षेत्र होने पर भी कृषि के क्षेत्र में पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है। इसका मापदण्ड निम्न तालिका से स्पष्ट होता है ।

:: मुख्य फसलों का औसत उत्पादन वर्ष 1983-84 (कुन्टल प्रति हे0)

क्र0	फसल का नाम	झाँसी
1-	धान	9.64
2-	गेहूँ	16.86
3-	जौ	10.83
4-	ज्वार	8.24
5-	बाजरा	7.87
6-	मक्का	12.34
7-	उर्द	2.12
8-	मूंग	1.95
9-	अरहर	10. 04
10-	चना	6.68
11-	लाही सरसों	5.03
12-	मूंगफली	6.48
13-	गन्ना	396.46
14-	आलू	177.48

4-6 रासायनिक उर्वरक का वितरण:- प्रदेश का उर्वरक उपयोग तथा जनपद झाँसी में उर्वरक उपयोग बहुत ही कम है। निम्न तालिका में प्रदेश एवं झाँसी के उर्वरक उपयोग दिया जा रहा है ।

प्रदेश	82-83	83-84
कुल बोया गया क्षेत्र (000है)	342660	337207
2-उर्वरक वितरण (000मी0टन)		
(अ) नत्रजन	3701	4667
(ब) फासफोरस	1950	2805
(स) पोटेशिक	342	359
योग:-	5993	7831

4-7 कृषि कार्य हेतु निवेश के रूप में खाद, बीज, एवं कीटनाशक दवाओं के बिक्री हेतु जनपद में 112 बीज एवं उर्वरक केन्द्र कार्यरत हैं जिनकी संग्रहण क्षमता 9822 मी0टन फसल सुरक्षा हेतु जनपद में 11 कीटनाशक दवा के भण्डार

है जिनकी कुल क्षमता 640 मी0टन है इसके अतिरिक्त एग्रो इण्डस्ट्रियल के 8 खाद एवं बीज भण्डार भी वितरण की सुविधा उपलब्ध कराते हैं ।

4-8 जनपद में 6 क्रय एवं विक्रय समितियाँ है जिनका मुख्य उद्देश्य कृषकों से खाद्यान्न खरीदना, अनाज संधक रखना एवं उस माल पर कृषकों को अग्रिम भुगतान करना है। यह समितियाँ सार्वजनिक प्रणाली के अन्तर्गत उपभोक्ता सामग्री का वितरण निर्धारित मूल्य पर करती है। इन समितियों द्वारा वर्ष 80-81 में 75,55,000 रू0 की वस्तुओं लेन-देन की गयी है । बीज उत्पादन के लिये जनपद में कृषि फार्म है जिनका कुल क्षेत्र 10 हेक्टे0 हैं। उन्नतिशील प्रकार के बीजों का उत्पादन वर्ष 80-81 में 1500 मे0टन है ।

4-9 ऋण वितरण:- ऋण वितरण कार्य हेतु जिला सहकारी बैंक की 12 हैं। इन शाखाओं में से 5 ग्रामीण एवं 7 नगरीय क्षेत्र हैं। विकास खण्ड चिरैगाँव, गऊरानीपुर, बड़ागाँव में कोई बैंक शाखा नहीं है। यह बैंक अपने समितियों के माध्यम से अल्पकालीन एवं मध्य कालीन ऋण का वितरण करती हैं । वर्ष 1982-83 में 56 व्यवसायिक बैंक की शाखायें थीं। विकास खण्ड चिरगाँव, गुरसराँय एवं गऊरानीपुर के ग्रामीण अंचल में कोई शाखा नहीं है । क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने ग्रामीण क्षेत्र में 3 शाखायें खोल दी हैं ।

दीर्घ कालीन ऋण के वितरण हेतु जनपद में 4 भूमि विकास बैंक की शाखायें हैं। इसके अतिरिक्त व्यवसायिक बैंक द्वारा ऋण वितरण का कार्य किया जाता है ।

:: विभिन्न बैंको द्वारा ऋण वितरण (000रू0) ::

वर्ष 1981-82	व्यवसायिक बैंक	सहकारी बैंक	भूमि विकास बैंक	योग
1- कृषि कार्य हेतु	22792	27175	7573	57540
2- कृषि संबंधीय	3120	--	--	3120
3- उद्योग:-				
(1) ग्रामीण एवं परम्परागत उद्योग	2061	--	--	2061
(2) लघु उद्योग	2949	110	--	3059
4- अन्य सेवायें:-				
(1) स्वत: रोजगार यातायात	21002	26334	--	47336
योग:-	51932	53619	7573	113124

4-10 भण्डारण:- जनपद झाँसी कृषि के दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ है। कृषक अपने उत्पादित माल का उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक रूप में संग्रहण करने में असमर्थ है। . उत्पादन होते ही माल को तुरन्त बाजार में लाते है। लेकिन बिचौलिये द्वारा उन्हें उचित मूल्य नहीं दिया जाता है। सहकारिता विभाग द्वारा 6 क्रय-विक्रय स्थापित कर कृषकों को शोषण से मुक्त करने का प्रयास किया गया है। प्रत्येक क्रय समितियों का वर्तमान भण्डारण क्षमता 200 मी0टन है। परन्तु फिर भी अधिक भण्डारण सुविधा का होना आवश्यक है।

4-11 माल की आपूर्ति:- ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत सभी समितियाँ उर्वरक बीज खाद्यान्न, चीनी मिट्टी का तेल एवं अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुओं की निरंतर आपूर्ति निर्धारित मूल्य पर करती है। इसी प्रकार नगरीय क्षेत्र में उपभोक्ता सहकारी समितियाँ यहाँ कार्य कर रही हैं।

00000=-=-=-=-==-=-=00000

000=-=-=-=-=-=-=-000

00=-=- -=-=-=-=-00

0=-=-=-=-=-=-=-0

0=-=-=0

अध्याय – 5

5–0 सेवायोजन सम्बन्धी सुविधायें:–

सेवायोजन का सम्बन्ध श्रम शक्ति के अन्तर्गत आने वाले रोजगार एवं बेरोजगार व्यक्तियों से है। उत्थान तभी सम्भव हो सकता है जबकि श्रम शक्ति के अन्तर्गत आने वाले पुरूष एवं स्त्री आर्थिक रूप से कार्यरत रहें। श्रम शक्ति के अन्तर्गत 15 से 59 वर्ष के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों से है। 15 वर्ष से नीचे और 59 वर्ष से ऊपर जिसमें क्रमशः बच्चे बुड्ढे हैं। श्रम शक्ति की परिधि के बाहर हैं। वर्ष 15 से 59 के मध्य आने वाले व्यक्तियों में आश्रित महिलायें विद्यार्थी विकलांग इत्यादि श्रम शक्ति के परिधि के बाहर होते हैं।

5–1 वर्ष 1971 एवं 1981 के जनगणना के आँकड़े श्रम शक्ति से सम्बन्धित अभी तक प्रकाशित नहीं हो सके हैं। परन्तु प्राप्त सूचनाओं को आधार पर श्रम शक्ति का अनुमान निम्न प्रकार लगाया जाता है:–

मद	1971	1981
1– कुल जनसंख्या	870138	1137031
2– एक वर्ष से 14 वर्ष के आयु के मध्य	560722	740530
3– 14 से 59 वर्ष के आयु के मध्य	299849	390432
(अ) आश्रित व्यक्ति	29961	73848
(ब) अध्ययन कार्य	25872	326[illegible]9
(स) विकलांग अथवा कार्य में अक्षम	3256	2026
(द) अन्य कारण (60 वर्ष से ऊपर)	30651	54456
4– कुल कार्य करने वाले वर्ग के अन्तर्गत व्यक्ति	256814	3277
5– कुल कार्यरत व्यक्ति	248124	316481
6– बेकार व्यक्तियों की संख्या	8690	11230

5–2 उपरोक्त तालिका से यह अनुमान लगाया जाता है कि आश्रित महिलाओं की संख्या अधिक है यह कि ग्रामीण क्षेत्रों में से महिलायें रूढ़िवादिता के कारण आर्थिक कार्य सम्पादन कराना सामाजिक परम्परा के विपरीत माना जाता है। निर्बल वर्ग की महिलायें केवल आर्थिक उत्पादन का कार्य करती है इस प्रकार जनपद में बेकारी की समस्या है। व्यक्ति

अर्ध रोजगार एवं पूर्ण रोजगार की तलाश में रहते हैं। इन बेरोजगारों का मुख्य कारण कृषि में सम्पूर्ण वर्ष कार्य उपलब्ध न होना तथा उद्योग की दृष्टि कोण से पिछड़ा होना है ।

5-3 बेरोजगार लोगों को रोजगार दिलाने में क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय का योगदान मुख्य है इसके अतिरिक्त व्यवसायिक बैंक स्वतः कार्य योजना के अन्तर्गत इच्छुक व्यक्तियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है। बेरोजगारी की समस्या एवं निर्धनता की समस्या से निपटाने के लिये एकीकृत ग्राम्य विकास योजना एवं स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना कार्यरत है ।

5-4 ग्रामीण नौजवानों को स्वतः रोजगार स्थापित करने और उसे सक्षम बनाने हेतु इच्छुक ग्राम वासियों को एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत विभिन्न रोजगारों में प्रशिक्षण दिया जाता है इसी प्रकार नेहरू युवक केन्द्र झाँसी द्वारा ग्राम वासियों को हस्तकला में प्रशिक्षित किया जाता है।

5-5 सेवायोजन कार्यालय रोजगार तलाश करने वाले अभ्यर्थियों को सहयोग देता है तथा साथ ही व्यवसायिक निर्देशन देने का भी कार्य करता है। व्यवसायिक निर्देशन के अन्तर्गत अभ्यर्थियों को उनके रूचि के अनुसार प्रशिक्षण तथा रोजगार के अवसर से अवगत कराया जाता है ।

5-6 सेवायोजन के माध्यम से वर्ष 1980 से 81 में 703 एवं 81-82 में 583 अभ्यर्थियों को रोजगार दिलाया गया ।

5-7 क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय झाँसी में कोचिंग कम गाइडेन्स सेन्टर की स्थापना हेतु इस सेन्टर का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को टंकण/आशुलिपिक, सेक्रेट्रियल प्रैक्टिस तथा सामान्य ज्ञान का प्रशिक्षण दिया जाता है प्रत्येक वर्ष में दो सत्र चलाये जाते हैं। सत्र आरम्भ होने की तिथियाँ एक जनवरी एवं जुलाई है। एक सत्र में 30 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष में दो सत्र चलाये जाते हैं। तकनीकी प्रशिक्षण देने हेतु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है। इस संस्था की क्षमता 660 व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने की है। इस संस्था द्वारा निम्न विषयों में प्रशिक्षण दिया जाता है :-

1-	आशुलिपिक (हिन्दी)	2-	रेडियो मैकेनिक
3-	ड्राफ्टस मैन	4-	प्लम्बर
5-	इलेक्ट्रीशियन	6-	फिटर

7-	वैल्डर	8-	आशुलिपिक (अंग्रेजी)
9-	इलेक्ट्रोनिक	10-	टर्नर
11-	मशीनस्टि	12-	स्टूडेन्ट मैकेनिक
13-	वायर मैन	14-	मोटर मैकेनिक

15-8 रोजगार योजना के अन्तर्गत बैंको से वित्तीय सहायकता एकीकृत ग्रामीण विकास योजना के ट्राइसेम एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से दिये जा रहे हैं। तकनीकी प्रशिक्षण के कारण लोगों में अपना रोजगार स्थापित करने की प्रगति उत्पन्न हो रही है ।

00000=-=-=-=-=-=-=-=00000

000=-=- -=-=-=-=-=-=000

00=-=-=-=-=-=-=-=-=00

0=-=-=-=-=-=-=-=-=0

0=-=-=-=0

अध्याय-6

6-0 पिछड़े समुदाय की समस्या:-

वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार जनपद प्रदेश एवं देश की पिछड़ी समुदाय की तुलना निम्न तालिका से किया जा सकता है।

00 जनसंख्या हजार में 00

विवरण	सम्पूर्ण जनसंख्या	अनुसूचित जाति	प्रतिशत	अनुसूचित जनजाति	प्रतिशत
1- भारत	547950	799960	14.6	38015	6.9
2- उत्तर प्रदेश	58341	78549	21.0	199	0.2
3- बुन्देलखण्ड क्षेत्र	4219	1086	25.3	0.3	0.0
4-जनपद झाँसी	870	240	27.6	--	--

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि कुल जनसंख्या का अनुसूचित जाति की संख्या भारत में 14-6 प्रतिशत, प्रदेश में 21-0, प्रतिशत मंडल में 25-3 प्रतिशत तथा जनपद में 27-6 प्रतिशत है। अनुसूचित जनजाति की संख्या झाँसी जनपद में शून्य है ।

जनपद में विकास खण्ड वार एवं नगरीय क्षेत्र में पिछड़े समुदाय की तुलना निम्न तालिका में दिया गया है:-

विकास खण्ड	1971 की जनगणना के अनुसार		
	कुल जनसंख्या	अनुसूचिज जाति एवं जन जाति	कुल जनसंख्या का प्रतिशत
1- चिरगाँव	68337	20274	30
2- मौंठ	85008	26571	31
3- गुरसराय	79170	27607	35
4- बामौर	82480	26464	32
5- बकरानीपुर	76246	26759	35
6- बंगरा	72563	24421	34
7- बबीना	58723	13210	22
8- बड़ागाँव	66284	15518	23
योग:-	870138	240001	28

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि विकास खण्ड गुरसरांय, मोंठ बामौर, मऊरानीपुर में पिछड़े समुदायों की संख्या अधिक है। प्रतिशत की दृष्टि से सबसे अधिक जनसंख्या गुरसरांय, मऊरानीपुर तथा सबसे अधिक जनसंख्या बबीना विकास खण्ड में । कुल नगरीय क्षेत्र में पिछड़े समुदाय का प्रतिशत 21 है ।

6-1 इन पिछड़े समुदाय की मुख्य समस्या निर्धनता एवं पिछड़ापन है। इन पिछड़े समुदाय को जीविका का मुख्य साधन कृषि, कृषि एवं अन्य स्थानों पर मजदूरी करना है। जनपद में 34625 परिवारों के पास 9905 है0 भूमि है। जो प्रति परिवार में 0-26 है0 आती है । 20925 है0 भूमि 28370 परिवारों के मध्य आती है। जो प्रति परिवार 0-74 है0 आती है

6-2 हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा शैक्षिक योजनायें पिछड़े वर्ग के उत्थान हेतु पहल की गयी है। इस समय पिछड़े वर्ग के लोगों को विभिन्न छात्रवृत्तियाँ उपलब्ध करायी जाती है। इसके अतिरिक्त आर्थिक कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। शिक्षा के दृष्टिकोण से निम्न विभिन्न वर्षों में छात्रवृत्तियाँ दी गयी है।

विवरण	छात्रवृत्तियों की संख्या		
	79-80	80-81	81-82
1- सामान्य शिक्षा के लिये	5612	6006	9477
2- व्यवसाय प्रशिक्षणहेतु	511	594	647

6-3 आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान हेतु राष्ट्रीयकृत व्यवसायिक बैंकों द्वारा आर्थिक कार्यकलापों की स्थापना हेतु वित्तीय-सुविधा कम ब्याज पर दी जाती है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत भूमि आवंटन, कृषक, मजदूरों की मजदूरी का निर्धारण बंधुआ मजदूरों की छुटकारा जल सम्पूर्ति की व्यवस्था सम्बन्धी कार्यक्रम चलाया जाता है। इस 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत बैंकों द्वारा वर्ष 1982 की योजना आर्थिक दशा सुधारने हेतु निम्नवत बनायी गयी है :-

क्र0सं0 विवरण	अभ्यर्थियों की संख्या	धनराशि
1- कृषि कार्य हेतु	1716	2277
2- कृषि संवर्गीय कार्य	662	2583
3- ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग	527	1271
4- लघु उद्योग	27	718
5- अन्य कार्य (स्वत: रोजगार)	569	6019
योग:-	3501	32768

6-4 हरिजन वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से अनुसूचित जाति एवं जनजातियों की आर्थिक दशा सुधारने हेतु 50 प्रतिशत मारजन मनी के रूप में सुविधायें प्रदान की जाती हैं। बैंकों द्वारा वर्ष 1981 तक निम्न प्रगति पायी गयी :-

क्र0सं0 मद का नाम	अभ्यर्थियों की संख्या	स्वीकृति धनराशि
1- कृषि	221	54570
2- अन्य सिंचाई	89	402650
3- पशुपालन	273	0 17400
4- ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग	953	2732442
5- व्यापार	15	33500
6- अन्य	26	64250
योग:-	1577	4595042

6-5 एकीकृत ग्राम विकास के अन्तर्गत निर्बल वर्ग एवं अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना चलायी जा रही है ।

00000=-=-=-=-=-=-=-=00000

000=-=-=-=-=-=-=-=000

00=-=-=-=-=-=-=-=00

0=-=-=-=-=-=-=0

0=-=-=-=0

अध्याय-7

::कृषि विभाग वर्ष 1987-88 हेतु प्रस्तावित चालू योजनायें ::

-: कृषि विभाग :-

कृषि विभाग की वर्ष 86-87 हेतु निम्न योजनाओं को प्रस्तावित किया जा रहा है।

7-1-1 प्रदेश के मैदानी भागों में बीज विधायन सयंत्र की स्थापना:-

उन्नतिशील प्रमाणित बीजों को उपलब्ध कराने हेतु उनका विधायन आवश्यक ही नहीं अपितु बीज अधिनियम के अन्तर्गत प्रमाणित बीज की उपलब्धता की दिशा में प्रथम प्रक्रिया है। बीज प्रमाणीकरण की प्रक्रियाओं का सम्पादन बीज विधायन सयंत्र मऊरानीपुर से किया जा रहा है। साथ ही प्रगतिशील कृषकों के बीजों के विधायन की भी व्यवस्था है। कृषकों से 10/= प्रति कुन्टल विधायन चार्ज भी लेने का प्राविधान है। इस प्रकार इस योजना से एक ओर कृषकों को उन्नतिशील प्रमाणित बीज उपलब्ध कराये जा रहे हैं, साथ ही राज्य को राजस्व की प्राप्ति होने की भी व्यवस्था है ।

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 85-86 में 1-35 लाख रूपया व्यय किया गया था वर्ष 1986-87 हेतु 70 हजार रूपये का परिव्यय स्वीकृत है तथा वर्ष 87-88 में इसे चालू रखने के लिए 75 हजार रूपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है ।

7-1-2 प्रदेश के मैदानी भागों में गुणात्मक बीजों सम्बर्द्धन संग्रहण एवं वितरण:-

कृषि उत्पादन के वांछित लक्ष्य की पूर्ति में शुद्ध एवं उन्नतिशील प्रजातियों के गुणात्मक बीजों का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्नतिशील कृषि विज्ञान की मान्यता के अनुसार उन्नतिशील बीजों के प्रयोग से 15-20प्रतिशत उत्पादन में वृद्धि लायी जा सकती है। यह तभी सम्भव है जबकि क्षेत्रीय अनुकूलता एवं उपयुक्तता के परिपेक्ष्य में स्थानीय प्रक्षेत्रों पर उन्नतिशील बीजों के सम्बर्द्धन एवं संग्रहण की व्यवस्था की जाये। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु इस जनपद में कुल 3 राजकीय प्रक्षेत्र-लखावटी, घिसौली एवं टॉडा बमरौली कार्यरत हैं । लखावटी स्थित परिक्षेत्र बहुत पुराना है, घिसौली एवं टॉडा-बमरौली छठी पंचवर्षीय योजना अवधि में स्थापित किये गये हैं। नव स्थापित प्रक्षेत्रों में संसाधनों की कमी है इनके सुदृढ़ीकरण के लिये निम्न कार्यक्रम प्रस्तावित हैं ।

§अ§- कृषि प्रक्षेत्र घिसौली पर ट्रैक्टर गैरिज का निर्माण:-

वर्ष 86-87 में इस प्रक्षेत्र के लिये एक ट्रैक्टर खरीदने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, इसको रखने के लिए 87-88 में ट्रैक्टर गैरिज का निर्माण प्रस्तावित है जिस पर 40 हजार रूपये व्यय होने का अनुमान है। गैरिज के लिये भूमि प्रक्षेत्र परिसीमा में ही उपलब्ध है तथा इसका निर्माण विभागीय एजेन्सी से ही कराया जायेगा। वर्ष 86-87 में गैरिज स्वीकृत नहीं किया गया था।

§ब§- कृषि प्रक्षेत्र घिसौली पर भूसा/ग्रेन गोदाम का निर्माण:-

प्रक्षेत्र की उपज अनाज/भूसे के रखरखाव के लिए मध्यम साइज के गोदाम के निर्माण का लक्ष्य है जिस पर 60 हजार रूपये का व्यय सम्भावित है। प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिये विभाग के पास भूमि उपलब्ध है तथा निर्माण विभागीय एजेन्सी द्वारा कराया जायेगा।

§स§- घिसौली परिक्षेत्र पर नाली निर्माण:-

इस नवसृजित प्रक्षेत्र में सिंचित सुविधाओं के विस्तार के अन्तर्गत 40 मीटर पक्की नाली बनाये जाने का लक्ष्य रखा गया है ताकि सिंचाई हेतु उपलब्ध जल का भरपूर उपयोग किया जा सके। इसकी अनुमानित लागत 40 हजार रूपये है।

§द§- नवसृजित प्रक्षेत्र टाँडा बमरोली हेतु 15 हार्सपावर के पावर थ्रेसर का क्रय:-

उत्पादित फसल की समय से मड़ाई एवं ओसाई के लिये पावर थ्रेसर क्रय किया जाना परम आवश्यक है जिस पर 10 हजार रूपये व्यय का अनुमान है।

§य§- प्रक्षेत्र टाँडा बमरोली ट्रैक्टर गैरिज का निर्माण:-

कृषि प्रक्षेत्र टाँडा बमरोली पर एक ट्रैक्टर गैरिज के निर्माण का प्रस्ताव है जिस पर 40 हजार रूपये व्यय होने का अनुमान है।

§र§- टाँडा बमरोली क्षेत्र में भूसा/ग्रेन गोदाम का निर्माण:-

घिसौली प्रक्षेत्र की भाँति इस प्रक्षेत्र पर ही भूसा एवं अनाज के भण्डारण के लिये 60 हजार रूपये की लागत से मध्यम साइज का गोदाम बनाने का प्रस्ताव है।

सिंचाई सुविधा हेतु 400 मीटर की पक्की नाली बनाने का प्रस्ताव है जिस पर अनुमान: 40 हजार रूपये व्यय सम्भावित हैं ।

इसी योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड बड़ागाँव के झरूआसागर नामक स्थान पर तथा विकास खण्ड बंगरा के लकरार नामक स्थान पर कृषि बीज भण्डार बनाया जाना प्रस्तावित है जिनकी विभागीय मानकों के अनुसार 3-50 लाख की लागत आती है ।

इस प्रकार कुल निर्माण कार्यों पर 6-40 हजार रूपये व्यय किया जायेगा तथा 1-60 हजार रूपये माल सम्पूर्ति एवं प्रक्षेत्रों की मजदूरी पर व्यय करने के लिए प्रस्तावित है। पूरी योजना पर वर्ष 87-88 में 8 लाख रूपये व्यय होगें।

7-1-3 केन्द्र द्वारा पुरोनिधारित दलहन फसल के उत्पादन की योजना:-

कृषकों तक संस्तुत कृषि तकनीकी एवं शस्य विधियों को पहुंचाने तथा उनको ग्रहण किये जाने का सरल ठोस एवं प्रभावी माध्यम "प्रदर्शन" ही है। जिसे कृषकों के खेतों पर आयोजित कर उनकी उपस्थिति में संस्तुत मात्रा में कृषि निवेश, कीटनाशक दवायें, राईजोवियम कल्चर शस्य क्रियायें कराई जाती हैं । आलोच्य वर्ष में 200 प्रदर्शन किये जाने का लक्ष्य है। इसके लिये 50 हजार रू0 का परिव्यय प्रस्तावत है ।

7-1-4 प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में कृषि रक्षा सेवा की योजना :-

कृषि रक्षा कार्यक्रम के सफल संचालन एवं कृषि रक्षा, रसायनों के वैज्ञानिक भण्डारण व्यवस्था के दृष्टिकोण से प्रत्येक विकास खण्ड क्षेत्र में कृषि रक्षा रसायन भण्डार गृह का निर्माण आवश्यक है। अब तक विकास खण्ड बबीना के अतिरिक्त कहीं विभागीय भण्डार की सुविधा उपलब्ध नहीं है। वर्ष 85-86 में विकास खण्ड बड़गाँव के झाँसी मुख्यालय पर एक भण्डारगृह स्वीकृत किया गया था जो निर्माणाधीन है। वर्ष 86-87 में विकास खण्ड मोंठ में कीटनाशक भण्डार का प्राविधान कराया गया है इस प्रकार तहसील झाँसी एवं मोंठ में कृषि रक्षा रसायनों के भण्डारण की सुविधा उपलब्ध हो गयी ।तहसील मऊरानीपुर एवं गरौठा के क्षेत्र में भी सुविधा उपलब्ध कराने जाने के उद्देश्य से वर्ष 87-88 में विकास खण्ड गुरसरांय के मुख्यालय पर एक भंडार गृह बनाये जाने का प्रस्ताव है जिस पर 1-25 लाख रूपये व्यय होनेका अनुमान है।इसके लिए भूमि उपलब्ध है। कृषि विभाग द्वारा स्वीकृत रेखाकृति के अनुसार परिव्यय रखा गया है । निर्माण विभागीय एजेंसी करेगी ।

इस प्रकार वर्ष 87-88 हेतु कृषि विभाग की 10-50 लाख रूपयों की

-: उद्यान एवं फल संरक्षण :-

7-2-0 प्रदूषण निवारण एवं मौसमी फलों की स्थानीय उपलब्धता बढ़ाने की दृष्टि से औद्योगिक कार्यक्रमों को तथा उपलब्ध फलों के संरक्षण प्रक्रिया एवं रख रखाव तथा खाद्य विज्ञान को प्रशिक्षण के प्रसार की दृष्टिकोण से जिला योजना 87-88 में सीमित परिव्यय के बावजूद भी उद्यान एवं फल संरक्षण विभाग की योजनाओं हेतु वित्त उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। उद्यान एवं फलोपयोग विभाग के निम्न कार्यक्रमों को प्रस्तावित किया जा रहा है।

(क)- उद्यान:-

7-2-1 वर्तमान उद्यानों, प्रक्षेत्रों/पौधशालाओं के सुधार की योजना:-

वर्तमान में जनपद झाँसी में राजकीय उद्यान नारायण बाग, झाँसी नगर/तथा राजकीय उद्यान(बरूआसागर)में स्थित है। झाँसी स्थित राजकीय उद्यान के चारों ओर बाउन्ड्री वाल नहीं है, जिससे आवारा जानवरों से उद्यान को काफी नुकसान पहुंचता है। इसके चारों ओर चाहरदीवारी होना परमावश्यक है यह दीवार 2500 मीटर लम्बी होगी। इसका निर्माण ग्रामीण अभियंत्रण सेवा से कराया जायेगा । ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा इस का 6-34 लाख रूपयों का अनुमानित व्यय आगणित किया है। जो विभागाध्यक्ष को भेज दिया गया है। वर्ष 87-88 हेतु कुल 3-00 लाख रूपये का परिव्यय प्रस्तावित किया जा रहा है।

7-2-2 प्रदेश के औद्यानिक उत्पादन एवं बीज विधायन इकाइयों की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण :-

यह एक चालू योजना है, जिसके अन्तर्गत 1,80,000 फलदार पौध उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इस परियोजना हेतु 1-0 लाख रूपयों का परिव्यय 87-88 हेतु प्रस्तावित है ।

7-2-3 प्रदेश के प्रमुख एवं पिछड़े हुए क्षेत्रों में औद्यानिक विकास की योजना

इस योजना के अन्तर्गत निम्न लक्ष्य प्रस्तावित है:-

(1)-	नये उद्यानों का रोपण-	60 हैक्टेयर
(2)-	आलू के अन्तर्गत अतिरिक्त क्षेत्रफल	55 हैक्टेयर
(3)-	मसाले के अन्तर्गत क्षेत्रफल-	55 हैक्टेयर
(4)-	शाकभाजी के अन्तर्गत क्षेत्रफल	35 हैक्टेयर

इस योजना हेतु 1-00 लाख रूपयों का परिव्यय प्रस्तावित है। इस प्रकार औद्यानिकी कार्यक्रम हेतु कुल 7-06 लाख रूपयों का परिव्यय प्रस्तावित है।

¦ब¦ फलोपयोग:-

7-2-3 इस योजना के अन्तर्गत जनपद में निम्न दो कार्यक्रम चलाये गये हैं:-

¦1¦- फल संरक्षण केन्द्र।

¦2¦- खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र।

सामुदायिक फल संरक्षण केन्द्रों के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण योजना के अन्तर्गत झांसी स्थित फल संरक्षण केन्द्र द्वारा वर्ष 87-88 में 35 हजार कि०ग्रा० फलों के संरक्षण एवं 500 छात्रों को फल संरक्षण विधियों के प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्यक्रम रखा गया है। इसके लिए 25 हजार रूपये का परिव्यय प्रस्तावित है।

7-2-4 जनपद मुख्यालय पर एक राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र उद्यान एवं फलोपयोग विभाग द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें निम्न दो पाठ्यक्रमों को चलाया जा रहा है।

¦1¦- 24 साप्ताहीय बेकरी, कुकरी तथा खाद्य संरक्षण का प्रशिक्षण।

¦2¦- 30 त्रिमासीय पाककला, पेन्टी तथा सम्मिलित कोर्स का प्रशिक्षण।

उक्त केन्द्र द्वारा 86-87 में प्रथम कोर्स में 50 तथा द्वितीय कोर्स में 80 प्रशिक्षार्थिनियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। स्थानीय जनता में इस कार्यक्रम के प्रति लोकप्रियता बढ़ रही है। वर्ष 87-88 में उक्त दोनों कोर्सों हेतु क्रमश: 30-90 छात्रों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य है। इस योजना में 2-15 लाख रूपये का व्यय प्रस्तावित है।

इस प्रकार उद्यान एवं फलसंरक्षण के संयुक्त कार्यक्रम हेतु क्रमश: 6-00 तथा 2-40 कुल 8-40 लाख रूपयों का परिव्यय प्रस्तावित है।

7-3-0 -:कृषि विपणन:-

जनपद झांसी की मंडी परिषद चिरगांव एवं मऊरानीपुर में निर्माणाधीन ग्रामीण गोदामों को पूरा करने के लिये वर्ष 1987-88 में 2-71 लाख रूपयों का परिव्यय¦राज्यांश¦ प्रस्तावित किया गया है। गत वर्ष इस योजना में 1-24 लाख रू०स्वीकृत था। यह केन्द्र पुरोनिधानित योजना है।

-: भूमि सुधार:-

7-4-0 सीलिंग से प्राप्त भूमि, भूमिहीनों, हरिजन एवं निर्बल वर्ग के लोगों में बांटी जाती है। ऐसे आवंटियों को कृषि करने हेतु शासन द्वारा सहायता

की जाती है। यह केन्द्र पुरोनिधानित कार्यक्रम है। इसके लिये 50 हजार रू० का परिव्यय वर्ष 87-88 हेतु रखा गया है ।

-: निजी लघु सिंचाई:-

7-5-0 अनुदान:-

शासन द्वारा निजी लघु सिंचाई विभाग के कार्यक्रमों का निम्न अनुदान देने का प्रस्ताव है ।

	हे० रू०
(1)- सामान्य कृषकों को अनुदान	1500-00
(2)- ब्लास्टिंग से कूप गहरा करने हेतु अनुदान	200-00
(3)- पठारी क्षेत्रों में ट्यूबवेल निर्माण	600-00
(4)- नि:शुल्क बोरिंग में डी०आर०डी०ए० के अन्तर का अनुदान।	100-00
योग:-	2400-00

7-5-1 बोरिंग गोदामों का निर्माण:- इस योजना के अन्तर्गत जिला गोदाम पर ब्लास्टिंग रिग इकाई हेतु ट्यूबलर शेड का निर्माण पूर्व में किया जा चुका है इसकी सुरक्षा हेतु आउन्ड्री वाल के लिये वर्ष 87-88 हेतु 1-00 लाख रूपयों का परिव्यय प्रस्तावित है। यद्यपि वर्ष 86-87 में राज्य योजना आयोग से बोरिंग गोदाम मद से कोई परिव्यय नहीं स्वीकृत था तथापि विभाग द्वारा 1-00 लाख रूपयों की स्वीकृति प्रदान कर दी थी ।

7-5-2 लघु सीमान्त कृषकों को नि:शुल्क बोरिंग कार्यक्रम:-

जनपद के सभी विकास खण्डों में नि:शुल्क बोरिंग का कार्यक्रम सम्पादित कराया जाना है एवं ब्लाक बबीना में इनवेल रिंग मशीन द्वारा नि:शुल्क बोरिंग कराया जायेगा ।इस हेतु 1-00लाख रूपये का प्राविधान रखा गया। अन्यवाय मद से ब्लास्टिंग यूनिट एवं रिग मशीनों पर कार्यरत स्टाफ का वेतन एवं भत्ता पर 3-50 लाख रू० परिव्यय रखा गया है। संयंत्र एवं उपकरण हेतु 1-00 लाख रू० का परिव्यय रखा गया है ।

इस विभाग के लिये वर्ष 83-84 हेतु 29-50 लाख रू० का परिव्यय रखा गया है।

-: राजकीय लघु सिंचाई :-

7-6-0 वर्ष 87-88 में स्पिल ओवर नलकूपों पर 3 नलकूपों का ऊर्जीकरण, 8 कि०मी० पक्की गूल, पी०वी०सी०पाइप लाइन, 180कि०मी०फील्ड चैनल, 2 नै

हाऊस का निर्माण, 5 एलीवेटेड टैंक्स का निर्माण तथा 3 पंपसेट की लोआरिंग प्रस्तावित है। इस कार्य के लिये 10-50 लाख रू0 का प्राविधान किया गया है। इसके अतिरिक्त 9-50 लाख रू0 का प्राविधान नये नलकूप के लिये रखा गया है। धनाभाव के कारण इस कार्यक्रम की आवश्यकता रहते हुये भी इसमें अतिरिक्त धन का प्राविधान नहीं किया जा सका ।

-: भूमि एवं जल संरक्षण:-

7-7-0 जनपद की पठारी संरचना एवं अनियंत्रित जल प्रवाह के कारण यहाँ भूक्षरण एक विषम समस्या है। वर्ष 85-86 तक जनपद में केवल एक इकाई ही कार्य करती थी। फरवरी 86 से विकास खण्ड बामौर, गुरसराय एवं मऊरानीपुर क्षेत्र में डी0पी0ए0पी0 स्थापित कर दी गई है। जो मुख्यत: डी0पी0ए0पी0 कार्यक्रम से वित्त पोषित होती है। इस काई के द्वारा सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत भी भूमि संरक्षण का कार्य किया जाता है। गत वर्ष (86-87) में जिला योजना वित्त से केवल 16-00लाख रू0 का परिव्यय स्वीकृत किया गया था, जिसे उप निदेशक भूमि संरक्षण झाँसी ने कृषि निदेशालय के निर्देशानुसार दोनों इकाईयों झाँसी सामान्य इकाई एवं डी0पी0ए0पी0 इकाई में से कुल परिव्यय 14-00लाख एवं 2-00 लाख के क्रमश: दोनों इकाईयों में बँटवा दिया था। इस वर्ष भी उ0नि0भूमि अधिकारियों की सहमति पर 20-00 लाख रूपया झाँसी सामान्य इकाई के लिये तथा 5 लाख रूपया डी0पी0ए0पी0 इकाई के लिये रखा गया है। इन इकाईयों को जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के सेक्टेरियल प्लान से भी वित्त उपलब्ध कराया जाता है। जी0एन0-3 में दर्शाये भौतिक लक्ष्य इकाई की क्षमता के अनुसार समस्त स्त्रोतों से प्राप्त वित्त से पूरे किये जायेंगे ।

-: पशुपालन :-

7-8-0 वर्ष 1986-87 में पशुपालन विभाग को इस जनपद में चालू कार्यक्रमों के सम्पादन हेतु 10-81 लाख रू0 का परिव्यय रखा गया था। आलोच्य वर्ष हेतु 10-50 लाख रूपयों का परिव्यय निम्न योजनाओं के संचालन, सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार हेतु प्रस्तावित है ।

7-8-1 पशुचिकित्सालय:- पशु स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार एवं विस्तार की योजना:-

इस योजना के अन्तर्गत 227-80 ह0रू0 का परिव्यय स्वीकृत किया गया जिसका कार्यभार विवरण निम्न प्रकार रखा गया है:-

Sub. National Systems Unit
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B, Sri Aurbindo Marg, New Delhi-110016
DOC. No. ...D-8174...
Date..16/6/87...

	मद	परिव्यय ह0रू0
(1)-	वर्तमान पशुचिकित्सालयों एवं पशु सेवा केन्द्रों हेतु औषधि, साज-सज्जा ।	50-00
(2)-	पूर्ण"डी" क्लास डिस्पेन्सरी हेतु वेतन मँहगाई भत्ता व यात्रा भत्ता ।	22-70
(3)-	पशु चिकित्सालय सम्थर तथा सीमा चौकी (नीती) के भवन का निर्माण कुल लागत 7-00 लाख रू0 में 87-88 हेतु स्वीकृत परिव्यय	155-10
	योग:-	227-80
7-8-2	(अ) खुरपका, मुंहपका रोग की रोकथाम हेतु प्रस्तावित परिव्यय	4-00
	(ब) पशुधन प्रक्षेत्र पर प्रजनन कार्य हेतु सांडों के उत्पादन की योजना के अंतर्गत कार्यरत प्रक्षेत्र पर सिंचाई कार्य हेतु 2 कि0मी0 पक्की गूल के निर्माण हेतु ।	50-00
	(स) प्रदेश में कृ0गर्भाधान केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण की योजना के अन्तर्गत निम्न कार्य पूरे किये जाने का लक्ष्य है ।	54-00
(1)-	कैटिल्स का क्रय नग 6	10-00
(2)-(अ)	आकस्मिक व्यय- 3 ग्रा0स0ख0 पर दर 1 ह0रू0 प्रति खंड	3-00
(ब)	13 कृ0ग्रा0 केन्द्रों हेतु(दर0-50ह0रू0)	6-50
(3)-	वी0ओ0एल0 3 मोटर साइकिलों एवं जीप हेतु	5-00
(4)-	18 ग्रा0 सं0 इकाइयों पर साज-सज्जा फर्नीचर आदि का क्रय दर प्रति इकाई 750/=रू0	13-50
(5)-	8 विदेशी वधियाकरण मशीनों का क्रय	16-00
	योग:-	54-00
	(द)-अतिहिमीकृत वीर्य द्वारा कृ0ग0कार्यक्रम के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार की योजना चालू केन्द्रों का रख रखाव हेतु ।	186-00
	(य)=नये कुक्कुट प्रक्षेत्रों की स्थापना तथा वर्तमान कुक्कुट प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण-	102-00

1- वेतन- 32-00
2- मँह0भत्ता 24-00
3-यात्राभत्ता 02-00
4- आहार

6- पक्षियों का रख-रखाव	10-00	
7- प्रकीर्ण व्यय	10-00	
8- साज-सज्जा	5-00	
	कुल:-	102-00

(2)- संयुक्त राष्ट्र बाल आपात निधि के सहयोग से व्यवहारिक पुष्टाहार की योजना-विकास खण्ड-चिरगांव 4-00

(अ)- राज्य में बकरी प्रजनन सुविधाओं का विस्तार के अन्तर्गत 22 बकरों का क्रय 9-00

(ब)- भेड़ प्रजनन सुविधाओं का विकास एवं सुदृढ़ीकरण तथा स्वास्थ्य सेवा में-नामक योजना के अन्तर्गत।

(1)- भेड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्र बबीना हेतु।	370-00	
(2)- 50 भेड़े खरीदना	15-00	118-00
(3)- भेड़ों को दवादान	66-00	
	118-00	

(स)- प्रदेश में ऊन विश्लेषण श्रेणीकरण तथा विपणन केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण एवं प्रचार की योजना -के अन्तर्गत निम्न मदों पर व्यय हेतु। 271-00

(1)-अधिकारी का वेतन	28-00
(2)-कर्मचारियों का वेतन	118-00
(3)-कार्यालय व्यय	25-00
(4)-कार्यालय भवन निर्माण	100-00
योग=	271-00

(स)- सूकर प्रजनन सुविधाओं के प्रसार एवं सुदृढ़ीकरण की योजना- बरेंठ, झांसी, मऊरानीपुर एवं गुरसरांय में सूकरों का रख रखाव। 8-00

(ह)- पशुधन विकास संबंधी प्रसार कार्यक्रम की योजना 4-20

(1)- दो प्रदर्शनियोजर व्यय 2-20

(2)- प्रदर्शनी सण्डल पर व्यय 2-00

(क्ष)- चारा/चारागाह, बीज के विकास की योजना चारा बीज क्रय। 10-00

योग:- 1050-00

:- मत्स्य पालन :-

7-9-2 :- मत्स्य पालन विभाग को मत्स्य विकास अभिकरण के कार्यक्रमों हेतु वर्ष 86-87 में कुल 4-50 लाख रू0 का परिव्यय दिया गया था, जिसमें से अभी तक केवल 2-25 लाख रू0 को आहरित कर बैंक में जमा मात्र किया गया है, इसका कोई उपभोग नहीं किया गया । विभागीय निर्देशानुसार 2-25 लाख रू0 दिसम्बर में आहरित किये जायेंगे । इस विभाग के पास अवशेष धन काफी होने के कारण वर्ष 87-88 हेतु केवल 3-60 लाख रू0 का ही परिव्यय स्वीकृत किया गया है ।

वन विभाग

7-10-0 :- जनपद झांसी में कुल वन क्षेत्र 32-5 हजार है0 है, जो जनपद के सम्पूर्ण क्षेत्रफल का 7% है । 1986-87 में वन विभाग के लिये 24-80 लाख रू0 का परिव्यय स्वीकृत किया गया था । वर्ष 1987-88 हेतु निम्न चालू योजनाओं हेतु 19-90 लाख रू0 का परिव्यय रखा गया है । इसके अतिरिक्त ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा सामाजिक वानिकी हेतु धन उपलब्ध कराया जायेगा एवं सेक्टोरल प्लान से भी इन दोनों मदों के अतिरिक्त धन उपलब्ध होगा ।

7-10-1 :- ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन प्रजातियों का वृक्षारोपण :- यह एक केन्द्र पुरोनिधानित योजना है । योजना का परिव्यय 15-00 लाख रू0 प्रस्तावित है जिसमें से 50% राज्यांश 7 50-00 जिला योजना में रखा गया है । इससे 30 लाख नई पौध तैयार की जायेगी तथा 20 लाख का रख-रखाव होगा । एक लाख रू0 राज्यांश पूंजीगत व्यय फेंसिंग एवं ट्री गार्डस पर व्यय हेतु रखा गया है ।

7-10-2 :- वन क्षेत्र में आवागमन के सुलभ बनाने हेतु वन क्षेत्र में 26 हजार रू0 की लागत से 2 पुलिया तथा 34 हजार रू0 की लागत से दो रपटे नालों पर बनाने का प्रस्ताव है ।

(1)	वन रेंज मोंठ -	एक रपटा
(2)	वन रेंज चिरगांव	एक रपटा
(3)	वन क्षेत्र मऊरानीपुर	एक पुलिया
(4)	,, बबीना	एक पुलिया

निर्माण कार्य विभाग द्वारा टेण्डर आमंत्रित कर कराया जायेगा ।

7-10-3 :- वन मनोरंजन/चेतना केन्द्र की स्थापना :- योजना में कृषक सूचना केन्द्र, केण्टीन, चिकित्सागृह, मृग बिहार एवं पवन चक्की का निर्माण किया जा चुका है । 86-87 में बीज भण्डार, मौन पालन केन्द्र व बायोगैस का निर्माण कार्य होगें । वर्ष 87-88 में निम्न कार्य प्रस्तावित है ।

(2)

		अनुमानित लागत
(1) शौचालय व स्नानागार	– एक	25 हजार रू0
(2) वानिकी संग्रहालय	– एक	60 हजार रू0
(3) मृग बिहार में शेड निर्माण	– एक	25 हजार रू0
	कुल 3 भवन	100–00 ह0रू0

7-10-4 :- आबादी से दूर स्थित वन क्षेत्र में वन कर्मियों को आवास सुविधा उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से 6 वन रक्षक चौकियों के निर्माण का प्रस्ताव है ।

ब्लाक	वन रेंज	निर्माण कार्य स्थल	वन चौकी सं0
1- गुरसरांय	गुरसरांय	मोती कटरा	1
2- बामौर	बामौर इकाई	डूडी	1
3- मोंठ	मोंठ	पनारी (वीट) कोयलारी ग्राम	1
4- मऊरानीपुर	मऊ	रेंज कम्पाउण्ड	1
5- बड़ागांव	झांसी	बनगंवा	1
6- चिरगांव	चिरगांव इकाई	पारौल वीट	1

7-10-5: वन कर्मचारियों को पेयजल सुविधा तथा टांगिया मजदूरों कृषकों को सुविधायें :-

(अ) जंगलों में रोपण, सीमांकन तथा पौधालय के कार्य में लगे श्रमिकों व कर्मचारियों के विश्राम हेतु चिरगांव इकाई के छिरौना पौधालय, तथा मोंठ रेंज के कुम्हड़ार पौधालय क्षेत्र में एक-एक लेवर हट बनाये जाने का प्रस्ताव है जिस पर 55 हजार रू0 की लागत आयेगी ।

(ब) मऊरानीपुर रेंज में रोरा विश्रम गृह में बिजली लगाने हेतु 30 हजार रू0 का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है ।

(स) झांसी रेंज में नगर रेंज परिसर में कर्मचारियों को पेयजल सुविधा हेतु एक हैण्डपम्प लगाने का प्रस्ताव है जिसके लिये 15-00 हजार रू0 का परिव्यय रखा गया है ।

7-7-6 :- सामाजिक वानिकी :- इस योजना के लिये वर्ष 87-88 के लिये 8 लाख रू0 का परिव्यय रखा गया है । इसके लिये जिला ग्राम्य विकास अभिकरण एवं सेक्टोरियल प्लान से वित्त व्यवस्था पृथक से की जायेगी ।

पंचायतराज

7-11-0 :- जनपद में 602 ग्राम सभायें है । यह गांव सभायें अपनी निजी आय एवं सरकारी अनुदान के द्वारा सार्वजनिक हित के कार्य संचालित करती हैं । वर्ष 86-87 हेतु इस विभाग के कार्यक्रमों के लिये 7-46 लाख रू0 के कार्यक्रम स्वीकृत किये गये थे । वर्ष 87-88 हेतु 8-50 लाख रू0 के निम्न कार्यक्रम प्रस्तावित किये जा रहे हैं ।

7-11-1 :- प्रबंधकीय सहायता के अन्तर्गत ऐसे पंचायत उधोग का चयन किया जाता है जिसका वार्षिक उत्पादन 50 हजार से एक लाख रू0 के मध्य रहा है । वर्ष 1987-88 हेतु पंचायत उधोग बामौर का चयन किया गया है जिसे 10 हजार रू0 की प्रबंधकीय सहायता का प्राविधान किया गया है । इसके अतिरिक्त 5-5 हजार बबीना तथा मऊरानीपुर को द्वितीय किस्त के रूप में देना प्रस्तावित है । इस योजना के अन्तर्गत कुल 20 हजार रू0 का प्राविधान किया गया है ।

7-11-2 पंचायत राज संस्थाओं के सुदृणीकरण हेतु उन्हे अपनी आय वृद्धि करने हेतु प्रोत्साहन :-

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 86-87 में 6000 रू0 का प्राविधान किया गया था । इसके अन्तर्गत जिले की 3 गांव सभाओं को गत 3 वर्षों में सबसे अधिक आय वृद्धि करने हेतु प्रथम पुरस्कार 3000 रू0 द्वितीय2000 रू0 तथा तृतीय एक हजार रू0 की दर से दिया जाता है । वर्ष 87-88 हेतु 6000 रू0 का प्राविधान रखा गया है ।

7-11-3 ग्रामीण पर्यावरण में स्वच्छता के लिये अनुदान :- वर्ष 1986-87 में इस योजना के अन्तर्गत 3-50 लाख रू0 का प्राविधान किया गया था । इसमें से 23 गांव सभाओं को 4 कि0मी0 खड़न्जा निर्माण का लक्ष्य है । वर्ष 87-88 के लिये 3-50 लाख रू0 का ही प्रस्ताव किया गया है ।

7-11-4 पंचायत भवनों का निर्माण :- वर्ष 86-87 में 2-50 लाख रू0 का प्राविधान रखा गया है । ग्राम सभायें 50% अनुदान देंगी । वर्ष 87-88 में 8 पंचायत भवनों के निर्माण करने हेतु 2-00 लाख रू0 का प्राविधान किया गया है ।

7-11-5 :- हाट बाजार तथा मेलों की स्थिति में सुधार हेतु गांव सभाओं को अनुदान :- इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 86-87 में 25 ह0 रू0 स्वीकृत हैं । हाट बाजार के चबूतरे निर्माण हेतु 50% अनुदान दिया जाता है । 87-88 में 4 गांव सभाओं से हाट बाजार हेतु 30 ह0 रू0 का प्राविधान रखा गया है ।

7-11-6 पंचायत उद्योगों की कार्यशाला का भवन निर्माण :- ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या हल करने एवं ग्रामीण अर्थ व्यवस्था सुधारने, ग्राम स्तर पर उपलब्ध कच्चे माल की स्थानीय खपत के उद्देश्य से और उपभोक्ताओं को उत्पादित माल सुलभ कराने के दृष्टिकोण से पंचायत उद्योगों की कार्यशालाओं का निर्माण आवश्यक है । इसके लिये 86-87 में 1 लाख रू0 का परिव्यय स्वीकृत है जिससे पंचायत उद्योग मऊरानीपुर एवं बड़ागांव में कार्यशाला भवन का निर्माण कराया जा रहा है । वर्ष 87-88 में पंचायत उद्योग मोंठ एवं बबीना की कार्यशाला भवन का निर्माण हेतु एक लाख रू0 का प्राविधान रखा गया है ।

7-12-0 प्रादेशिक विकास दल

युवावर्ग कल्याण हेतु विभिन्न चालू कार्यक्रमों हेतु वर्ष 86-87 में 2 लाख रू0 की स्वीकृति प्रदान की गई । वर्ष 87-88 हेतु निम्न कार्यक्रम प्रस्तावित है ।

7-12-1 स्वयं सेवकों का सुदृणीकरण :- §अ§ वर्दी व्यवस्था :- वर्ष 86-87 में इस इस कार्यक्रम हेतु 50 हजार रू0 का परिव्यय स्वीकृत है जिससे 48 स्वयं सेवकों को 118 वर्दी सेट देने की कार्यवाही की जा रही है। 87-88 में 150 स्वयं सेवकों को 150 वर्दी सेट देकर शान्ति सुरक्षा ड्यूटी पर लगाया जायेगा । जिसके लिये 200 रू0 प्रति वर्दी सेट की दर से 30 हजार रू0 का प्राविधान किये जाने का प्रस्ताव रखा गया है ।

§ब§ प्रशिक्षण :- उपरोक्त 150 स्वंयसेवाकों को 15 दिन का सैनिक प्रशिक्षण देना अनिवार्य है । मार्ग व्यय तथा प्रशिक्षण हेतु आवश्यक उपकरण की खरीद पर 15 रू0 प्रति व्यक्ति के हिसाब से 15 दिनों के लिये 33,750 ह0 रू0 का प्राविधान प्रस्तावित है ।

॥1॥ मानदेय :- सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण कार्य को व्यापक बनाने के लिये कुछ मानदेय स्वयंसेवकों को देना अनिवार्य है । 8 ब्लाक कमाण्डर, 65 हल्का सरदार कुल 73 व्यक्तियों को प्रति ब्लाक कमाण्डर 75 रू0 तथा प्रति हल्का सरदार 50 रू0 की दर से मानदेय के प्रस्ताव प्रस्तुत हैं । यह सदस्य अवैतनिक सदस्य है ।

क्रमसं0	पद	स्वीकृत ॥सं0॥	मानदेय की मासिक दर रू0	87-88 हेतु परिव्यय
1-	ब्लाक कमाण्डर	8	75-00	7200-00
2-	हल्का सरदार	65	50-00	39000-00
			कुल मानदेय राशि	46200-00

इस प्रकार सुदृणीकरण योजना पर वर्ष 87-88 हेतु निम्न परिव्यय प्रस्तावित है ।

मद	रू0
॥1॥ वर्दी	30,000
॥2॥ प्रशिक्षण	33,750
॥3॥ मानदेय	46,200
	109,950

7-12-2 युवक मंगल दलों को प्रोत्साहन :- जनपद की 602 ग्राम सभाओं में से प्रत्येक में युवक मंगल दल गठित है । इन स्वयं सेवी संगठनों को शासन द्वारा कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है । जबकि इनसे सच्चे नागरिक बनने एवं बनाने की अपेक्षा की जाती है । युवक मंगल दलों की बैठकें ग्राम सभा स्तर पर हुआ करती हैं । इस स्थान को युवक मिलन केन्द्र की संज्ञा दी गई है । इन युवक मिलन केन्द्रों के लिये दरी, रजिस्टर, चटाई, स्टेशनरी, गैसबत्ती, बक्सा, खेलकूद आदि के सामान की आवश्यकता है । वर्ष 87-88 में 8 विकास खण्ड में से 10 युवक मंगल दलों को प्रोत्साहन देकर उनके सदस्यों को रचनात्मक कार्यों में लाने की योजना है, इस के लिये 60 हजार रू0 का प्राविधान कार्यालय के फर्नीचर, पर्दा, चादर, बाक्स, साइक्लोस्टाइल, लेखन सामग्री एवं साइन बोर्ड आदि के लिये की जा रही है ।

7-12-3 युवक मंगल दलों का सेमीनार :- इस मद में एक हजार रू0 का प्राविधान 87-88 हेतु प्रस्तावित है ।

।1। ब्लाक स्तरीय सेमीनार	संख्या 8	दर 750 रू0 प्रति ब्लाकप्रति सेमीनार	कुल धनराशि 6,000
।2। जिला स्तरीय सेमीनार	कुल एक	5000 रू0 प्रति सेमीनार	4,000
		कुल व्यय	10,000

7-12-4 समाज सेवी कार्य, मेला, प्रदर्शनी, तीर्थयात्रा आदि :- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वयं सेवकों की ड्यूटी मेला तथा उत्सवों के अवसर पर लगाई जाती है जिसके लिये उन्हें ड्यूटी भत्ता देना प्रस्तावित है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन सफाई अभियान कार्यक्रम देवी आपदाओं में समाज सेवा कार्य इनसे लिया जाता है । इसलिये 8 विकास खण्डों हेतु 4 हजार रू0 का प्राविधान है ।

7-12-5 प्रकीर्ण व्यय :- प्रकीर्ण व्यय में 12 हजार रू0 का प्राविधान किया गया है ।

7-12-6 खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन :- विकास खण्ड/जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिये कुल 13 हजार रू0 का प्राविधान प्रस्तावित है ।

7-12-7 ग्रामीण क्षेत्रों में व्यायाम शाला को प्रोत्साहन :- वर्ष 87-88 हेतु विभागीय मापदण्डों के अनुसार एक लाख रू0 का परिव्यय प्रस्तावित है । साज सज्जा एवं उपकरण हेतु 25 हजार रू0 का परिव्यय एन0आर0 ई0पी0 से प्राप्त करने के निर्देश है ।

7-12-8 श्रमदान/प्रशिक्षण शिविर :- इस कार्यक्रम हेतु वर्ष 87-88 के लिये 25 हजार रू0 का प्राविधान प्रस्तावित है ।

7-12-9 युवकों का तैराकी प्रशिक्षण :- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विभागीय मानकों के अनुसार 10 हजार रू0 का परिव्यय प्रस्तावित है ।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल परिव्यय 343-95 हजार रू0 प्रस्तावित है ।

ग्राम्य विकास विभाग(सामुदायिक विकास)
(ब्लाक भवन)

7-13-0 :- इस जनपद के 8 विकास खण्डों में से 3 विकास खण्ड क्रमशः लड़ागांव, लंगरा एवं बागौर ऐसे विकास खण्ड हैं जिसमें कार्यालय भवन तो है परन्तु खण्ड विकास अधिकारी एवं अन्य विकास कार्यकर्ताओं के रहने हेतु आवासों की सुविधा उपलब्ध नहीं हैं । यह तीनों विकास खण्ड ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं । गत वर्षों भी इनकी योजना प्रस्तुत की गई थी परन्तु शासन स्तर से इनकी स्वीकृति नहीं मिली । प्रति विकास खण्ड निम्न आवासों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है ।

आवास का प्रकार	विकास खण्ड जहां निर्माण प्रस्तावित है ।		
	लड़ागांव	लंगरा	बागौर
1- बी0डी0ओ0 टाइप	1	1	1
2- ए0डी0ओ0 टाइप	8	8	8
3- मिनिस्ट्रियल टाइप	7	7	7
4- चतुर्थ श्रेणी टाइप	3	3	3

उपरोक्त 57 क्वार्टर के निर्माण हेतु भूमि विभाग के पास उपलब्ध है । भवनों का आंकलन ग्रामीण अभियंत्रण विभाग से लगवा लिया गया है । रेखाकृति आयुक्त कृषि उत्पादन एवं ग्राम्य विकास द्वारा स्वीकृत है । इन 57 क्वार्टर्स की कुल लागत 36-53 लाख रू0 आंकी गई है । वर्ष 87-88 हेतु कुल लागत का 40% के लगभग परिव्यय 15 लाख रू0 स्वीकृत किया गया है ।

क्षेत्रीय विकास

7-14-0 :- एकीकृत ग्राम्य विकास :- वर्ष 1986-87 में इस कार्यक्रम हेतु 48-00 लाख रू0 का परिव्यय शासन स्तर से (राज्यांश) स्वीकृत हुआ था । अभीष्ठ लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अभिकरण से 55-16 लाख रू0 व्यय करने के अनुमान प्रस्तुत किये हैं । इसमें से 8-60 लाख रू0 कार्यालय भवन निर्माण पर व्यय हुए हैं ।

वर्ष 87-88 हेतु शासकीय मानकों के अनुसार 6 लाख रू0 प्रति ब्लाक की दर से भी 48 लाख रू0 (राज्यांश) का परिव्यय रखा गया

9-0 लाख रू0 अभिकरण द्वारा प्रत्येक विकास खण्ड मुख्यालय पर स्टोर भवन/कार्यालय कक्ष एवं जिला कार्यालय भवन की पूर्ति में व्यय किया जाना प्रस्तावित है । भौतिक लक्ष्य जी0एन0-3 में दर्शाये गये हैं ।

7-15- :- सूखोन्मुखा कार्यक्रम :- इस जनपद के 3 विकास खण्डों में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके लिये 15 लाख रू0 प्रति ब्लाक की दर से 50% राज्यांश 22-50 लाख रू0 रखा गया है । सेक्टोरियल आवंटन विभागीय निर्देशानुसार रखे जायेंगे ।

7-16-0 :- लघु सीमांत कृषकों की उत्पादकता बढ़ाने हेतु आर्थिक सहायता :-

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 150 नि:शुल्क बोरिंग, 12 चेकडेम, 3 तालाब निर्माण एवं 225 व्यक्तियों को अनुदान से लाभांवित करने, 15000 मिनीकिट बांटने तथा 600 है0 क्षेत्र में भूमि सुधार कार्यक्रम चलाने के लक्ष्य प्राप्त करने हेतु 20 लाख रू0 का लक्ष्य रखा गया है ।

7-16-1 :- राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम :- वर्ष 86-87 में कुल 117-63 लाख रू0 का प्राविधान शासन द्वारा सूचित किया गया था जिससे राज्यांश 58-81 लाख रू0 था । इससे 4-86 लाख मानव दिवसों का रोजगार सृजन का लक्ष्य है ।

वर्ष 87-88 में कुल 120-00 लाख रू0 का परिव्यय प्राप्त होने की योजना है । जिससे 5-21 लाख मानव दिवसों का रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है ।

7-17-0 :- सहकारिता :- जनपद की अर्थ व्यवस्था में सहकारिता क्षेत्र का विशेष महत्व है । निर्बल वर्ग को महाजनी ऋण से मुक्त करने, कृषकों को कृषि ऋण उपलब्ध कराने के अतिरिक्त अब सहकारिता क्षेत्र को उपभोक्ताओं तक उपभोक्ता सामग्री पहुंचाने का दायित्व भी सौंपा गया है । गत वर्ष सहकारिता विभागको जिला सेक्टर योजना से 404 हजार रू0 रखा गया था ।

वर्ष 87-88 की जिला योजना से सहकारिता विभाग हेतु 5-70 लाख रू0 का परिव्यय प्रस्तावित है ।

7-17-1 :- सहकारी ऋण एवं अधिकोषण योजना :-

(अ) जिला सहकारी बैंक शाखाओं हेतु प्रबंधकीय अनुदान :- इस योजना के अन्तर्गत जिला सहकारी बैंक की शाखाओं को 8 हजार रू0 प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष तक प्रबंधकीय अनुदान उपलब्ध कराने की व्यवस्था है ।

जिसके अन्तर्गत टहरौली स्थित शाखा को वर्ष 1985-86 एवं 86-87 में दो किस्तें 16 हजार रू0 दिया जा चुका है । वर्ष 87-88 हेतु अन्तिम किस्त हेतु 8 हजार रू0 का प्राविधान है । गरौठा एवं मऊरानीपुर शाखाओं को वर्ष 86-87 में प्रथम किस्त उपलब्ध करा दी जायेगी । वर्ष 87-88 में इन दोनों शाखाओं को द्वितीय किस्त उपलब्ध कराने हेतु 16 हजार रू0 का प्रस्ताव है । मानिक चौक झांसी स्थित शाखा को 87-88 में प्रथम किस्त दी जायेगी । इस प्रकार इस योजना हेतु 30 हजार रू0 का प्राविधान रखा गया है ।

§ब§ जिला सहकारी बैंक शाखाओं का नवीनीकरण :- इस योजना के अन्तर्गत 5 हजार रू0 प्रति शाखा की दर से एक बार सहायता दी जाती है । वर्ष 87-88 में यह अनुदान सहायता मानिक चौक झांसी में नव प्रस्तावित शाखा, जिसकी स्थापना हेतु स्वीकृति निदेशक महोदय से प्राप्त हो चुकी है, के साज सज्जा हेतु 5 हजार रू0 उपलब्ध कराया जायेगा ।

§स§ निर्बल वर्ग §अनु0 जाति/जनजाति के लोगों को § को अंश क्रय हेतु मध्य कालीन ऋण /अंशदान :- इस योजना के अन्तर्गत निर्बल वर्ग §अनु0जाति/जनजाति § के 500 सदस्यों को समितियों के सदस्य बनाने हेतु अंश क्रय करने के लिये 100 रू0 प्रति की दर से 50 हजार रू0 का प्राविधान वर्ष 87-88 हेतु कराया गया है ।

7-17-2 :- क्रय विक्रय योजना :-

§अ§ प्रारम्भिक कृषि ऋण समिति को उर्वरक व्यवसाय हेतु सीमांत धन :-

वर्ष 86-87 में 11 समितियों को 15 हजार रू0 प्रति समिति की दर से कुल 165 हजार रू0 उपलब्ध कराया गया । वर्ष 87-88 में निम्न 20 समितियों को उर्वरक व्यवसाय हेतु 15 हजार रू0 प्रति समिति की दर से सीमांत धन देना प्रस्तावित है ।

1- हसारी साधन	11- गोंठ कृषक
2- बुरारा साधन	12- पूंछ ,,
3- कुआंगांव साधन	13- रेवन ,,
4- वालोड साधन	14- मऊरानीपुर कृषक
5- टोड़ी फतेहपुर	15- मठपुरा ,,
6- खेड़ैंनी	16- रानीपुर ,,
7- रिस्कल	17- उल्दन क्षेत्रीय
8- सेमरी कृषक	18- लहरगांव

(2) एकीकृत मार्जिन मनी ऋण योजना :- यह योजना वर्ष 85-86 से चालू की गई । पिछले वर्ष इस मद हेतु कोई धनराशि नहीं दी गयी थी । अभी तक इस योजना में 20 आवेदन पत्र लगभग 16 लाख रू0 के लम्बित पड़े हुए हैं । वर्ष 87-88 हेतु 5 लाख रू0 की मांग प्रस्तावित की गई है ।

7-17-3 3- मेले प्रदर्शनी :- वर्ष 86-87 में इस मद हेतु 25 हजार रू0 का बजट रखा गया जो मुक्त हो गया है । वर्ष 87-88 हेतु 25 हजार रू0 का प्राविधान किया गया है ।

7-17-4 :- उद्यमता विकास कार्यक्रम :- इस योजना के अन्तर्गत भावी इच्छुक उद्योगपतियों को उनके उद्योगों के चुनाव, उद्योगों की प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कराने तथा विभिन्न संस्थाओं एवं संबंधित विभागों के संबंध में जानकारी दिये जाने की व्यवस्था की जा रही है ।

7-17-5 राजकीय चीनी पात्र विकास केन्द्र :- जनपद झांसी में इस केन्द्र की स्थापना 6वीं योजनावधि में हुई थी ।

वर्तमानस्थिति :-

(अ) केन्द्र में वर्कशाप, पात्रकार- उद्यमी हेतु शेड एवं प्रशासकीय भवन इत्यादि के साथ कर्मचारियों द्वारा प्रशिक्षण का कार्य चलाया जा रहा है । जिसमें लगभग 100 प्रशिक्षार्थी अब तक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं ।

(ब) केन्द्र पर स्थापित 10 (दस) पात्रकार वर्कशेड सा0नि0वि0 से हस्तगत कर लिया गया है एवं पांच पात्रकारों को शेडों का आवंटन कर दिया गया है जिसके लिये उनकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर बैंकों से ऋण प्रदान करना स्वीकृत कर लिया है । केन्द्र में प्रथमवार 15 अगस्त 1986 से उत्पादन प्रारम्भ हो गया है । कच्चा माल बुन्देलखण्ड में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है ।

वर्ष 1987-88 के लक्ष्य :-

अवस्थापना व्यय :-

1-	वेतन	62,500=00
2-	महंगाई भत्ता	55,000=00
3-	यात्रा भत्ता	10,000=00
4-	अन्य भत्ते	5,000=00
5-	कार्यालय व्यय	40,000=00
6-	मशीनों का रखरखाव, भट्टी निर्माण लोडिंग शेड	2,38,000=00

7- विज्ञापन	1500=00
8- वाणिज्यिकप्रक्रिया (कच्चा माल)	2,50,000=00
	6,62,000=00

(1) वाणिज्यिक प्रक्रिया के अन्तर्गत 20 फुटी नयी भट्टी निर्माण का लक्ष्य है जिससे पाटरों की उत्पादन लागत कम होगी एवं विकास की दर एवं लाभ में बढ़ोत्तरी की सम्भावना है । इस पर 1-80 लाख रू0 व्यय का अनुमान है ।

(2) केन्द्र में कोयले की सुरक्षाहेतु कोल बंकर की कमी है, जिसे बनाना नितांत आवश्यक है । इस पर 50 हजार रू0 व्यय का अनुमान है ।

(3) भट्टी पर लोडिंग शेड बनावाने हेतु 8 हजार रू0 का प्रस्ताव रखा गया है ताकि सैगर तथा लोज किया हुआ माल वर्षा के दिनों में सुरक्षित लोडिंग एवं फायरिंग का कार्य किया जा सके ।

(4) चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने हेतु चायना क्लेक तथा अन्य प्रकार के फायर केमीकल्स, क्रय हेतु 50 हजार रू0 का प्राविधान रखा गया है ।

(5) विद्युत मद के लिये 15-00 हजार रू0 प्राविधानित है ।

(6) केन्द्र पर स्थित 12 फुटी डी0डी0 क्लिन की फायरिंग पूरे वर्ष में लगभग 200 मी0टन0 स्टीम कोल ग्रेड (बी) की आवश्यकता होगी । जिस पर 1-77 लाख रू0 का परिव्यय रखा गया है ।

हथकरघा :- वर्ष 86-87 में इस विभाग के लिये 2-75-20 हजार रू0 का परिव्यय स्वीकृत किया गया था । वर्ष 87-88 हेतु 27-60 रू0 का परिव्यय प्रस्तावित है ।

7-20-0 सडक एवं पुल :- जनपद झांसी को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 36-40 लाख रू0 का परिव्यय रखा गया था , जिससे 15 कि0मी0 लेपन, 5 कि0मी0 मिट्टी का कार्य, 14 पुलियां तथा 7-00 कि0मी0 सोलिंग स्तर तक के कार्य किये जाने का लक्ष्य है ।

वर्ष 87-88 में 21 कि0मी0 लेपन स्तर तक का कार्य, 6 कि0मी0 मध्य स्तर तक का कार्य तथा लघु सेतु बनाने का प्रस्ताव है । यह समस्त कार्य चालू कार्य है, जिनको इस वर्ष पूरा करने का लक्ष्य है ।

इसके लिये 33-67 लाख रू0 निर्माण लागत तथा 5-30 लाख रू0 सेन्टेज चार्जेज कुल 38-97 लाख रू0 का परिव्यय प्रस्तावित है ।

7-21-0 पर्यटन :- इस वर्ष "स्थानीय पर्यटन विकास" कार्यक्रम के अधीन निम्न कार्यक्रमों के लिये परिव्यय रखा गया था ।

(अ) लक्ष्मीताल का विकास झांसी- प्रदूषण का रोकना :- वर्ष 86-87 में इस कार्यक्रम हेतु 2-50 लाख रू0 दिया गया था । वर्ष 87-88 में 6-0 लाख रू0 का परिव्यय रखा गया है । प्रदूषण कार्य के अनुमान तैयार कराकर पर्यटन विभाग को भेजे दिये गये हैं ।

(ब) मण्डी समिति झांसी से महाराजा गंगाधर राव की छतरी तक सड़क का निर्माण :- वर्ष 86-87 में 2-30 लाख रू0 कापरिव्यय रखा गया था जिससे यह कार्य पूरा कर लिया जायेगा ।

(स) झांसी मण्डी समिति से नारायणा बाग तक के मार्ग का विद्युतीकरण

यह मार्ग मण्डी समिति के निकट स्थित बस स्टैण्ड से झांसी के आकर्षक पर्यटन स्थल नारायणा बाग, खाकी शाह के मजार की ओर जाती है । झांसी पर्यटन गृह में ठहरने वाले पर्यटकों के लिये मुख्य आकर्षण का केन्द्र है । यह सड़क नगरपालिका क्षेत्र से बाह्य सीमा पर स्थित है तथा सैलानियों का प्रमुख आकर्षण केन्द्र हैं । नगरपालिका झांसी इसका विद्युतीकरण करने की स्थिति में नहीं है । इस संदर्भ में संबंधित विभाग ने नगरपालिका झांसी से वार्ता कर ली है । पर्यटन गृह झांसी में ठहरने वाले सैलानियों को आकर्षण प्रदान करने के दृष्टिकोण से यह योजना पर्यटन विभाग में अपने हाथ ले ली हैं । तथा इसके विद्युतीकरण के लिये 87-88 की योजना में 4-00 लाख रू0 का परिव्यय रखा गया है ।

7-22-0 सामान्य शिक्षा :-

(1) बेसिक शिक्षा :- जिला योजना के अन्तर्गत वर्ष 87-88 के लिये 19-105 लाख रू0 का प्रस्ताव किया गया है । जिनके अन्तर्गत निम्न योजनाओं रखी गयी हैं ।

ग्रामीण तथा नगर क्षेत्र में भवन रहित जू0 बेसिक विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु अनुदान :- सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में 3 भवनहीन प्राइमरी विद्यालयों को बनाने हेतु शासन द्वारा 258-4 हजार रू0 रखा गया था जो निर्माण ऐजेंसी को दे दिया गया है ।

वर्ष 87-88 में 3 विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु 258-4 हजार रू० का परिव्यय विभागीय मानकों के अनुकूल प्रस्तावित किया जा रहा है ।

7-22-2 अस्थायिक मान्यता प्राप्त अशासकीय सी०बे० स्कूलों को अनुरक्षण
_______अनुदान :-_ सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ से अब तक कोई भी विद्यालय अनुदान सूची पर नहीं लिया गया है । पूर्व में आये 2 विद्यालयों को वचनबद्ध व्यय की धनराशि की मांग 2 लाख रू० की मांग की जा रही है ।

7-22-3 ग्रामीण तथा नगर क्षेत्र के सी०बे० स्कूलों के भवन निर्माण हेतु
_______अनुदान :-_ वर्ष 1986-87 में इस योजना के अन्तर्गत एक विद्यालय भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई थी । वर्ष 87-88 हेतु भी एक विद्यालय भवन का भी प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है ।

7-22-4 ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित जू० बे० विद्यालय खोलने हेतु अनुदान :-

वित्तीय अल्पता के कारण वर्ष 87-88 में नये विद्यालय खोलने के प्रस्ताव नहीं स्वीकृत किये जा रहे हैं, केवल 85-86 में खोले गये 2 विद्यालयों के वचनबद्ध व्यय को पूरा करने हेतु 42-0 हजार रू० की मांग की जा रही है ।

7-22-5 जू० बे० स्कूलों में विज्ञान शिक्षा में सुधार एवं विज्ञान साज सज्जा
_______हेतु अनुदान :-_ इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 85-86 में कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई । वर्ष 1986-87 में 17 विद्यालयों में साज सज्जा उपलब्ध कराने हेतु 10 हजार रू० अनुमोदित किया गया था । इस वर्ष §87-88§ हेतु भी 17 विद्यालयों को अनुदान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 10 हजार रू० की मांग प्रस्तावित है ।

7-22-6 ग्रामीण क्षेत्रों में छात्र संख्या में वृद्धि तथा स्थिरता हेतु निर्बल वर्ग के बालकों एवं बालिकाओं को पाठ्य पुस्तके वितरणार्थ हेतु
_______प्रोत्साहन अनुदान :-_ इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1985-86 में 10 हजार रू० की धनराशि स्वीकृत की गई थी जिससे 100 छात्रों को पाठ्य पुस्तके निःशुल्क दी जा चुकी हैं । वर्ष 1986-87 में भी 100 छात्रों को लाभान्वित करने हेतु व्यय अनुमोदित है । वर्ष 87-88 में भी 100 छात्रों को लाभान्वित करने के आशय से 10 हजार रू० की धनराशि प्रस्तावित है ।

7-22-7 नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वय वर्ग 6-14 के बच्चों के लिये अंशकालिक कक्षायें खोलने के लिये अनुदान :- इस योजना के अन्तर्गत दठी पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत खोले गये केन्द्रों पर व्यय हेतु 7-16 लाख रू0 की धनराशि की मांग की जा रही है ।

7-22-8 ग्रामीण क्षेत्रों में बालक एवं बालिकाओं के सी0बे0 स्कूल खोलने हेतु अनुदान :- इस योजना के अन्तर्गत पूर्व में खोले गये विद्यालयों में कार्यरत शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के वेतन आदि भुगतान हेतु बचनबद्ध धनराशि को शामिल करते हुए एक नया विद्यालय खोलने हेतु प्रस्ताव रखा गया है । इस प्रकार कुल 379-1 हजार रू0 का प्रस्ताव किया गया है ।

7-22-9 प्रत्येक जिले में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय का सुदृणीकरण :- इस मद में गत वर्ष 16 हजार रू0 मांगा गया था । इस वर्ष भी उतनी ही धनराशि का प्रस्ताव है ।

7-22-10 प्रदेश के प्रत्येक जिले में कक्षा 6से 8 तक 15/- रू0 प्रति माह की दर से 3 वर्ष के लिये योग्यता छात्रवृत्ति :- इस योजनाके अन्तर्गत वर्ष 86-87 में 220 छात्रों के लिये परिव्यय शासन स्तर पर से स्वीकृत किया गया था । वर्ष 87-88 हेतु भी 220 छात्रों को छात्रवृत्ति देने का प्रस्ताव है ।

7-22-11 बेसिक स्कूलों के अध्यापकों को पु दक्षता पुरस्कार :- सातवीं पंच-वर्षीय योजनाके आधार वर्ष में 8 अध्यापकों को दक्षता पुरस्कार स्वीकृत करने की स्वीकृति प्रदान की गयी । वर्ष 1986-87 में 8 अध्यापकों को पुरस्कृत करने हेतु धन सी स्वीकृत हैं । वर्ष 87-88 में 10 अध्यापकों को पुरस्कृत करने के उद्देश्य से 5 हजार रू0 का प्रस्ताव किया गया है ।

7-22-12 नि:शुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने तथा सी0बे0 स्कूलों में पाठ्य पुस्तक बैंक स्थापित करने हेतु अनुदान :- इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1986-87 में 8 सी0 बे0 स्कूलों में बुक बैंक खोलने हेतु स्वीकृति मिल चुकी हैं । वर्ष 87-88 में 3 सी0 बे0 स्कूलों में बुक बैंक स्थापित करने हेतु 10 हजार रू0 के प्रस्ताव रखें जा रहे है ।

7-22-13 ग्रामीण क्षेत्रों कें सी0 बे0 स्कूलों के लिये साज सज्जा हेतु अनुदान :- वर्ष 85-86 में 15 सी0 बे0 स्कूलों में साज सज्जा की सुविधा उपलब्धा कराई जा चुकी हैं। वर्ष 86-87 में भी 15 स्कूलों को साज सज्जा की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है । वर्ष 87-88 में 15 अन्य स्कूलों में साज सज्जा उपलब्ध कराने हेतु 45 हजार रू0 की मांग प्रस्तावित है ।

7-22-14 जूनियर बेसिक स्कूलों में शिक्षण सामग्री हेतु अनुदान :-

वर्ष 86-87 में 15 विद्यालयों में शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है । वर्ष 87-88 में 15 अतिरिक्त विद्यालयों के शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 15 हजार रू० का परिव्यय प्रस्तावित है ।

7-22-15 निर्बल वर्ग के बच्चों को पोशाक देने की व्यवस्था :- वर्ष 85-86 में इस योजना के हेतु शासन स्तर से स्वीकृति न मिलने के कारण 87-88 में इस मद में कोई पैसा नहीं मांगा जारहा है ।

7-22-16 ग्रामीण तथा नगर क्षेत्र के सीनियर बेसिक विद्यालयों में विज्ञान शिक्षण में सुधार एवं विज्ञान सज्जा हेतु अनुदान :- इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1985-86 में 3 विद्यालयों को विज्ञान किट प्रदान करने की स्वीकृति प्राप्त हुई । वर्ष 86-87 में 3 विद्यालयों को विज्ञान साज सज्जा हेतु विज्ञान किट प्रदान करने का प्राविधान है । वर्ष 1987-88 में भी 3 विद्यालयों को विज्ञान कट उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 15 हजार रू० की मांग प्रस्तावित है ।

7-22-17 अरेबिक मदरसों को अनुरक्षण अनुदान :- वर्ष 1985-86 में किसी भी अरेबिक मदरसे को अनुरक्षण अनुदान प्राप्त नहीं हुआ । वर्ष 1986-87 में एक विद्यालय को अनुदान प्रदान करने की व्यवस्था है । 1987-88 में इस मद के अन्तर्गत 2 हजार रू० की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

7-22-18 माध्यमिक शिक्षा :- माध्यमिक शिक्षा की निम्न योजनाओं हेतु परिव्यय वर्ष 87-88 हेतु स्वीकृत कर दिया गया है ।

1. खेलकूद तथा योजना	(परिव्यय ह० रू०)
(1) खेलकूद तथा अन्य विद्यालयों के वार शैक्षिक कार्यक्रमों तथा युवकों के कल्याण हेतु प्राविधान	17-00
(2) उ० मा० विद्यालय में बालचर योजना का प्रसार	2-00
(3) वर्तमान राजकीय जिला पुस्तकालयों का विकास तथा नये जिला पुस्तकालयों की स्थापना	150-00
(4) सार्वजनिक पुस्तकालयों को विकास अनुदान	5-00
(5) संस्कृत पाठशाला विकास अनुदान	6-00
(6) रा० उ० वि० के भवनों का निर्माण एवं विद्युतीकरण तथा विशेष मरम्मत	8-00

इसमें क्रमांक 3 पर वर्णित पुस्तकालय भवन शिक्षा विभाग के परिसर में निर्माणाधीन है जिसे पूरा करने के लिये एक लाख रू0 का परिव्यय रखा गया है । 50 हजार रू0 राजस्व व्यय है ।

7-23-0 खेलकूद :- खेलकूद विभाग के चालू कार्यक्रमों के लिये वर्ष 86-87 में 3-32 लाख रू0 का परिव्यय स्वीकृत हुआ था जिसमें से 2-18 लाख रू0 तरणताल के निर्माण के लिये सा0नि0वि0 को दे दिये गये हैं ।

वर्ष 87-88 में तरणताल के कार्य को पूरा कराने के आशय से 10-00 लाख रू0 का परिव्यय प्रस्तावित है । अब तक स्थानीय सा0 निर्माण विभाग को 12-18 लाख रू0 प्रमुख अभियंता के माध्यम से प्राप्त हो चुके हैं ।

शेष योजनायें चालू कार्यक्रमों की आपूर्ति हेतु परिव्यय रखा गया है । इस विभाग को 87-88 हेतु कुल 11-424 लाख रू0 का परिव्यय स्वीकृत किया गया है ।

7-24-0 प्राविधिक शिक्षा :- वर्ष 86-87 में इस विभाग को 2-30 लाख रू0 का परिव्यय चालू कार्यक्रमों के संचालन हेतु स्वीकृत किया गया था । वर्ष 1987-88 हेतु निम्न कार्यक्रमों के लिये 9-88 लाख रू0 का परिव्यय प्रस्तावित है ।

(1) डाईवर्सीफाइड पाठ्यक्रमों का प्रारम्भ करना :-

इस विभाग का यह चालू कार्यक्रम है जिसके अन्तर्गत छठी योजनावधि में 2-54 लाख रू0 व्यय किया गया । 85-86 में इस विभाग के लिये जिला स्तर में तो वित्तीय प्राविधान स्वीकृत किया गया था, परन्तु शासन स्तर से प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत न हो सकी । वर्ष 86-87 में पुनः 1-50 लाख रू0 का प्राविधान किया गया है तथा इतना ही धान 87-88 के लिये प्रस्तावित है ।

(2) साज सज्जा का आधुनिकीकरण :- उ0 प्र0 शासन द्वारा डिप्लोमा अभियंत्रण कोर्स के आधुनिकीकरण किये जाने के फलस्वरूप प्रयोग-शालाओं/वर्कशापों में आधुनिक उपकरण एवं मशीनें उपलब्ध कराने के अभिप्राय से इस कार्यक्रम हेतु 1-50 लाख रू0 का परिव्यय रखा गया है ।

(3) पालीटेकनिक के विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 87-88 में स्थानीय पालीटेकनिक में चल रहे इलेक्ट्रानिक एवं आटोमोबाइल कार्यक्रमों केलिये पृथक भवन उपलब्ध न होने से शिक्षण कार्य में काफी बाधा पडती है । यह मांग विगत वर्ष भी प्रस्तुत की गयी थी । इस वर्ष एक ट्रेड इलेक्ट्रानिक्स हेतु 150 वर्गमीटर कारपेट एरिया के कमरे, 120 वर्गमीटर कारपेट एरिया के 2 क्लास रूम, 30 वर्गमीटर का स्टाफ रूम तथा 120 कारपेट एरिया का एक ड्राइंग हाल निर्माण किया जाना प्रस्तावित है । निर्माण हेतु प्रस्तावित कुल कारपेट एरिया 870 वर्गमीटर है । प्लिंथ एरिया 1218 वर्गमीटर है जिसकी लागत 1250/- रू० प्रति वर्गमीटर की दर से 15-23 रू० आंकलित किया गया है । इसका 40% के लाभ का परिव्यय 6-10 लाख रू० 87-88 हेतु रखा गया है । भूमि विभाग के पास उपलब्ध है ।

(3) पुस्तकालय का सूचीकरण :- गत वर्ष इस मद में 20 हजार रू० परिव्यय स्वीकृत किया गया था । इसमें वर्ष 87-88 हेतु एफ०पी०एस० सिस्टम की किताबों के स्थानपर एम०के०एस० सिस्टम की किताबें खरीदने के लिये 62-5 हजार रू० का परिव्यय रखा गया है ।

(4) विद्यार्थियों को सुविधा :- संस्था में ठंढे पानी पीने के लिये कोई सुविधा इस समय नहीं हैं । विद्यार्थी सदैव इसकी मांग करते हैं । अतएव 87-88 में दो वाटर कूलर क्रय करने हेतु 16 हजार रू० का प्राविधान किया गया है ।

7-25-0 चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य :- जिला सेक्टर योजना के अन्तर्गत चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य की मुख्य चिकित्साधिकारी एवं क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अधिकारी के अधीन कार्यरत एवं नवीन परियोजनाओं के लिये वर्ष 87-88 हेतु निम्न परिव्यय प्रस्तावित किया जा रहा है ।

प्रस्तावित परिव्यय		चालू योजना हेतु परिव्यय हजार रू०	नई योजना हेतु परिव्यय हजार रू०
(1) मुख्य चिकित्साधिकारी अधीन		4300-00	590-00
(2) क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अधिकारी		823-00	120-00
	योग	5123-00	710-00
	या कुल योग		5713-00

योजनावार विवरण एवं औचित्य

चालू योजना (मुख्य चिकित्साधिकारी)

7-25-1 प्रा0 स्वा0 केन्द्रों का भवन निर्माण :- वर्ष 87-88 में जिला सेक्टर योजना के अन्तर्गत केवल 2 प्रा0 स्वा0 केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु धन मांगा जा रहा है । प्रा0 स्वा0 केन्द्र गुरसराय जो कि वर्ष 85-86 में स्वीकृत हुईथी के लिये वर्ष 87-88 में 6-00 लाख रू0 मांगा गया है । और आशा है की जाती है कि वर्ष 87-88 में यह भवन बनकर पूर्ण हो जायेगा । अत: और धन की आवश्यकता नहीं होगी ।

प्रा0 स्वा0 केन्द्र बड़ागांव में वर्ष 85-86 में भूमि विलम्ब से प्राप्त होने के कारण वर्ष 85-86 एवं 86-87 में शासन द्वारा धन का आवंटन नहीं किया गया था । अब बड़ागांव में भूमि उपलब्ध हो गयी है तथा भूमि को विभाग ने हस्तगत कर लिया है । शासन के मानकों के अनुसार एक प्रा0 स्वा0 केन्द्र पर लगभग 12-13 लाख रू0 व्यय होता है तथा 3 वर्ष में भवन पूर्ण हो पाता है । चूंकि प्रथम वर्ष में स्वीकृतियां कुछ विलम्ब से प्राप्त होती हैं । अत: वर्ष 87-88 में बड़ागांव के लिये केवल 2-00 लाख रू0 इस आशय से मांगा जा रहा है कि वह उसी वित्तीय वर्ष में व्यय हो जायेगा ।

7-25-2 उपकेन्द्रों का भवन निर्माण :- वर्ष 87-88 में 18 उपकेन्द्रों को भवन निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है । शासन के मानकों के आधार पर एक लगभग एक लाख रू0 की लागत आती है । इन 18 उपकेन्द्रों में पिछले वर्षों में प्रस्तावित कोई उपकेन्द्र सम्मिलित नहीं हैं और न ही पिछले वर्षों में प्रस्तावित उपकेन्द्रों के पूर्ण होने करने हेतु वर्ष 87-88 में धन का प्रस्ताव किया गया है ।

प्रस्तावित उप केन्द्रों के नाम :- (1) चमरुआ, (बबीना) (2) इसलिया (बबीना) (3) छपरा (कोछभांवर), (4) जरवो (कोछभांवर), (5) चेलरा (चिरगांव), (6) बरल (चिरगांव), (7) बझेरा (चिरगांव), (7) कुम्हरार (मोंठ), (9) सिमिरिया (मोंठ), (10) बड़ोखरी (मोंठ), (11) रजपुरा (बंगरा), (12) पड़रा (बंगरा), (13) ककवारा (झुरानीपुर), (14) सिंगावली (झुरानीपुर), (15) ठकरवारा (झुरानीपुर), (16) भसनेह (गुरसराय) (17) गोरपुरा (गुरसराय), (18) बरगपुरा (बागौर)

7-25-3 नये प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना :- वर्ष 87-88 में 5 नये प्रा0 स्वा0 केन्द्रों की स्थापना हेतु प्रस्ताव रखा गया है । ये प्रा0 स्वा0 केन्द्र 30,000 की जनसंख्या पर स्थापित होते हैं । तथा इनके अधीन 5-6 उपकेन्द्र होते हैं । वर्तमान में स्टेट एलोपैथिक डिस्पेंसरी एवं स्टेट आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी को परिवर्तित करके नये प्रा0 स्वा0 केन्द्रों की स्थापना की जा रही है जिससे कि वित्तीय भार कम हो जाता है । विभागीय मानकों के अनुसार एक नये प्रा0 स्वा0 केन्द्र की स्थापना पर लगभग 70-00 हजार रू0 व्यय होता है । स्थापना वर्ष में केवल "6 माह के लिये धन का प्राविधान किया गया है ।

वर्ष 85-86 एवं वर्ष 87-88 में स्वीकृत एवं स्थापित प्रा0 स्वा0 केन्द्र रखरखाव के लिये धन का प्राविधान किया गया है ।

प्रस्तावित नये प्रा0 स्वा0 केन्द्रों के नाम निम्न है ।

(1) रक्सा, (2) रेवन, (3) शाहजहांपुर, (4) टहरौली, (5) रानीपुर

7-25-4 सामुदायिक प्रा0 स्वा0 केन्द्रों की स्थापना एवं भवन निर्माण :-

वर्ष 87-88 में दो सा0 प्रा0 स्वा0केन्द्रों बवीना एवं मऊरानीपुर के रखरखाव हेतु 3-95 लाख रू0 का प्राविधान किया जा रहा है ।

वर्ष 87-88 में प्रा0 स्वा0 केन्द्र चिरगांव के उन्नयन का प्रस्ताव रखा गया है । शासनादेशानुसार एक उच्चीकृत प्रा0 स्वा0 केन्द्र के भवन निर्माण की लागत लगभग 47-00 रू0 लाख आती है । एवं एक उच्चीकृत प्रा0 स्वा0 केन्द्र का भवन निर्माण में लगभग 3-4 वर्ष लगते है । अत: चिरगांव में वर्ष 87-88 में निर्माण कार्य प्रारम्भ करने हेतु केवल 7-05 लाख रू0 की मांग की गई है ।

नई योजनायें

7-25-6 (1) चीर घर का निर्माण :- वर्ष 87-88 में उच्चीकृत प्रा0 स्वा0 केन्द्र पर पहले से स्वीकृत चीरघर के निर्माण के लिये धन का प्राविधानन किया गया है । मऊरानीपुर एक तहसील स्तरीय चिकित्सालय है तथा पोस्ट मार्टम सेंटर है । चीरघर बहुत ही जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं । जिसका निर्माण होना आवश्यक है । इसके भवन निर्माण हेतु 3-00 लाख रू0 की मांग की गयी है ।

7-25-7 §2§ अस्पतालों में विशिष्ट उपचार सेवाओं की व्यवस्था :-

वर्ष 87-88 में दो उच्चीकृत प्रा० स्वा० केन्द्र मोठ एवं मऊरानीपुर में दन्त शल्यशाला की स्थापना हेतु धन का प्राविधान किया गया है। अभी तक जनपद में केवल जिला चिकित्सालय में ही यह सुविधा उपलब्ध है ग्रामीण क्षेत्रों में इस इकाई की स्थापना होना आवश्यक है। 60 हजार रू० का प्राविधान प्रस्तावित है।

§3§ शहरी/ग्रामीण होम्योपैथिक चिकित्सा इकाई की स्थापना :-

अभी तक इस चिकित्सा पद्धति से इलाज की सुविधा जनपद झांसी में केवल जनपद मुख्यालय पर ही उपलब्ध है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में इस पद्धति के विस्तार हेतु प्रा० स्वा० केन्द्र गुरसराय में एक होम्योपैथिक चिकित्सा इकाई की स्थापना हेतु वर्ष 87-88 में धन का प्राविधान किया गया है। प्रा० स्वा० केन्द्र में ही स्थापना से वित्तीय भार कम हो जायेगा एवं पद्धति का विस्तार होगा। इसकी स्थापना हेतु स्थापना वर्ष में लगभग 30-00 हजार रू० व्यय होगा।

7-25-8 अस्पतालों में साज सज्जा एवं अन्य आवश्यक सामग्री की पूर्ति :-

इस जनपद में तीन प्रा० उच्चीकृत प्रा० स्वा० केन्द्र कार्यरत है जिसमें वर्ष 87-88 में केवल एक उच्चीकृत प्रा० स्वा० केन्द्र मऊरानीपुर में जनरेटर लगाने हेतु धन का प्राविधान किया जा रहा है। उच्चीकृत प्रा० स्वा० केन्द्र मऊरानीपुर एक तहसील स्तरीय चिकित्सालय है तथा इसके साथ एक पी०पी० सेण्टर एवं एक महिला चिकित्सालय भी कार्यरत है। मऊरानीपुर एक पोस्ट मार्टम सेण्टर है। यह उच्चीकृत प्रा० स्वा० केन्द्र इस समय लगभग चार प्रा० स्वा० केन्द्रों के मरीजों को विशेष चिकित्सीय सुविधायें प्रदान करता है। अतः यहां पर डीजल जनरेटर की व्यवस्था आवश्यक है। एक जनरेटर पर लगभग 2-00 लाख रू० आता है। जिसमें 186-00 हजार रू० जनरेटर की लागत है एवं 14-00 हजार रू० वेतन एवं रखरखाव हेतु हैं।

आयुर्वेदिक चिकित्सा

7-25-9 **प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में नये आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों की स्थापना :-** वर्ष 1986-87 में प्रस्तावित आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में से शासन स्तर से केवल दो चिकित्सालयों ग्राम रमपुरा एवं धमना विकास खण्ड चिरगांव की ही स्वीकृति प्रदान की गई है। विकास खण्डवार आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं औषधालयों की स्थिति निम्न प्रकार हो गई है।

ब्लाक	कार्यरत चिकित्सालय/औषधालय संख्या
1- बबीना	[illegible]
2- बामौर	1
3- बंगरा	4
4- बड़ागांव	2
5- चिरगांव	3
6- गुरसरांय	2
7- मऊरानीपुर	2
8- मोंठ	2
योग =	17

क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के उद्देश्य से वर्ष 87-88 में ग्राम मढ़िया, ग्राम वैदोरा एवं ग्राम राजापुर में नये चिकित्सालय/औषधालय खोलने का प्रस्ताव है। प्रत्येक नये चिकित्सालय हेतु रू0 50 हजार प्रति चिकित्सालय की दर से एवं चालू चिकित्सालयों के रखरखाव हेतु 30 हजार रू0 प्रति चिकित्सालय की दर से कुल 2-40 लाख रू0 का परिव्यय प्रस्तावित है।

7-25-10 **शहरी क्षेत्रों में 25 शैयायुक्त नये आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों की स्थापना :-** वर्ष 86-87 में जनपद के तहसील मुख्यालय मऊरानीपुर जो हरिजन बाहुल्य क्षेत्र है एवं 25 शैयायुक्त आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय की स्वीकृति प्रदान की गई थी। वर्ष 87-88 में जनपद के पिछड़ी जाति बाहुल्य क्षेत्र एवं पिछड़े कस्बे बरुआसागर में एक 25 शैयायुक्त आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय खोले जाने का प्रस्ताव है।

वर्ष 87-88 हेतु चालू चिकित्सालयों के रखरखाव हेतु 2-50 लाख रू० तथा नये चिकित्सालय की स्थापना हेतु 1-50 लाख रू० का प्राविधान किया गया है । इस प्रकार इस योजना के कुल 4-00 लाख रू० की मांग की गई है ।

7-25-11 वर्तमान आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों तथा औषधालयों का प्रोन्नयन एवं उनकी स्थिति में सुधार :- इस योजना के अन्तर्गत रू० 3000 प्रति ग्रामीण चिकित्सालय एवं 12-00 हजार प्रति नगरीय चिकित्सालय की दर से अतिरिक्त औषधियां उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से कुल 63 हजार रू० का कुल परिव्यय रखा गया है ।

नई योजनायें

7-25-12 :- राजकीय आयुर्वेदिक/यूनानी चिकित्सालयों के भवनों तथा स्टाफ क्वार्टर्स का निर्माण :- वर्ष 1986-87 में रदसा ग्राम में एक आयुर्वेदिक एवं यूनानद चिकित्सालय खोला गया था । इस चिकित्सालय हेतु भवन बनाने के लिये विभागीय मानकों के अनुसार 3-00 लाख रू० की आवश्यकता होती है । भवन निर्माण ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा कराया जायेगा । वर्ष 1987-88 हेतु केवल 1-20 लाख रू० का प्राविधान प्रस्तावित है । आयुर्वेदिक चिकित्सा का कुल परिव्यय 8-23 लाख है ।

ग्रामीण पेयजल- ग्राम्य विकास विभाग

7-26-0 :- वर्ष 1986-87 में ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत चल रहे "ग्रामीण पेयजल" कार्यक्रम हेतु जिला योजना से धन का प्राविधान किया गया था पर शासन स्तर से इस मद हेतु कोई प्राविधान नहीं किया गया । वर्ष 87-88 हेतु 2-50 लाख रू० का परिव्यय प्रस्तावित है जिससे 16 हैण्डपम्प लगाने का लक्ष्य है ।

7-27-0 जल निगम :- इस विभाग द्वारा चालू योजनाओं हेतु कोई मांग नहीं रखी गयी है । जल निगम द्वारा ग्राम कोंछाभांचर में नल लगाकर जल आपूर्ति की नई योजना प्रस्तुत की है जिसकी कुल लागत 10 लाख रू० आंकलित की गयी है । इस ग्राम के पास लघु औद्योगिक आस्थान बन रहा है तथा वहां इन्जीनियरिंग कालेज निर्माण भी प्रस्तावित है ।

7-28-0 ग्रामीण आवास- ग्राम्य विकास :- ग्राम्य विकास विभाग के ग्रामीण आवास कार्यक्रम के अन्तर्गत 2-0 लाख रू0 का परिव्यय रखा गया है ।

7-29-0 सूचना एवं श्रम कल्याण :- सूचना एवं श्रम कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 07-08 हेतु कोई परिव्यय नहीं प्रस्तुत किया गया है ।

सेवायोजन

7-30- सेवायोजन कार्यालय का सुदृणीकरण :- इस विभाग को वर्ष 06-07 में कार्यालय सुदृणीकरण योजना के अन्तर्गत कार्यालय भवन निर्माण हेतु 4-0 लाख रू0 का परिव्यय स्वीकृत किया गया था । जिला स्तर पर अभी तक भवन निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धि सुनिश्चित न हो सकने के कारण वर्ष 07-08 में इस कार्य हेतु परिव्यय नहीं स्वीकृत किया गया है ।

वर्ष 1987-88 में इस विभाग के स्थानीय कार्यालय हेतु जीप की व्यवस्था किये जाने हेतु 1.38 लाख रू0 का परिव्यय रखा गया है । 1-00 लाख रू0 जीप क्रय हेतु 8 हजार रू0 का परिव्यय रखा गया है ।

शिल्पकार प्रशिक्षण

7-30-0 (अ) वर्तमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का विस्तार सुदृणीकरण :- प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न ट्रेडों के लिये साज सज्जा उपलब्ध कराने हेतु 3-00 लाख रू0 का प्राविधान रखा गया है । स्टैण्टर्ड टूललिस्ट के इनुसार आवश्यक सामग्री क्रय की जायेगी ।

(ब) वर्तमान संस्थान के चारों ओर किसी भी प्रकार की चहारदीवारी न होनेके कारण असुरक्षा की समस्या है । इसके लिये 16-0 लाख रू0 की लागत आंकलित है । वित्त के अभाव में इस वर्ष 4-00 लाख रू0 स्वीकृत किया गया है ।

हरिजन एवं समाज कल्याण

7-31-0 (अ) अनु0जाति/जनजाति का कल्याण :- हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के द्वारा संचालित अनु0जाति/जनजाति के कल्याण हेतु विभिन्न चालू कार्यक्रमों हेतु 3-06 लाख रू0 का परिव्यय प्रस्तावित है । इस वर्ष गृह निर्माण अर्न्तगत (आवास) नामक योजना के अन्तर्गत कोई परिव्यय इसलिये स्वीकृत नहीं किया गया है कि वर्ष 85-90, 86-87 में इसकी प्रशासकीय स्वीकृति नहीं निर्गत की गई ।

7-31-1 समाज कल्याण :- समाज कल्याण विभाग की चालू योजनाओं हेतु वर्ष 37-38 में 1305-00 लाख रू० का परिव्यय रखा गया है । इसमें निराश्रित विधवाओं का परिव्यय विशेष रूप से बढ़ाया गया है ।

7-31-2 समाज कल्याण- पुष्टाहार :- पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत 36-37 की भांति ही 26-72 लाख रू० का प्राविधान रखा गया है ।

अध्याय -8-

:: स्थानीय संसाधन ::

8-0 जनपद की आर्थिक तथा स्थानीय सीमित संसाधनों की उपलब्धता एवं उनके प्रयोग पर निर्भर करती हैं । कृषि उत्पादन जनपद की कृषि भूमि, जलवायु एवं सिंचाई की संसाधनों पर निर्भर हैं । कच्चे माल की उपलब्धता पर कृषि/वनोपज पर आधारित उद्योगों का विकास निर्भर हैं । जनपद झाँसी की भौगोलिक संरचना पठारी हैं । यहाँ मार, काबर, पडवा, एवं राकड़ किस्म की मिट्टी पायी जाती हैं । मार, काबर एवं पड़वा कृषि की दृष्टि से उपयुक्त हैं । परन्तु सिंचाई साधनों की कमी तथा वैज्ञानिक कृषि प्रणाली कृषकों द्वारा न अपनाने का कारण जनपद की कृषि का पर्याप्त विकास नहीं हो सका । नीचे के आकड़े इस तथ्य की पुष्टि करते हैं ।

8-1 भूमि उपयोगिता जनपद झाँसी वर्ष 1983-84

मद का नाम	क्षेत्रफल हैक्टेयर में
1- भूमि उपयोगिता के लिये प्रतिवेदन क्षेत्र	492204
2- वन	32544
3- ऊसर एवं क्षेती के अयोग्य भूमि	31661
4- खेती के अतिरिक्त अन्य उपयोग में लायी गयी जोने वाली भूमि	36168
5- कृषि योग्य बेकार भूमि	48292
6- स्थायी चारागाह तथा अन्य चराई की भूमि	919
7- अन्य वृक्षों झाड़ियों बागों आदि के क्षेत्र जो वास्तविक बोये गये क्षेत्र में शामिल नहीं हैं ।	2028
8- वर्तमान परती	19784
9- अन्य परती	17334
10- बोया गया वास्तविक क्षेत्र	303471
11- एक बार से अधिक बार बोया गया क्षेत्र	33736
12- सम्पूर्ण बोया गया क्षेत्र	337207

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट हैं कि जनपद के कुल क्षेत्रफल में से केवल 62 प्रतिशत भाग में कृषि होती हैं । दोफसली क्षेत्रफल शुद्ध कृषित क्षेत्रफल का मात्र 1-4 प्रतिशत हैं जो कृषि के पिछड़ेपन का द्योतक हैं । जनपद में ऊसर व खेती के अयोग्य भूमि तथा कृषि योग्य बेकार भूमि क्रमश: 7 व 9 प्रतिशत हैं ।

वर्ष 83-84 में जनपद में कुल 90211 हैक्टेयर भूमि में विभिन्न स्रोतों से सिंचाई की गयी । जो कुल कृषित क्षेत्र का 23-8 है। जनपद में 32544 हैक्टेयर क्षेत्र में वन हैं ।

8-2 जनपद में वर्ष 1983-84 में खरीफ खाद्यान्न का कुल 56457 मी0टन उत्पादन हुआ जिसमें 44577 मी0टन केवल ज्वार 5613 मी0टन मक्का, 3213 मी0टन धान तथा 2590 मी0 टन खरीफ दालें । शेष अन्य पदार्थ उगाये गये । रबी फसल में मुख्यतः गेहूँ 184968 मी0टन, 55559 मी0टन चना, 17155 मी0टन अरहर, 15349 मी0टन मसूर का उत्पादन हुआ । रबी में कुल खाद्यान्न उत्पादन 33481 मी0टन रहा । तिलहन का कुल उत्पादन 5759 मी0टन रहा । उत्पादन की दृष्टि से यह जनपद अपने प्रयोग से अधिक खाद्यान्न उपजाता है ।

8-3 भू-गर्भ जल की उपलब्धता:-

वर्ष 1981-82 के भूगर्भ जल सर्वेक्षण के आधार पर जनपद में 61549 हैक्टेयर मीटर जल उपलब्ध हैं । जिसमें से 23642 हैक्टेयर मीटर जल का उपभोग हो रहा हैं तथा 41507 हैक्टेयर मीटर जल का उपभोग अभी नहीं हो पा रहा हैं जिसके के लिये प्रयास किये जा रहे हैं ।

8-4 खनिज सम्पदा:-

जनपद में मोरम, ग्रेनाइट, पायरोफ्लाइट, पेरा लफार, काफी मात्रा में पाया जाता हैं । ग्रेनाइट व मोरम विकास खण्ड बड़ागाँव एवं बबीना में, पायरोफ्लाइट एवं पेरा लफार, तहसील झाँसी एवं विकास खण्ड मंगरा में पाया जाता हैं । ग्रेनाइट क्रशिंग हेतु जनपद में लगभग 38 क्रेशर कार्यरत हैं । गढ़मऊ में पायरोफ्लाइट खनिज प्रारम्भ हो गया हैं ।

8-5 पशुधन:-

1982 की पशुगणना के अनुसार जनपद में पशुओं की संख्या निम्न प्रकार हैं :--

1- गोवंशीय	368139
2- महिष वंशीय	101572
3- भेड़े	64996
4- बकरियां	174403
5- घोड़े एवं टट्टू	463
6- सुअर	10006
7- अन्य पशु	39735
योग-	759314

8-6 मत्स्य:-

जनपद में पहुज, पडवार, पहाडी, जहदूरा एवं पारीछा जलाशयों में मत्स्य पालन कार्य 6880 हैक्टेयर क्षेत्र में होता हैं। मत्स्य क्षेत्र में वर्ष - 1985-86 में 1.20 लाख अंगुलिकाओं का उत्पादन किया गया।

8-7 जनशक्ति:-

वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार जनपद में 11.33 लाख व्यक्ति हैं जिनमें से 7.06 लाख ग्रामीण क्षेत्र में तथा 4.27 लाख नगरीय क्षेत्र में निवास करते हैं। पुरुष 6.06 तथा महिलायें 5.27 लाख हैं।

-----000-----

अध्याय-9-

दीर्घकालीन विकास की रूपरेखा

9।- जनपद-झाँसी प्रदेश के पिछड़े जनपदों में एक हैं । प्रति व्यक्ति आय, अवस्थापना एवं सेवा सुविधाओं की उपलब्धता किसी जनपद के विकसित अथवा पिछड़ा मानने के लिये मापदण्ड हैं । राज्य नियोजन संस्थान, अर्थ एवं संख्या प्रभाग उ0प्र0की बुलेटिन संख्या 87 "जिला घरेलू शुद्ध उत्पादन उ0प्र0" के अनुसार 1971 के भावों पर झाँसी प्रदेश के उन 19 जनपदों में से एक हैं जिनका "प्रति व्यक्ति शुद्ध उत्पाद एवं कुल उत्पादन में वृद्धि दर दोनों ही राज्य औसत से कम हैं ।

जिला	प्रति व्यक्ति शुद्ध उत्पाद §रु0.000§	कुल शुद्ध उत्पाद में वृद्धि दर §प्रतिशत 1971-77§ सभी खण्ड	कृषि एवं पशुपालन
1	2	3	4
राज्य औसत	325.82	1-3	1-1
झाँसी §झाँसी एवं ललितपुर§	295.74	0-9	1-8

9-2 जनपद झाँसी का प्रति व्यक्ति शुद्ध उत्पाद एवं कुल उत्पाद 1970-71 के भावों पर राज्य स्तर से कम हैं वही इसी प्रकाशन की तालिका 1-2 से स्पष्ट हो रहा हैं कि जनपद कुल उत्पाद एवं प्रति व्यक्ति उत्पाद दोनों की गति गिरावट की ओर हैं ।

वस्तु उत्पादन सेक्टरों से कुल एवं प्रति शुद्ध उत्पाद §1970-71 के भावों पर§

1970-71 कुल उत्पादन करोड रू0	1970-71 प्रतिव्यक्ति उत्पाद रू0	1973-74 कुल उत्पाद करोड रू0	1973-74 प्रतिव्यक्ति उत्पाद रू0	1974-75 कुल उत्पाद करोड रुपया	1974-75 प्रतिव्यक्ति शुद्ध उत्पाद रुपया
43-72	337-80	37-47	273-70	22-84	246-12

1975-76 कुल उत्पाद करोड रू0	1975-76 प्रति व्यक्ति शुद्ध उत्पाद रुपया	1976-77 कुल उत्पाद करोड रू0	1976-77 प्रतिव्यक्ति शुद्ध उत्पाद रुपया
28-20	298-10	28-48	295-74

:- 1970-71, 73-74 तक के आंकड़े झाँसी ललितपुर संयुक्त जनपद के हैं ।

यदि केवल झाँसी जनपद के 74-75, 75-76 व 76-77 के आंकड़ों को देखा जाय तो इससे स्पष्ट होता हैं कि जनपद का कुल उत्पाद तो बढ़ा हैं पर प्रति व्यक्ति उत्पाद घटा हैं । इसका मुख्य कारण झाँसी जनपद में जनसंख्या वृद्धि हैं । जो राज्य नियोजन संस्थान उ0प्र0 के क्षेत्रीय नियोजन प्रभाग की जिलावार विकास संकेतांक अगस्त 83 के प्रकाशन से स्पष्ट हैं कि -

जनसंख्या का घनत्व	1971-81 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि		नगरीय जनसंख्या-को कुल जनसंख्या में प्रति-शत ।
	सामान्य	अनु0जाति	
राज्य 377	+ 25-49	26-44	17-95
बु0खण्ड 185	+ 26-52	27-95	19-97
झाँसी 226	+ 32-21	35-83	37-94

9-3 इसी पत्रिका में प्रकाशित कृषि उद्योग का अवस्थापना एवं सेवा सम्बन्धी कतिपय विकास संकेताक जनपद के पिछड़े पन को स्पष्ट करते हैं ।

	कृषि गहनता 1980-81	वनक्षेत्र में कुल रिपोर्टिंग क्षेत्र के प्रति0 के रूप में	शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल में शुद्ध सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत ।	प्रतिव्यक्ति कृषि उपज का मूल्य
राज्य	142-69	17-25	54-89	589-51
बुन्देलख0	112-68	8-10	23-95	710-15
झाँसी	114-27	6-60	29-28	573-74

	प्रति 100वर्ग कि0मी0क्षेत्र पर पक्कामार्ग कि0 मी0 1982	विद्युत के कुल उपभोग में से कृषि उपभोग का प्रतिशत	प्रति बैंक जनसंख्या 1981 (0-000)	प्रति लाख जनसंख्या ऐलोपैथिक चिकित्सा 1981
राज्य	21-8	28-04	26-90	2-87
बुन्देलख0	16-0	32-60	33-31	3-20
झाँसी	24-2	7-51	22-29	3-00

जनपद की अर्थ व्यवस्था कृषि पर आधारित है । 1981 की जनगणना के अनुसार कुल श्रम शक्ति का 60-84 प्रतिशत भाग कृषि पर, निर्भर पाया गया और 5-18 प्रतिशत गृह उद्योग एवं उत्पादन व्यवसाय में ।

9-4 उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि जनपद के विकास के लिये सुनियोजित प्रयत्न किये जाना अति आवश्यक है । जनपद के विकास के लिये 1990 तक के लिये निम्न लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ।-

क्रमांक	1981	1990
1	2	3
1- जनसंख्या	1133002	1475282
2- कार्यकरों की संख्या	316481	436399
3- साक्षरव्यक्ति संख्या	415959	633131
4- बोया गया क्षेत्र हेक्टेयर	299871	384602

1	2	3
5- एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र	47297	80363
6- वन का क्षेत्र (ह0है0)	27441	37399
7- श्रोतों की संख्या	153977	175210
8- श्रोतो के अन्तर्गत क्षेत्र	336807	340648
9- शुद्ध सिंचित क्षेत्र हेक्टेयर	87816	131016
10-सकल सिंचितक्षेत्र हेक्टेयर	89255	299871
11-कुल खाद्यान्न क्षेत्र हेक्टेयर	315027	427442
12-कुल वाणिज्यकफसलें हे0	3745	6924
13-अन्य उद्यानों का क्षेत्र हे0	2240	2790
14-कुल उर्वरक डिपों सं0	60	65
15-उर्वरक के लिये क्षेता(मे0टन	6130	7630
16-कृत्रिमगर्भाधान केन्द्र	7	9
<u>अवस्थाने एवं सेवायें</u>		
1- राष्ट्रीय मार्ग	137	-
2- प्रान्तीय मार्ग	78	930
3-अन्य पक्के मार्ग	561	-
4- प्रारम्भिक पाठशाला	917	1475
5- मिडिल स्कूल	215	250
6- उच्चतर माध्यमिक स्कूल	58	74
7- ग्रामीण जलपूर्ति	158ग्राम	100प्रतिशत प्रभावग्रस्त ग्राम
8- विद्युत लाइनों की लम्बाई कि0मी0	594	1332
9- ग्रामों का विद्युतीकरण	141	304

उत्पादन बढ़ाने के लिये उर्वरक का उपयोग खेती की पद्धतियों में सुधार उन्नतशील बीजों की आपूर्ति, दो फसली क्षेत्र में वृद्धि, कीटनाशक दवाओं का उपयोग करना आवश्यक हैं ।

9-5 कृषि के सम्वर्गीय कार्यक्रम के अन्तर्गत उद्यान, पशुपालन, वानिकी संबंधी कार्य हैं । जनपद के पशुधन में पशु कमजोर हैं तथा उनकी दुग्ध उत्पादन क्षमता कम हैं । इसे बढ़ाया जाना आवश्यक हैं । ग्रामीण अंचल में स्थित कमजोर वर्ग की जनता के उत्थान हेतु बकरीपालन, सुअर पालन, भेड़ पालन एवं कुक्कुट पालन विकास योजनाओं को प्रगति देने का कार्यक्रम हैं ।

9-6 कृषि उत्पादन में सुनिश्चित सिंचाई साधनों का सृजन करना अति आवश्यक हैं । मध्यम सिंचाई के अंतर्गत सपरार एवं डोंगरी बांध जनपद झाँसी में पूर्ण हैं । पर इनसे 86-87 में सिंचाई हो सकेगी । जनपद में एक रिमोर्ट सेंसिंग इकाई की स्थापना की गयी हैं जो नलकूपों के छिद्रण के पूर्व भूमिगत जलस्तर का सर्वेक्षण पूर्ण कर जिला प्रशासन तथा सिंचाई विभाग को मार्ग दर्शन देते हैं । इस समय तक इस जनपद में 52 नलकूप छिद्रित किये जा चुके हैं । लघु सिंचाई कार्यक्रम में फ्री बोरिंग कार्यक्रम चलाया जा रहा हैं । कोर प्रोजेक्ट द्वारा 29 चेक डैम बनाये जा चुके हैं । पम्पिंग सेट डीजल/विद्युत का बृहद कार्यक्रम चलाये जाने का प्लान बनाया जा रहा हैं शासन का प्लान हैं कि जनपद में सिंचाई के साधनों का तीव्र गति से विकास किया जाय ।

9-7 पशुपालन कृषि का सहायक एवं आवश्यक सह उद्यान हैं । जनपद में का ... पशुधन दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से निम्नस्तर का हैं । जनपद में एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बकरीपालन को विशेष बढ़ावा दिया जा रहा हैं । इस समय अच्छे नस्ल की बकरी जमुना पारी आगरा एवं इटावा जनपदों से मंगाई जाती हैं । क्रास ब्रीडिंग द्वारा स्थानीय जलवायु में "बकरी प्रजनन केन्द्र" स्थापित किया जाना प्रस्तावित हैं । भेड पालन के विकास हेतु "ऊन ग्रेडिंग" स्थापित किया जा चुका हैं । सुअर पालन एवं कुक्कुट पालन का भी पर्याप्त विकास हो सकता हैं । स्थानीय तौर पर अण्डों की खपत इतनी अधिक मात्रा में होती हैं कि इनकी पूर्ति आंध्र प्रदेश से अंडे मंगा कर की जाती हैं ।

9-8 औद्योगिकरण विकसित अर्थव्यवस्था का प्रतीक माना जाता हैं । जनपद औद्योगिक दृष्टि से अति पिछडा हैं । इस समय बृहद एवं मध्यम उद्योगों में केवल केरिज एण्ड वैगन रिपेयर वर्कशाप, हैवी इलेक्ट्रीकल्स, सूती मिल, करारा ह्यूम पाइप तथा स्लीपर कारखाना हैं । फैक्ट्री एक्ट में 37 उद्योग पंजीकृत हैं । जनपद में एक आर्डीनेन्स कारखाना, इन्डोगल्फ एक्सप्लोसिव, फर्टीलाइजरफैक्ट्री, ग्लैक्सो कम्पनी का दूध सुखाने तथा सोयाबीन से दूध बनाने का कार्यक्रम निर्धारित हो चुका हैं इसी सड़क पर एक राज्यकीय प्रेस {छापाखाना} बन रहा हैं जो वर्ष 86-87 में कार्य करने लगेगा । कानपुर रोड पर एक मैदा मिल डाली जा चुकी हैं । स्टील प्लान्ट, चीनी पात्र, हैन्डलूम वस्त्र, मोमबत्ती, साबुन, तेलधानी, लकड़ी के फर्नीचर, बीडी बनाना, कम्बल व कालीन दाल मिल, सीमेन्ट की जाली, आयुर्वेदिक दवाईयां, आटा व मसाले पीसना एवं एमरी पाट बनाना, अगरबत्ती बनाना, अल्यूमिनियम के व पीतल के बर्तनों का बनाना पाइरोफ्लाइट ग्रेनाइट उद्योग आदि जनपद के प्रमुख उद्योग हैं ।

9-9 <u>विद्युत आपूर्ति:--</u>

जनपद के कृषि एवं औद्योगिक विकास के लिये बिजली की आपूर्ति विशेष महत्वपूर्ण हैं । पारीछा नामक स्थान पर भारी लागत से थरमल पावर स्टेशन निर्मित कर लिया गया हैं । तथा उसमें विद्युत उत्पादन कार्य प्रारम्भ कर दिया गया हैं । वर्ष 84-85 में बिजली का उपभोग निम्न प्रकार रहा -

मद	प्रतिशत उपभोग
1- घरेलू प्रकाश एवं लघु विद्युत शक्ति	28
2- वाणिज्यक प्रकाश	26
3- औद्योगिक विद्युत शक्ति	35
4- सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था	1
5- सिंचाई एवं जल निस्तारण	8
6- विविध कार्य	2

9-10 ग्रामीण अंचल तक पहुंचने हेतु सड़कों की सुविधा उपलब्ध कराई जा [illegible] मार्च 1982 तक जनपद में प्रति 100 वर्ग कि0मी0 क्षेत्रफल पर 24-2 कि0मी0सड़के आती है । 1990 तक 1500 से ऊपर के समस्त ग्राम तथा 1000-1500के मध्य आबादी वाले 50 प्रतिशत ग्रामों को सड़कों से जोड़ने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु जिले में सड़कों का मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया हैं ।

9-11 प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत वर्ष वर्ग 6-14 के बच्चों का शत प्रतिशत कक्षा प्रवेश तथा 15-35 वय वर्ग का 1990 तक नान फार्मल शिक्षा के माध्यम से आच्छादन के लक्ष्य रखें गये हैं ।

9-12 1990 तक प्रति ग्राम अथवा प्रति 1000 की आबादी पर एक कम्यूनिटी स्वास्थ्य स्वंय सेवक की नियुक्ति, 5000 जनसंख्या पर एक सब सेन्टर तथा 3000जन-संख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने का लक्ष्य हैं ।

9-13 भूमिहीन एवं कमजोर वर्ग के लोगों को सीलिंग एवं ग्राम सभाओं से प्राप्त अतिरिक्त भूमि का आवंटन तथा उसके विकास के लिये अनुदान दिया जाता हैं । आवास गृह निर्माण हेतु भूमि आवंटन हो रहा हैं । इस कार्यक्रम को अधिक सफल बनाने के लिये अनुदान की राशि बढा दी गयी हैं ।

9-14 <u>पेयजल व्यवस्था:--</u>

जनपद झांसी की पेयजल की समस्या प्रमुख रही हैं । जलनिगम, ग्राम्य विकास विभाग द्वारा पेयजल की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही हैं । [illegible] हैं । [illegible] द्वारा [illegible] हैं ।

9-15 सामान्य विकास कार्यक्रमों के साथ-साथ हरिजन एवं निर्बलवर्ग का उत्थान, मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार एवं वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रमों को भी चलाया जा रहा हैं जनसंख्या के अनियमित विकास को रोकने के लिये परिवार कल्याण कार्यक्रम तीव्रगति से चलाया जा रहा हैं । वर्ष 1984-85 में जनपद ने प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में परिवार कल्याण कार्यक्रम में प्रथम स्थान प्राप्त किया ।

-----000-----

अध्याय -10-

:: जिला योजना की पूर्वायें ::

10-0 वर्तमान नियोजन प्रणाली में उपलब्ध साधनों का समुचित प्रयोग कर उत्पादन में वृद्धि कर आर्थिक विकास किया जाना सम्भव हैं । यहाँ पर पर्यावरण सुधार सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागृति उत्पन्न कर प्रगति का मार्ग प्रशस्त करती हैं । मानव का शोषण भेदभाव की नीति, कृपणता, अशिक्षा, पर्यावरण की कमी प्रगति में बाधक सिद्ध होती हैं । जोदेश प्रदेश एवं जनपद की समस्याओं से निपटने के लिये विभिन्न योजना भी चलाई जा रही हैं ।

10-1 प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-52 से 1955-56:---

राजनैतिक स्वतन्त्रता के आवश्यक तत्वों को रखते हुये तीव्र गति से आर्थिक विकास करना, स्वाधीनता और प्रजातन्त्र के मूल्यों के आधार पर सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था की रचना करना जिससे रोजगार तथा उत्पादकतायें पर्याप्त वृद्धि हो तथा सामाजिक न्याय प्राप्त हो सकें ।

2- द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956-57 से 60-61:---

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य जीवन स्तर को ऊँचा करने के लिये आय में 25 प्रतिशत की वृद्धि करना तथा मूल एवं आधारभूत उद्योगों पर बल देते हुये शीघ्र औद्योगिकरण करना था । रोजगार के अवसरों में वृद्धि कर आय धन तथा आर्थिक साधनों के वितरण की असमानता को कम करने, राष्ट्रीय आय में पर्याप्त वृद्धि तथा जीवन स्तर में उन्नति, उत्पादन एवं विनियोगों में वृद्धि (किन्तु) सम्भव नहीं हैं ।

3- तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961-62 से 1965-66:---

तृतीय पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय में कम से कम 5 प्रतिशत वृद्धि प्रतिवर्ष करना । विनियोग का स्वरूप ऐसा रखना जिससे इस प्रयास को बल मिलता रहें । खाद्य पदार्थों में आत्म निर्भर होना तथा तथा निवेश की पूर्ति के लिये कृषि उत्पादन में वृद्धि करना रोजगार के अवसर में वृद्धि करना । आर्थिक संसाधनों के वितरण में समानता लाना तथा आय एवं धन के वितरण की असमानता को कम करना ।

4- वार्षिक योजना	66-67
5- वार्षिक योजना	67-68
वार्षिक योजना	68-69

उपरोक्त वार्षिक योजना में रोजगार के अवसरों में पर्याप्त वृद्धि करना आर्थिक साधनों के वितरण में समानता लाना खाद्य पदार्थों में आत्म निर्भर होना

तथा उद्योग एवं निर्यात की पूर्ति के लिये कृषि उत्पादन में वृद्धि करना जिससे प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि सम्भव हो सके ।

5- चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969-70 से 1973-74:--

इस योजना में भी रोजगार उपलब्ध कराने में वृद्धि करना खाद्य पदार्थों में आत्म निर्भर होना, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना तथा विनियोग का स्वरूप ऐसा रखना जिससे प्रगति को बल मिलता रहे । आर्थिक साधनों के वितरण में समानता लाना तथा आय और धन के वितरण की असमानता को दूर करना ।

6- पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974-75 से 1978-79:--

राष्ट्रीय उद्देश्यों तथा प्राथमिकताओं के अनुसार जिला योजना का निर्माण किया जाता हैं । पांचवी पंचवर्षीय योजना के लिये मुख्य उद्देश्य बेरोजगार को लाभ प्राप्त रोजगार उपलब्ध कराना, लघु कृषकों तथा ग्रामीण शिल्पकारों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना, विद्युत सिंचाई, सड़क एवं जल सम्पूर्ति जैसी आधारभूत अवस्थापना का सुदृढीकरण, कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, न्यूनतम आवश्यकताओं की अधिक से अधिक पूर्ति करना, विकास शील केन्द्रों तथा नगरीय क्षेत्र को विकसित करना, पिछडे समुदायों के रहन-सहन रोजगार तथा शिक्षा के स्तर का सुधार, बढ़ती हुयी जनसंख्या की दर को कम करने हेतु परिवार कल्याण कार्यक्रम का प्रसार रहा हैं ।

7- वार्षिक योजना 1979-80:--

पांचवी पंचवर्षीय योजना का क्रम वार्षिक योजना में परिवर्तित हो गयी और इसी क्रम में वर्ष 1979-80 की वार्षिक योजना चली । इसका उद्देश्य पांचवी पंचवर्षीय योजना के अनुरूप ही रहा हैं ।

8- छठी पंचवर्षीय योजना 1980-81 से 1984-85:--

वर्ष 1979-80 में विभिन्न कार्यक्रमों की प्रगति का सर्वेक्षण कर आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थापना सुविधा की उपलब्धियों को आधार मानकर योजना आयोग में छठी पंचवर्षीय योजना की रणनीति एवं उद्देश्य का निर्धारण किया हैं । इस योजना का परिव्यय 1980-81 व 81-82 में राज्य स्तर से निर्धारित किया गया । स्थानीय क्षेत्रीय समस्याओं के निराकरण हेतु आवश्यकताओं पर अधिक ध्यान देने, योजनाओं को त्वरित कार्यान्वयन एवं अधिकतम लाभ हेतु वर्ष 82-83 में विकेन्द्रीकरण प्रणाली का शुभारम्भ किया गया इस प्रणाली के अन्तर्गत राज्य योजना बजट के कुल आवंटन की 30 प्रतिशत धनराशि जिले की स्थानीय आवश्यकता को देखते हुये निर्धारित की गयी । योजना का उद्देश्य:--

क- आर्थिक वृद्धि संसाधनों का उपभोग तथा उन्नत उत्पादकता विकास में वृद्धि ।

ख- आर्थिक एवं प्राविधिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये आधुनिकता

की गति को सुदृढ करना ।

ग- गरीबी एवं बेरोजगारी के भार में प्रभावी कमी करना ।

घ- भारतीय ऊर्जा के उचित संरक्षण एवं उपयोग पर बल देना ।

ड- सामान्य व्यक्तियों के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन में गुणात्मक सुधार न्यूनतम आवश्यकताओं के कार्यक्रम के द्वारा करना ।

च- आय एवं धन की असमानता कम करने के उद्देश्य से गरीबीके हित में सार्वजनिक नीतियों एवं सेवाओं के वितरण के भेदभाव को सुदृढ करना ।

छ- सीमित परिवार के सिद्धान्त को स्वीकार कराकर जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने की योजनाओं को प्रोत्साहन देना ।

ज- पर्यावरण एवं आर्थिक समस्याओं के निराकरण हेतु प्रोत्साहन एवं सुरक्षा प्रदान कराकर अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक उद्देश्यों में सामंजस्य स्थापित करना ।

झ- उपर्युक्त राजनीति द्वारा समाज के सभी वर्गों के व्यक्तियों के विकास की प्रक्रिया में भागीदार बनाना ।

10-2- <u>जनपद की योजना के मूलभूत उद्देश्य एवं रणनीति:-</u>

जनपद की योजना का मुख्य उद्देश्य जनपद की आर्थिक सामाजिक एवं पर्यावरण की समस्याओं में जकड़े हुये नागरिकों को निकालना । जनपद झाँसी की योजना के मुख्य उद्देश्य:--

1- जनपद के विकास की नीति आर्थिक एवं सामाजिक न्याय के आधार पर बनायी गयी हैं । विकास कार्यक्रमों का लाभ सामान्य वर्ग के व्यक्तियों के साथ-साथ कमजोरवर्ग जैसे गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों लघु सीमान्त कृषकों, भूमिहीन मजदूरों, निराश्रित महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये कार्यक्रम तैयार किये गये हैं ।

2- आर्थिक उत्थान हेतु स्थानीय संसाधनों के समुचित उपयोग तकनीकि विधियों सेखेती, आवश्यक निवेश की पूर्ति का कार्यक्रम बनाया गया हैं । स्थानीय संसाधन जैसे भूमिगत जल, पशुशक्ति, मानव शक्ति का अधिकतम एवं संस्तुति विकास उपयोग सुनियोजित करके आर्थिक विकास किया जायेगा ।

3- शिक्षा, पर्यावरण के सुधार और सुविधाओं की सामान्य नागरिकों के प्रगति हेतु कार्यक्रम बनाये गये हैं ।

4- वित्तीय व्यवस्था के अन्तर्गत अनुदान का प्रावधान किया गया हैं । बैंकों के माध्यम से ऋण की उपलब्धता की योजना बनायी गयी हैं ।

5- स्थानीय निकायों को स्वावलम्बी बनाने हेतु नागरिकों के सहयोग श्रमदान कार्य का विशेष ध्यान दिया गया हैं ।

6- जनसंख्या की वृद्धि रोकने हेतु सीमित परिवार का कार्यक्रम एवं नागरिकों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुये औषधियों का प्रावधान किया गया हैं ।

10-3 <u>न्यून तम आवश्यकता कार्यक्रम:--</u>

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में प्राथमिक शिक्षा स्वास्थ्य पेयजल, ग्रामीण सड़क, विद्युतीकरण, पौष्टिक आहार, सम्मिलित हैं । इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से समाज के सामान्य नागरिकों के साथ ही गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे लोगों का विशेष लाभ होगा ।

10-4 भूमिहीन मजदूरों एवं भवनहीन व्यक्तियों को गांव सभाओं एवं सीलिंग में प्राप्त भूमि को भवन निर्माण हेतु आवंटित करने की सरकारी योजनायें चलायी जा रही हैं। एकीकृत ग्राम्य विकास योजना, स्पेशल कम्पोनेन्ट हरिजन वित्त निगम के माध्यम से लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा पिछड़ी हुयी जातियों को सुविधा उपलब्ध करायी जा रही हैं।

10-5 इन योजनाओं की प्रगति में तीव्रता लाने हेतु समीक्षा कर समन्वय स्थापित किया जा रहा हैं।

सातवीं पंचवर्षीय योजना:--

जिला योजना 85-86 सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत वर्ष 85-86 की वार्षिक जिला योजना 3-68 करोड रूपयों की तैयार की गयी थी। 1986-87 हेतु 4.29 करोड रूपयों का परिव्यय स्वीकृत किया गया। वर्ष 1987-88 की योजना राशि 4.90 करोड रूपया निर्धारित की गई हैं।

------000------

अध्याय -11-

:: राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम ::

11-1 राष्ट्रीय सरकार ने जनसामान्य के लिये कतिपय न्यूनतम आवश्यकताएँ निर्धारित की हैं, जिनको पूरा करने के लिये शासन कटिबद्ध हैं । इस कार्यक्रम के अंतर्गत 1- प्राथमिक शिक्षा 2- प्रौढ़ शिक्षा 3- ग्रामीण स्वास्थ्य 4- ग्रामीण पेयजल 5- ग्रामीण सड़के 6- ग्रामीण विद्युतीकरण 7- ग्रामीण निर्धनों के लिये आवास 8- पर्यावरण सुधार 9- पौष्टिक आहारआदि मदें आती हैं । इन मदों से सम्बन्धित सैक्टरों के लिये जिला योजना बनाते समय वित्तीय परिसीमा के अंतर्गत प्रावधान किये जा रहे हैं । विभिन्न वर्षों में राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिये निम्न धनराशि परिव्यय के रूप में रखी गयी ।

मद	1982-83 व्यय	1983-84 व्यय	1984-85 व्यय	1985-86 व्यय
1- शिक्षा	2065.00	2244.00	2270.00	2242.00
2- स्वास्थ्य	3758.00	3572.00	3853.27	2929.00
3- जलसम्पूर्ति				
क- जल निगम	2005.00	2600.00	2587.88	300.00
ख- ग्रामविकास	240.00	20.00	250.00	---
4- सड़के	1128.00	2363.00	2770.00	3021.00
5- विद्युतीकरण	505.70	506.00	561.00	624.00
6-आवाससुविधा	43.70	100.00	113.00	153.00
7- मलिनबस्ती सुधार	-	-	-	-
8- पुष्टाहार	587.00	505.00	225.00	912.00
अ-समाजकल्याण				
ब-ग्रामविकास	60.2	61.00	56.00	-

-----000-----

अध्याय-12-

:: पिछड़े समुदाय के लिये कार्यक्रम ::

12.0 जनपद झाँसी में 1981 की जनगणना के अनुसार हरिजन समुदाय की जनसंख्या 325,965 हैं जो कुल आबादी का प्रतिशत 27.77 है । जनपद के गुरसरांय एवं मऊरानीपुर विकास खण्डों में कुल आबादी में से हरिजनों का प्रतिशत 35 हैं । विकास खण्डवार अनुसूचित जाति की जनसंख्या का विवरण नीचे दिया जा रहा हैं । §8§

क्र0सं0	विकास खण्ड का नाम ।	कुल जनसंख्या	अनु0जाति	कुल में अनु0 का प्रतिशत ।
1-	चिरगाँव	85,198	24,927	29
2-	मोंठ	96,458	29,314	30
3-	गुरसरांय	87,679	30,504	35
4-	बामौर	95,420	31,404	33
5-	मऊरानीपुर	96,248	32,724	35
6-	बंगरा	87,603	23,395	35
7-	बबीना	84,174	25,103	29
8-	बड़ागाँव	79,432	23,724	31
	नगरीय योग-	443,354	597,149	23
	योग :-	1177,731	325,965	20

12.1 अनुसूचित जाति एवं अनु जनजातियों की आर्थिक सामाजिक शैक्षिक एवं सांस्कृतिक उत्थान हेतु कृत संकल्प हैं ।

विभिन्न वर्षों में हरिजन एवं अनु0 जाति के एवं निर्बल वर्ग के कल्याण हेतु उपलब्ध कराये गये वित्तीय परिव्यय का विवरण निम्न प्रकार हैं :-

पद	वर्ष 1982-83	83-84	84-85	85-86	86-87
1- हरिजन एवं समाजकल्याण विभाग	849.00	784.00	628.00	666.00	700.00
2- एकीकृत ग्राम्य विकास	2855	3200	3200	3144	

नोट:- उपरोक्त के अतिरिक्त शिक्षा विभाग द्वारा अनुसूचित/पिछड़ी जाति को फीस माफी/छात्रवृति, पाठ्य पुस्तकों सम्बन्धी सहायता प्रदान की जाती हैं ।

आर्थिक विकास:- अनुसूचित जाति के सदस्यों एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही जनता के आर्थिक विकास के लिये "भूमिहीनों को आजीविका अर्जनों हेतु अनुदान, सिंचाई साधनों के क्रय/निर्माण हेतु अनुदान, स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत सहायता, औद्योगिक सहायता एवं बैंकों से सस्ते दर पर ऋण हेतु ऋण सुविधा से उपलब्ध कराई जाती हैं ।

निराश्रित विधवाओं के ऐच्छिन सहायता/निर्धन वर्ग की महिलाओं/बालकों को पुष्टाहार सहायता प्रदान की जाती हैं ।

-----000-----

अध्याय-13

13-0-0 :- जनपद झांसी की जिला योजना के अन्तर्गत मात्र 4,90,14 हजार रू0 का परिव्यय स्वीकृत किया गया है । परिव्यय का अधिकांश भाग जनपद स्थित विभिन्न विभागों की चालू योजनाओं को कार्यक्रमों के लिये परिव्यय उपलब्ध कराने में देना, पर किन्हीं परिस्थितियों में तो चालू योजनाओं विस्तार एवं सुदृणीकरण के महत्वपूर्ण मदों के लिये धनाभाव के कारण वित्त व्यवस्था प्रस्तावित नहीं की जा सकी । इन परिस्थितियों के उपरान्त भी वर्ष 87-88 हेतु निम्न अतिरिक्त एवं महत्वपूर्ण नवीन योजना प्रस्तावित की जा रही है ।

पंचायत राज विभाग

13-1-1 - योजना का नाम- जिला स्तर पर पंचायत राज भवन का निर्माण :-

उद्देश्य :- उत्तर प्रदेश शासन पंचायत राज विभाग जिला मुख्यालय पर पंचायत राज भवन निर्माण कराये जाने के निर्देश हैं, ताकि पंचायत राज सम्मेलन, पंचायत गोष्ठियों के आयोजन हेतु स्थानाभाव न रहे ।

योजना का परिव्यय :- जिला पंचायत राज भवन के निर्माण भूमि जिला विकास कार्यालय के प्रांगण में ही निःशुल्क उपलब्ध है । निर्माण कार्य ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा कराया जायेगा । प्रस्तावित भवन की लागत 5 लाख रू0 आंकलित की गयी है । वर्ष 87-88 हेतु 2-0 लाख रू0 का परिव्यय रखा गया है ।

योजना का लाभ :- जनपद स्तर पर विभिन्न प्रकार के पंचायत सम्मेलन, गोष्ठियों, जिला स्तरीय पंचायत उद्योग संचालन हेतु स्थान उपलब्ध हो जायेगा ।

ग्राम्य विकास विभाग

13-2-1 - योजना का नाम- आवास रहित विकास खण्डों में आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना :-

उद्देश्य :- विकास कार्यों को सुचारु रूप से चलाने के लिये ग्रामीण अंचलों में स्थित विकास खण्डों में कर्मचारियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराया जाना ।

योजना का स्वरूप एवं परिव्यय :- जनपद में इस समय 8 में 3 विकास खण्ड क्रमशः बड़ागांव, बंगरा, एवं बामौर में राजकीय आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं हैं । इन तीनों विकास खण्डों में निम्न आवास निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव है ।

(1) बी0डी0ओ0 टाइप आवास	3	प्रति ब्लाक	1
(2) ए0डी0ओ0 टाइप आवास	24	,,	8
(3) मिनिस्ट्रियल आवास	21	,,	7
(4) चतुर्थ श्रेणी आवास	9	,,	3
कुल आवास	57	,,	19

इस कार्य हेतु भूमि बड़ागांव, बंगरा, एवं बामौर में उपलब्ध है । निर्माण कार्य का आंकलन ग्रामीण अभियंत्रण सेवा से करा लिया गया है । कार्य भी यही एजेंसी करेगी । योजना की कुल लागत 36-58 लाख रू0 आंकी गयी है । वर्ष 87-88 हेतु केवल 15-00 लाख रू0 का प्राविधान प्रस्तावित है ।

ग्रामीण एवं लघु उद्योग

13-3-1 - योजना का नाम- औद्योगिक संस्थान का रखरखाव, स्वतंत्र औद्योगिक फीडर की स्थापना :-

उद्देश्य :-

झांसी मुख्यालय के ग्वालियर रोड पर स्थित औद्योगिक आस्थान जनपद का सबसे पुराना आस्थान है । इसमें कार्यरत उद्यमियों की स्वतंत्र औद्योगिक फीडर की सुविधा उपलब्ध कराना ।

योजना का परिव्यय :- औद्योगिक फीडर की मांग विगत वर्षों में की की गयी थी पर वित्तीय अल्पता के कारण इसे प्रस्तावित नहीं किया जा सका । वर्ष 87-88 हेतु 4 लाख रू0 का परिव्यय प्रस्तावित है ।

लाभ :- औद्योगिक आस्थान स्थित 27 उद्योगों को इससे उत्पादन बढ़ाने में लाभ पहुंचेगा ।

चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य

वर्ष 87-88 हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी एवं क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अधिकारी द्वारा प्रस्तुत योजनाओं में से निम्न योजनाओं की संस्तुति की जा रही है ।

13-4-1 योजना का नाम- चीर घर का निर्माण :-

योजना की स्थिति व रखरखाव :- वर्तमान में तहसील मुख्यालय पर मऊरानीपुर में एक पुराना चीर घर ॥पोस्ट मार्टम सेण्टर॥ कार्यरत है, जिसका लाभ मऊरानीपुर एवं गरौठा तहसील को मिलता है । यह चीर घर भवन जीर्ण-शीर्ण हो गया है । मऊरानीपुर में उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मोंठमें भी पोस्ट मार्टम सेण्टर स्वीकृत कर दिया गया है ।

वर्ष 1987-88 हेतु मऊरानीपुर स्थित चीर घर का नया भवन बनाये जाने का प्रस्ताव है, जिसके लिये भूमि उपलब्ध है । निर्माण कार्य विभागीय मानकों के अनुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराया जायेगा । योजना का परिव्यय 3 लाख रू0 प्रस्तावित है ।

योजना का लाभ :- योजना का लाभ तहसील गरौठा तथा मऊ के नागरिकों को मिलेगा ।

13-4-2 - उच्चीकृत प्राथमिक स्वा0 केन्द्रों में विशिष्ट चिकित्सा सुविधायें :-

उद्देश्य :- ग्रामीण क्षेत्रों में दन्त चिकित्सा सुविधा का प्रसार ।

स्थान व परिव्यय :- वर्तमान में दन्त चिकित्सा सुविधा केवल जिला मुख्यालय पर ही उपलब्ध है । इसको ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचाने के आशय से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मऊरानीपुर व मोंठ में दन्त चिकित्सा इकाई खोलना प्रस्तावित है ।

योजना का परिव्यय 60 हजार रू0 है ।

लाभ :-

तहसील मोंठ, गरौठा एवं मऊरानीपुर की जनता लाभांवित होगी ।

13-4-3 - योजना का नाम- होम्योपैथिक चिकित्सा इकाईयों की स्थापना :-

उद्देश्य :- होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति का ग्रामीण अंचलों में प्रचार एवं प्रसार ।

स्थल व परिव्यय :- वर्तमान में होम्योपैथिक चिकित्सा सुविधा केवल जिला मुख्यालय पर ही उपलब्ध है । वर्ष 87-88 में उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मऊरानीपुर में एक होम्योपैथिक चिकित्सा इकाई स्थापित करने का लक्ष्य है, जिस पर 30 हजार रू0 व्यय का अनुमान है ।

लाभ :-

मऊरानीपुर की जनता को इसका लाभ मिलेगा ।

13-4-4 -योजना का नाम- उच्चीकृत प्रा0 स्वा0 केन्द्रों में जनरेटर की व्यवस्था :-

उद्देश्य :-

उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना ।

स्थल व परिव्यय :-

उच्चीकृत प्रा0 स्वा0 केन्द्र पर बड़े जेनरल आपरेशन, एक्सरे सुविधा एवं परिवार कल्याण आपरेशनों के लिये विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मऊरानीपुर में जनरेटर की सुविधा 87-88 में 2 लाख रु0 का परिव्यय प्रस्तावित है ।

लाभ :-

आपरेशन, एक्सरे, में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चिततक का लाभ तहसील मऊरानीपुर व गरौठा क्षेत्र को मिलेगा ।

13-4-5 -योजना का नाम- राजकीय आयुर्वेदिक/यूनानी चिकित्सालयों के भवनों तथा स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण :-

उद्देश्य :-

आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का लाभ जनता को पहुंचाना व स्टाफ को रहने की सुविधा उपलब्ध कराया जाना ।

स्थल व परिव्यय :-

वर्ष 85-86 में स्वीकृत रू0 चिकित्सालय हेतु भवन ग्राम रक्सा में स्टाफ क्वार्टर्स हेतु कुल लागत 3 लाख रू0 40 प्रतिशत रू0 1-20 लाख प्रस्तावित है ।

योजना का लाभ :-

ग्राम रक्सा के निवासियों को लाभ मिलेगा ।

जल निगम

13-5-1 -योजना का नाम- कोंछाभांवर पेयजल योजना :-

उद्देश्य :-

कोंछाभांवर एवं निकटवर्ती क्षेत्र को नल लगाकर पेयजल आपूर्ति ।

परिव्यय :-

योजना की लागत 10 लाख रू0 वर्ष 87-88 का परिव्यय 7-50 लाख रू0 ।

लाभ :- कोंछभांवर ग्राम की जनता को प्रस्तावित इंजीनियरिंग कालेज व औद्योगिक आस्थान कानपुर रोड के उद्योग एवं निवासी ।

सेवायोजन

13-6-1 - योजना का नाम- सेवायोजन कार्यालय का सुदृणीकरण ।

उद्देश्य :-
सेवायोजन कार्यालय में जीप की व्यवस्था ।

परिव्यय :-

मद	व्यय हेतु रू0 आवर्तक	अनावर्तक
1- जीप की लागत	-	100-00
2- ड्राइवर का वेतन व भत्ते	4-50	-
3- ड्राइवर का यात्रा भत्ता	0-50	-
4- पी0ओ0एल0 चार्जेज	3-00	-
योग	8-0	100-00

कुल लागत 108 हजार रूपये

लाभ :- सी0पी0एन0 एक्ट के अन्तर्गत नियोजकों से सम्पर्क में सुविधा व अन्य राजकीय कार्य पर सफल नियंत्रण ।

शिल्पकार प्रशिक्षण

13-7-1 - योजना का नाम- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान झांसी चहारदीवारी का निर्माण ।

उद्देश्य :- वर्तमान औद्योगिक प्रशिक्षण भवन की सुरक्षा ।

स्थल व परिव्यय :-
वर्तमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के चारों ओर 2500 मीटर लम्बी चहारदीवारी बनाना प्रस्तावित है । इसकी लागत 16 लाख रू0 आंकी गयी है । 1987-88 हेतु कुल 4 लाख रू0 का प्राविधान है ।

लाभ :- औद्योगिक प्रशिक्षण भवन प्रांगण की सुरक्षा ।

अध्याय-14

योजना का वित्त पोषण

14-0 :- सचिव नियोजन, उ0 प्र0 शासन के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 3/122/35-आ0-2/86 -192 दिनांक 8-3-86 में प्रसारित निर्देशानुसार जनपद झाँसी की जिला योजना वर्ष 87-88 4,90,14 हजार रू0 की तैयार की गई । वर्ष 1986-87 में जिला योजना की धनराशि 4,29,99 हजार रू0 की स्वीकृत की गई थी ।

14-1 वर्ष 1987-88 में जिला योजना हेतु वित्त निम्न श्रोतों से उपलब्ध होगा ।

श्रोत	विभाग	धनराशि ह0 रू0
1- राज्य आयोजनागत जिला सेक्टर	जिला योजनायें सम्मिलित समस्त विभाग	4,90,14-00
2- केन्द्रीय सहायता	1- कृषि	50-00
	2- कृषि विपणन	271-00
	3- भूमि सुधार	50-00
	4- पशुपालन	4-00
	5- मत्स्य	360-00
	6- वन	750-00
	7- क्षेत्र विकास	
	(अ) ए0 ग्रा0वि0	4800-00
	(ब) डी0पी0ए0पी0	2250-00
	(स) ल0सी0कू0	2000-00
	8- राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम	6000-00
	9- सहकारिता	250-00
	10- उद्योग	100-00
	11- शिक्षा	716-00
		175,01-00
3- पंचायतें	पंचायत	1050-00
4- संस्थागत वित्त	समस्त सेक्टर	5,02,00-00

समाप्त

:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

:: जिला योजना 87-88 जनपद -- झाँसी ::
तालिकाओं की विभागवार अनुक्रमणिका ::

पृष्ठ संख्या
1 से 4 तक

जी0एन0-1 विभाग	जी0एन0-2	जी0एन0-3
1- कृषि	5	48-49
2- उद्यान एवं फल संरक्षण	6-7	50-51
3- कृषि विपणन	8	52
4- भूमि सुधार	9	53
5- निजी लघु सिंचाई	10	54
6- राजकीय लघु सिंचाई	11	55
7- भूमि एवं जल संरक्षण	12	56
8- पशु पालन	13-14	57-58
9- मत्स्य विकास	15	59
10- वन	16	60-63
11- पंचायत राज	17	64
12- प्रादेशिक विकास दल	18	65
13- ग्राम्य विकास (ब्लाक भवन)	19	66
14- एकीकृत ग्राम्य विकास 15- सूखोन्मुख कार्यक्रम 16- लघु सीमांत कृषक उत्पादन बढ़ाने हेतु सहायता कार्यक्रम	20	67
17- सहकारिता	21-22	68-69
18- विद्युत	23	70
19- ग्रामीण एवं लघु उद्योग	24	71-73
20- सड़क एवं पुल	25-27	74
21- पर्यटन	28	75
22- सामान्य शिक्षा	29-32	76-78
23- खेलकूद	33	79
24- प्राविधिक शिक्षा	34	80
25- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	35-36	81-82
26- जल सम्पूर्ति (जल विभाग)	37	83
27- जल सम्पूर्ति ग्राम्य विकास	38	84
28- ग्रामीण आवास (ग्राम्य विकास)	39	85
29- सूचना	40	-
30- क्षेम कल्याण	41	-
31- सेवायोजन	42	86
32- शिल्पकार प्रशिक्षण	43	87
33- अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण	44-45	88-91
34- समाज कल्याण	46	
35- पृष्टाहार समाज कल्याण	47	

:: विकेन्द्रित जिला योजना 1987-88 ::

:जी0एन0-1:

जनपद - झाँसी

:योजनावार व्यय/परिव्यय:

परिव्यय हजार रू0 में

क्र0सं0	विभाग का नाम	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय			1986-87 अनुमानित व्यय			1987-88 हेतु प्रस्तावित परिव्यय		
				कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
चालू एवं नई योजना:-												
1-	कृषि	1501-40	841-00	883-00	440-00	-	883-00	440-00	-	1050-00	765-00	-
2-	उधान	1265-10	360-40	703-00	200-00	-	703-00	200-00	-	840-00	350-00	-
3-	कृषि विपणन	--	--	124-00	124-00	-	124-00	124-00	-	271-00	271-00	-
4-	भूमि सुधार	611-00	8-00	50-00	--	-	50-00	--	-	50-00	--	-
5-	निजी लघु सिंचाई	9258-50	2494-00	2385-00	--	-	2385-00	100-00	-	2950-00	100-00	-
6-	राजकीय लघु सिंचाई	17786-00	5075-00	3850-00	3850-00	-	3850-00	3850-00	-	2000-00	2000-00	-
7-	भूमि एवं जल संरक्षण	6089-00	1540-00	1600-00	--	-	1600-00	--	-	2500-00	--	-
8-	पशुपालन	1173-00	802-38	1081-00	--	-	1081-00	--	-	1050-00	350-00	-
9-	मत्स्य विकास	104-93	--	450-00	--	-	450-00	--	-	360-00	--	-
10-	वन	2706-00	2525-00	2840-00	1070-00	2840-	2840-00	1070-00	-	1990-00	840-00	-
11-	पंचायत राज	835-00	752-00	746-00	350-00	746-	746-00	350-00	-	856-00	450-00	-
12-	प्रादेशिक विकास दल	159-00	116-00	200-00	--	-	200-00	--	-	343-95	100-00	-

विकेन्द्रित जिला योजना 1987-88   जनपद-झाँसी   (हजार रू० में)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13-	ग्राम्य विकास ब्लाक भवन	--	--	--	--	-	--	--	-	1500-00	1500-00	-
14-	एकीकृत ग्राम्य विकास	12558-00	3144-00	4800-00	960-00	[illegible]	5516-00	860-00	-	4800-00	900-00	
15-	सूखोन्मुख कार्यक्रम	5885-00	1800-00	1800-00	1530-00	-	2250-00	1912-50	-	2250-00	1912-50	-
16-	ल०सी०कृ० उत्पादन बढ़ाने हेतु सहायता	547-00	1200-00	2000-00	--	-	2000-00	--	-	2000-00	--	-
17-	सहकारिता	316-00	230-00	404-00	--	-	399-00	--	-	537-00	--	-
18-	विद्युत	256-00	624-00	887-00	--	-	887-00	--	-	--	--	-
19-	ग्रामीण एवं लघु उद्योग	2258-25	867-72	1415-00	130-00	-	1415-00	130-00	-	2008-60	638-00	-
20-	सड़क एवं पुल	18200-00	3621-00	3640-00	3137-00	3137-00	3640-00	3137-00	3137-00	3897-00	3367-00	3367-0
21-	पर्यटन	--	--	480-00	480-00	-	480-00	480-00	-	1000-00	1000-00	-
22-	सामान्य शिक्षा	7288-00	2242-00	1987-00	672-40	1364-00	1987-00	672-40	1364-00	2095-50	692-40	1905-5
23-	खेलकूद	564-74	291-77	332-00	218-00	-	332-00	218-00	-	1142-40	1000-20	-
24-	प्राविधिक शिक्षा	490-70	--	230-00	230-00	-	230-00	230-00	-	988-55	988-55	-
25-	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य:-											
	1- सी०एम०ओ०	--	2031-00	3018-00	800-00	1258-00	3018-00	800-00	1258-00	4890-00	4287-00	4300-0
	2- आयुर्वेद	371-70	25-00	243-00	--	-	243-00	[illegible]	-	823-00	120-00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26-	जलसम्पूर्ति ग्राम्यवि०	1384-33	300-00	—	—	-	—	—	-	250-00	—	25
27-	जल निगम	11017-00	750-00	750-00	750-00	-	750-00	750-00	750-00	750-00	750-00	750-
28-	ग्रामीण आवास ग्राम्य विकास	843-00	153-00	—	—	-	—	—	-	200-00	—	200-
29-	सूचना	—	50-00	—	—	-	—	—	-	—	—	-
30-	श्रम कल्याण	—	—	104-00	—	-	104-00	—	-	—	—	-
31-	सेवायोजन	—	—	400-00	400-00	-	400-00	400-00	-	100-00	100-00	-
32-	शिल्पकार प्रशिक्षण	113-00	—	400-00	—	-	400-00	—	-	700-00	700-00	-
33-	अनु०जाति/जनजाति कल्याण ।	463-30	222-00	700-00	—	-	700-00	—	-	386-00	—	-
34-	समाज कल्याण	2556-90	1731-20	1775-00	—	-	1725-00	—	-	1805-00	—	-
35-	पुष्टाहार समाज कल्याण	—	912-00	2622-00	—	2622-00	2622-00	—	2622-00	2622-00	—	2622-00
योग:-		106552-52	33221-00	42899-00	15341-40	9131-00	44010-00	15723-90	9131-00	49014-00	23179-65	13394-

क्रमशः---4---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
नई योजनायें:-												
1-	पंचायत राज	--	--	--	--	--	--	--	200-00	200-00	--	--
2-	ग्राम्य विकास विभाग (ब्लाक भवन)	--	--	--	--	--	--	--	1500-00	1500-00	--	--
3-	ग्रामीण एवं लघु उद्योग	--	--	--	--	--	--	--	400-00	400-00	--	--
4-	चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य	--	--	--	--	--	--	--	710-00	606-00	--	--
5-	जलनिगम	--	--	--	--	--	--	--	750-00	750-00	--	--
6-	सेवायोजन	--	--	--	--	--	--	--	108-00	100-00	--	--
7-	शिल्पकार प्रशिक्षण								400-00	400-00	--	--
योग नई योजना:-		--	--	--	--	--	==	--	4068-00	3956-00	--	--

विभाग का नाम:- कृषि ।

:: हजार रू०में ::

:: जनपद - झाँसी ::

क्र०सं०	योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय			1986-87 अनुमानित व्यय			1987-88 हेतु प्रस्तावित परिव्यय		
				कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1-	चालू योजना:-											
1-	प्रदेश के मैदानी भागों में बीज विधायन संयंत्र की स्थापना	116-00	135-00	70-00	-	-	70-00	-	-	75-00	-	-
2-	प्रदेश के मैदानी भागों में गुणात्मक बीजों के संवर्द्धन ग्रहण एवं वितरण की योजना	1194-60	507-00	662-00	340-00	-	662-00	340-00	-	800-00	640-00	-
3-	केन्द्र द्वारा पुरो-निधारित दलहनी फसल के उत्पादन की योजना	20-00	91-00	41-00	-	-	41-00	-	-	50-00	-	-
4-	प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में कृषि रक्षा सेवाके सुदृढ़ीकरण की योजना ।	170-00	108-00	110-00	100-00	-	110-00	100-00	-	125-00	125-00	-
	योग:-	1501-40	841-00	883-00	440-00	-	883-00	440-00	-	1050-00	765-00	-

:: योजनावार व्यय/परिव्यय :: (6) :: जी०एन०-2 ::

विभाग का नाम- उद्यान एवं फल उपयोग विभाग उ०प्र० । (हजार रू० में) :: जनपद- झाँसी ::

क्र०सं०	योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय			1986-87 अनुमानित व्यय			1987-88 हेतु प्रस्तावित परिव्यय		
				कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1- चालू योजना:-												
1-(17)	वर्तमान उद्यानों के सुधार की योजना	108-00	31-90	240-00	200-00	-	240-00	200-00	--	400-00	300-00	-
2-	प्रदेश में औद्यानिक उत्पादन एवं बीज विधायन इकाइयों की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण	555-00	162-20	150-00	--	-	150-00	--	-	100-00	--	-
3-	प्रदेश के पूर्वी एवं पिछड़े क्षेत्रों में औद्यानिक विकास की योजना ।	199-00	46-30	80-00	--	-	80-00	--	-	100-00	--	-
योग चालू योजना:-		862-10	240-40	470-00	200-00	-	470-00	200-00	-	600-00	300-00	-
नई योजना:-		--	--	--	--	-	--	--	-	--	--	-
योग चालू + नई योजना		862-10	240-40	470-00	200-00	-	470-00	200-00	-	600-00	300-00	-

क्रमशः------2-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1-	चालू योजना:-											
1-	सामुदायिक फल संरक्षण केन्द्रों के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण की योजना।	40-00	8-00	22-00	-	-	22-00	-	-	25-00	-	-
2-	खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना।	363-00	112-00	211-00	-	-	211-00	-	-	215-00	-	-
	योग चालू योजना फल संरक्षण :-	403-00	120-00	253-00	-	-	233-00	-	-	240-00	-	-
	नई योजना:-	5-	--	--	--	-	--	-	-	--	-	-
	योग उद्यान एवं फल संरक्षण :-	1265-10	360-40	703-00	200-00	-	703-00	200-00	-	840-00	500-00	-

:: योजनावार व्यय /परिव्यय ::

::जी०एन०-2::

विभाग का नाम:- कृषि विपणन

{हजार रु०में} :: जनपद - झाँसी ::

क्र०सं०	योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय			1986-87 अनुमानित व्यय			1987-88हेतु प्रस्तावित परिव्यय		
				कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1- चालू योजना:-												
1-केन्द्र पुरोनिर्धारित योजना के अन्तर्गत कृषि उपज के भंडारण हेतु राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण गोदामों के निर्माण हेतु राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की सहायता अनुदान:-		--	124-00	124-00	124-00	--	124-00	124-00	--	271-00	271-00	--
योग चालू योजना:-		--	124-00	124-00	124-00	--	124-00	124-00	--	271-00	271-00	--
योग नई योजना:-		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
योग चालू + नई योजना :-		--	124-00	124-00	124-00	--	124-00	124-00	--	271-00	271-00	--

:: योजनावार व्यय/परिव्यय :: : जी0एन0-2 ::

विभाग का नाम:- भूमि सुधार । हजार रू0में :: जनपद-झाँसी ::

क्र0सं0	योजना	1984-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय			1986-87 अनुमानित व्यय			1987-88 हेतु प्रस्तावित परिव्यय		
				कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1- चालू योजना:-											
	तीलिंग से प्राप्त भूमि आवंटियों की वित्तीय सहायता	611-00	8-00	50-00	--	--	50-00	--	--	50-00	--	--

नोट:- कोई भी नयी योजना प्रस्तावित नहीं है ।

:: योजनवार व्यय/परिव्यय :: ::जी0एन0-2 ::

विभाग का नाम:- निजी लघु सिंचाई विभाग । (हजार रू0में) : जनपद - झांसी :

क्र0सं0	योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय कुल	1986-87 अनुमोदित परिव्यय पूंजीगत	1986-87 अनुमोदित परिव्यय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	1986-87 अनुमानित व्यय कुल	1986-87 अनुमानित व्यय पूंजीगत	1986-87 अनुमानित व्यय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	1987-88 हेतु प्रस्तावित परिव्यय कुल	1987-88 हेतु प्रस्तावित परिव्यय पूंजीगत	1987-88 हेतु प्रस्तावित परिव्यय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1-	चालू योजना:-(1) अनुदान:-											
अ-	लघु सिंचाई द्वारा सामान्य कृषकों को अनुदान सुविधा	6271-00	1594-00	1327-00	-	-	1287-00	-	-	1500-00	-	-
ब-	ब्लास्टिंग यूनिटों से कुओं को गहरा करने की योजना-	--	87-00	140-00	-	-	140-00	-	-	200-00	-	-
स-	पठारी क्षेत्रों की योजना ट्यूबवेल निर्माण	--	258-00	550-00	-	-	550-00	-	-	600-00	-	-
द-	निःशुल्क बोरिंग में अन्तर की अनुदान	--	40-00	--	--	-	40-00	-	-	100-00	-	-
	योग अनुदान:-	6271-00	1979-00	2017-00	-	-	2017-00	-	-	2400-00	-	-
(2)	बोरिंग गोदाम निर्माण	1779-00	200-00	--	-	-	100-00	100-00	-	100-00	100-00	-
(3)	अन्य व्यय	1208-50	275-00	322-00	-	-	322-00	-	-	350-00	-	-
(4)	संयंत्र एवं उपकरण	--	45-00	--	-	-	46-00	-	-	100-00	-	-
	योग चालू योजना:-	9258-50	2494-00	2385-00	-	-	2385-00	100-00	-	2950-00	100-00	-
	नई योजना:-	--	--	--	-	-	--	--	-	--	-	-
	योग चालू *नई योजना-	9258-50	2494-00	2385-00	-	-	2385-00	100-00	-	2950-00	100-00	-

:: योजनावार व्यय/परिव्यय ::

:: जी0एन0-2 ::

विभाग का नाम:- राजकीय लघु सिंचाई।

(हजार रू0में) :: जनपद - झाँसी ::

क्र0सं0	योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय कुल	1986-87 अनुमोदित परिव्यय पूंजीगत	1986-87 अनुमोदित परिव्यय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	1986-87 अनुमानित व्यय कुल	1986-87 अनुमानित व्यय पूंजीगत	1986-87 अनुमानित व्यय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	1987-88 हेतु प्रस्तावित परिव्यय कुल	1987-88 हेतु प्रस्तावित परिव्यय पूंजीगत	1987-88 हेतु प्रस्तावित परिव्यय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1- चालू योजनायें :-												
राजकीय नलकूप (सामान्य कार्यक्रम)		11786-00	5075-00	3850-00	3850-00	-	3850-00	3850-00	-	2000-00	2000-00	--
योग चालू योजना:-		11786-00	5075-00	3850-00	3850-00	-	3850-00	3850-00	-	2000-00	2000-00	--
2- नई योजनायें:-		--	--	--	--	-	--	--	-	--	--	--
योग नई + चालू योजनायें :-		11786-00	5075-00	3850-00	3850-00	-	3850-00	3850-00	-	2000-00	2000-00	--

:: योजनवार व्यय /परिव्यय ::　　　:: जी0एन0-2 ::

विभाग का नाम:- भूमि एवं जल संरक्षण ।　　　{हजार रू0में}　　　:: जनपद - झाँसी ::

क्र0सं0 योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय			1986-87 अनुमानित व्यय			1987-88हेतु प्रस्तावित परिव्यय		
			कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1- 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1- चालू योजनायें :-											
प्रदेश के मैदानी भागों में भूमि एवं जल संरक्षण की योजना :-											
1-भूमि संरक्षण इकाई झांसी	6089-00	1540-00	1400-00	--	--	1400-00	--	--	2000-00	--	--
2-भूमि संरक्षण इकाई डी.पी.ए.पी. गुरसरांय	--	--	200-00	--	--	200-00	--	--	500-00	--	--
योग चालू योजना:-	6089-00	1540-00	1600-00	--	--	1600-00	--	--	2500-00	--	--
2- नई योजना:-	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
योग चालू + नई योजना:-	6089-00	1540-00	1600-00	--	--	1600-00	--	--	2500-00	--	--

नोट:- इस जनपद में दो इकाईयां कार्य करती हैं एक सामान्य इकाई, दूसरी डी.पी.ए.पी.इकाई.दोनों में परिव्यय का बटवारा उ0नि0भू0सं0 झांसी की संस्तुति एवं कार्य वितरण के आधार पर किया गया है ।

:: योजनवार व्यय/परिव्यय :: ::जी0एन0-2::

विभाग का नाम:- पशुपालन । ॥हजार रू0में॥ : जनपद - झाँसी :

क्र0सं0	योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय			1986-87 अनुमानित व्यय			1987-88 हेतु प्रस्तावित परिव्यय		
				कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1-	चालू योजना:-											
1-	पशु चिकित्सा एवं पशु स्वास्थ्य सुविधाओं के सुधार एवं विस्तार की योजना ।	372-20	96-80	41-60	-	-	41-60	-	7 -	227-80	200-00	-5
2-	खुरपका, मुंहपका रोग की रोकथाम	--	4-00	2-00	-	-	2-00	-	-	4-00	--	--
3-	पशुधन क्षेत्र पर प्रजनन कार्य हेतु सांडों के उत्पादन की योजना	--	65-00	30-00	-	-	30-00	-	-	50-00	50-00	--
4-	प्रदेश में क्0ग्0 ढांचे का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार की योजना	10-50	46-00	37-20	-	-	37-20	-	-	54-00	"--	--
5-	अतिहिमी कृत्रिम वीर्य द्वारा क्0ग्0 कार्यक्रम के सुदृढ़ीकरण की योजना	--	125-00	320-00	-	-	320-00	-	-	188-00	--	--
6-	नये कुक्कुट क्षेत्रों की स्थापना तथा वर्तमान कुक्कुट क्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण की योजना	--	183-00	125-00	-	-	125-00	-	-	102=00	--	--
7-	संयुक्त राष्ट्र बाल आपातनिधि के सहयोग से व्यवहारिक पुष्टाहार एवं कुक्कुट उत्पादन की योजना	17-50	4-00	4-00	-	-	4-00	-	-	4-00	--	--

क्रमशः:----2---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8-	राज्य में भेंड व बकरी प्रजनन सुविधाओं के प्रसार की योजना	54-80	9-30	10-00	-	-	10-00	-	-	9-00	-	-
9-	भेड़ प्रजनन सुविधाओं का विकास एवं सुदृढ़ीकरण तथा स्वास्थ्य सेवायें	94-50	39-10	126-50	-	-	126-50	-	-	110-00	-	-
10-	प्रदेश में ऊन श्रेणीकरण तथा विपणन केन्द्र का सुदृढ़ीकरण एवं प्रचार की योजना	242-00	194-00	342-00	-	-	342-00	-	-	271-00	100-00	-
11-	सुअर प्रजनन सुविधाओं का प्रसार एवं सुदृढ़ीकरण की योजना	9-40	12-78	13-70	-	-	13-70	-	-	8-00	-	-
12-	पशुधन विकास संबंधी प्रसार कार्यक्रम की योजना	--	4-20	4-20	-	-	4-20	-	-	4-20	-	-
13-	चारा/चारा बीज चारागाहों के विकास की योजना	372-30	19-00	24-00	-	-	24-00	-	-	10-00	-	-
	योग चालू योजना:-	1173-20	802-38	1031-00	-	-	1081-00	-	-	1050-00	350-00	-

:: योजनवार व्यय/परिव्यय :: ::जी०एन०-2::

विभाग का नाम:- मत्स्य पालन । ॥हजार रू०में॥ : जनपद - झाँसी :

क्र०सं०	योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय			1986-87 अनुमानित व्यय			1987-88 हेतु प्रस्तावित परिव्यय		
				कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1- चालू योजना :-												
	मत्स्य पालक विकास अभिकरण	104-93	--	450-00	--	--	450-00	--	-5	360-00	--	--
योग चालू योजना :-		104-93	--	450-00	--	--	450-00	--	--	360-00	--	--
2- नई योजना:-		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
योग चालू + नई योजना:-		104-93	--	450-00	--	--	450-00	--	--	360-00	--	--

:: योजनावार व्यय/परिव्यय ::   ::जी०एन०-2::

विभाग का नाम:- वन विभाग ।   ॥हजार रू० में॥   : जनपद - झाँसी :

क्र०सं०	योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	1986-87 अनुमानित व्यय कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	1987-88 हेतु प्रस्तावित परिव्यय कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1- चालू योजनायें:-												
1-ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन प्रजातियों का वृक्षारोपण		1989-00	850-00	750-00	100-00	--	750-00	100-00	--	750-00	100-00	--
2-संचार साधन		134-00	--	40-00	20-00	--	40-00	20-00	--	60-00	60-00	--
3-वन मनोरंजन॥बेतवा केन्द्र की स्थापना॥ ।		240-00	--	100-00	30-00	--	100-00	30-00	--	100-00	100-00	--
4- भवन		121-00	--	100-00	60-00	--	100-00	60-00	--	180-00	180-00	--
5- वन कर्मचारियों को पेयजल विद्युत सुविधा तथा टोगिया मजदूरों/कृषकों को सुविधायें		172-00	35-00	50-00	30-00	--	50-00	30-00	--	100-00	100-00	--
6- सामाजिक वानिकी		--	710-00	1800-00	830-00	--	1800-00	830-00	--	800-00	300-00	--
7-शहरी क्षेत्रों में सा०वानिकी		50-00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
योग चालू योजना:-		2706-00	1595-00	2840-00	1070-00	--	2840-00	1070-00	--	1990-00	840-00	--
2- नई योजना:-		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
योग चालू + नई योजना:-		2706-00	1595-00	2840-00	1070-00	--	2840-00	1070-00	--	1990-00	840-00	--

:: योजनावार व्यय/परिव्यय :: :: जी०एन०-2 ::

विभाग का नाम:- पंचायतराज । (हजार रुपयें) : जनपद - झाँसी :

क्रमांक	योजना	1984-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय कुल	1986-87 अनुमोदित परिव्यय पूंजीगत	1986-87 अनुमोदित परिव्यय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	1986-87 अनुमानित व्यय कुल	1986-87 अनुमानित व्यय पूंजीगत	1986-87 अनुमानित व्यय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	1987-88 हेतु प्रस्तावित परिव्यय कुल	1987-88 हेतु प्रस्तावित परिव्यय पूंजीगत	1987-88 हेतु प्रस्तावित परिव्यय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1-	चालू योजनायें :-											
1-	पंचायत उद्योगों को तकनीकी तथा प्रबंधकीय सहायकता	35-50	27-00	15-00	-	-	15-00	-	-	20-00	-	-
2-	पंचायतराज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु उन्हें आय में वृद्धि करने हेतु प्रोत्साहन ।	21-00	06-00	06-00	-	-	06-00	-	-	06-00	-	-
3-	ग्रामीण पर्यावरण में स्वच्छता हेतु खड़ंजा तथा नाली का निर्माण ।	645-00	350-00	350-00	-	-	350-00	-	-	350-00	-	-
4-	पंचायत भवनों का निर्माण	83-50	250-00	250-00	250-00	-	250-00	250-00	-	200-00	200-00	-
5-	हाट बाजार तथा मेलों की स्थिति में सुधार हेतु ग्राम सभाओं को अनुदान ।	50-00	69-00	25-00	-	-	25-00	-	-	30-00	-	-
6-	पंचायत उद्योगों की कार्यशाला भवन निर्माण	--	50-00	100-00	100-00	-	100-00	100-00	-	50-00	50-00	-
	योग चालू योजना:-	835-00	752-00	746-00	350-00	-	746-00	350-00	-	656-00	250-00	-
2-	नई योजना:- (जिला केन्द्र पर)											
	पंचायत भवनों का निर्माण	--	--	--	--	--	--	--	-	200-00	200-00	--
	योग नई योजना:-	--	--	--	--	--	--	--	-	200-00	200-00	--
	योग चालू + नई योजना:-	835-00	752-00	746-00	350-00	--	746-00	350-00	-	856-00	450-00	--

:: योजनावार व्यय/परिव्यय ::   :: जी०एन०-2 ::

विभाग का नाम:- प्रादेशिक विकास दल ।   (हजार रु०में)   : जनपद - झाँसी :

क्र०सं०	योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	1986-87 अनुमानित व्यय कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	1987-88 हेतु प्रस्तावित परिव्यय कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1-	चालु योजनायें :-											
1-	स्वयं सेवकों का सुदृढ़ीकरण	--	38-00	50-00	-	-	50-00	-	-	109-95	--	--
2-	युवक मंगल दलों को प्रोत्साहन	15-00	40-00	50-00	-	-	50-00	-	-	60-00	--	--
3-	युवक मंगल दल सेमीनार	3-30	5-00	5-00	-	-	5-00	-	-	10-00	--	--
4-	समाज सेवा, कार्य (मेला प्रदर्शनी तीर्थयात्रा)	--	--	5-00	-	-	5-00	-	-	4-00	--	--
5-	प्रकीर्ण व्यय	0-20	4-00	10-00	-	-	10-00	-	-	12-00	--	--
6-	ग्रामीण युवकों को व्यवसायिक रोजगार	8-30	--	--	-	-	--	-	-	--	--	--
7-	ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन ।	68-40	9-00	10-00	-	-	10-00	-	-	13-00	--	--
8-	ग्रामीण क्षेत्र में व्यायामशाला प्रोत्साहन	63-00	20-00	40-00	-	-	40-00	-	-	100-00	100-00	--
9-	श्रमदान कार्य	--	--	20-00	--	-	20-00	-	-	25-00	--	--
10-	युवकों का तैराकी प्रशिक्षण	00-80	--	10-00	-	-	10-00	-	-	10-00	--	--
	योग चालू योजना:-	159-00	116-00	200-00	-	-	200-00	-	-	343-95	100-00	--
2-	नई योजना:-	--	--	--	-	-	--	-	-	--	--	--
	योग नई + चालू योजना:-	159-00	116-00	200-00	-	-	200-00	-	-	343-00	100-00	--

॥1अ॥

:: योजनावार व्यय/परिव्यय ::

::जी०एन०-2::

विभाग का नाम:- ग्राम्य विकास विभाग॥ब्लाक भवन॥ ॥हजार रू०में॥ :जनपद - झाँसी :

क्र०सं०	योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	1986-87 अनुमानित व्यय कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	1987-88 हेतु प्रस्तावित परिव्यय कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1- चालू योजना:-		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
योग चालू योजना:-		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2- नई योजना:-												
	जिला विकास कार्यालयों के विकास खण्डों में भवनों का निर्माण तथा विक्रदीकरण ॥हायारीय भवन॥	--	--	--	--	--	--	--	--	1500-00	1500-00	--
योग नई योजना:-		--	--	--	--	--	--	--	--	1500-00	1500-00	--
योग नई + चालू योजना:-		--	--	--	--	--	--	--	--	1500-00	1500-00	--

:: योजनावार व्यय/परिव्यय :: ::संलग्नक-2::

विभाग का नाम:- क्षेत्रीय विकास। (हजार रूपये में) : जनपद - झांसी :

क्रमांक	योजना	1984-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	1986-87 अनुमानित व्यय कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	1987-88 हेतु प्रस्तावित परिव्यय कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1- चालू योजना:-												
(अ)	एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम	12528-00	3144-00	4800-00	960-00	--	5516-00	860-00	--	4800-00	900-00	--
(ब)	लघु सिंचाई कृषकों की उत्पादकता बढ़ाने हेतु सहायता	547-00	1200-00	2000-00	--	--	2000-00	--	--	2000-00	--	--
(स)	सूखोन्मुख क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम	5895-00	1800-00	1800-00	1530-00	--	2250-00	1912-50	--	2250-00	1912-50	--

:: योजनावार व्यय/परिव्यय ::

::जी०एन०-2::

विभाग का नाम:- सहकारिता । (हजार रु० में) : जनपदः झांसी :

क्र0सं0	योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	1986-87 अनुमानित व्यय कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	1987-88 हेतु प्रस्तावित परिव्यय कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1-चालू योजनायें:-												
1- सहकारी ऋण एवं अधिकोषण योजना:-												
अ- जिला सहकारी बैंक की शाखाओं हेतु प्रबंधकीय अनुदान ।		32-00	-	24-00	-	-	24-00	-	-	32-00	--	-
ब- जिला सहकारी बैंक की शाखाओं के नवीनीकरण हेतु ऋण		--	-	10-00	-	-	10-00	-	-	5-00	-	-
स- निर्बल वर्ग में वितरित उ० ऋण पर रिक्त फंड हेतु अनुदान		50-00	-	--	-	-	--	-	-	--	-	-
द- अनु०जाति के लोगों की समितियों के अंश क्रय हेतु ब्याज रहित ऋण		60-00	50-00	50-00	-	-	50-00	-	-	50-00	-	-
2- क्रय विक्रय योजना :-												
अ- क्र०विक्रय स०को खाद्यान्न व्यवसाय हेतु मार्जिन मनी		24-00	-	--	-	-	--	-	-	--	-	-
ब- जिला सह० संघ को उर्वरक व्यवसाय हेतु मार्जिन मनी		--	105-00	165-00	-	-	165-00	-	-	300-00	-	-
स- क्रय विक्रय समिति के मूल्य के उतार-चढ़ाव निधि हेतु अनुदान		--	-	5-00	-	-	--	-	-	--	-	-

क्रमशः---2---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3- सहकारी उपभोक्ता योजना:-												
अ- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अर्न्तगत उपभोक्ता व्यवसाय हेतु मार्जिन मनी		150-00	75-00	150-00	-	-	150-00	-	-	150-00	-	-
योग चालू योजना:-		316-00	230-00	404-00	-	-	399-00	-	-	537-00	-	-
2- नई योजना:-		--	--	--	-	-	--	-	-	---	-	-
योग चालू + नई योजना :-		316-00	230-00	404-00	-	-	399-00	-	-	537-00	-	-

:: योजनावार व्यय/परिव्यय ::

:: जी०एन०-2 ::

विभाग का नाम:- विद्युत ।

(हजार रू० में)

जनपद - झांसी :

क्र०सं०	योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय कुल	1986-87 अनुमोदित परिव्यय पूंजीगत	1986-87 अनुमोदित परिव्यय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	1986-87 अनुमानित व्यय कुल	1986-87 अनुमानित व्यय पूंजीगत	1986-87 अनुमानित व्यय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	1987"88हेतु प्रस्तावित परिव्यय कुल	1987"88हेतु प्रस्तावित परिव्यय पूंजीगत	1987"88हेतु प्रस्तावित परिव्यय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1- चालू योजना :-												
ग्रामीण विद्युतीकरण (राज्य सामान्य कार्यक्रम)		256-07	624-00	887-00	-	887-00	887-00	-	887-00	-	-	-
योग चालू योजना:-		256-07	624-00	887-00	-	887-00	887-00	-	887-00	-	-	-
2- नई योजना :-		--	--	--	-	--	--	-	--	-	-	-
योग नई + चालू योजना:-		256-07	624-00	887-00	-	887-00	887-00	-	887-00	-	-	-

:: योजनावार व्यय/परिव्यय :: ÷:जी०एन०-2::

विभाग का नाम:- ग्रामीण एवं लघु उद्योग । (हजार रू०में) : जनपद - झाँसी :

क्र०सं०	योजना	1984-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय कुल	1986-87 अनुमोदित परिव्यय पूंजीगत	1986-87 अनुमोदित परिव्यय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	1986-87 अनुमानित व्यय कुल	1986-87 अनुमानित व्यय पूंजीगत	1986-87 अनुमानित व्यय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	1987-88 हेतु प्रस्तावित परिव्यय कुल	1987-88 हेतु प्रस्तावित परिव्यय पूंजीगत	1987-88 हेतु प्रस्तावित परिव्यय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1- चालू योजनायें:-												
लघु उद्योगों की सहायता :-												
1-	जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से मार्जिन मनी ऋण ।	535-00	200-00	100-00	-	-	100-00	-	-	100-00	-	-
2-	एकीकृत मार्जिनमनी ऋण	--	--	400-00	-	-	400-00	-	-	500-00	-	-
3-	मेले/प्रदर्शनी	--	10-00	25-00	-	-	25-00	-	-	25-00	-	-
4-	उद्यमकर्ता विकास प्रशिक्षण एवं शोध ग्रामीण उ०केन्द्र	--	19-35	36-00	-	-	36-00	-	-	50-00	-	-
5-	चीनीपात्र विकास केन्द्र झाँसी	680-00	400-00	550-00	130-00	-	550-00	130-00	-	662-00	230-00	-
6-	हथकरघा अंश पूंजी ऋण	884-05	114-97	150-00	-	-	150-00	-	-	150-00	-	-
7-	हथकरघा प्रबंधकीय सहायता	167-30	23-40	54-00	-	-	25-00	-	-	21-00	--	-
8-	हथकरघों का आधुनिकीकरण	112-90	100-00	100-00	-	-	100-00	-	-	100-00	-	-
	योग चालू योजना:-	2299-25	867-72	1415-00	130-00	-	1415-00	130-00	-	1608-00	230-00	-
2- नई योजना:-												
	औद्योगिक आस्थान	--	--	--	-	-	--	-	-	400-00	400-00	-
	योग नई योजना:-	--	--	--	-	-	--	-	-	400-00	400-00	-
	योग नई + चालू योजना:-	2299-25	867-72	1415-00	130-00	-	1415-00	130-00	-	2008-00	630-00	-

:: योजनावार व्यय/परिव्यय ::   :: जी0एन0-2 ::

विभाग का नाम:- सार्वजनिक निर्माण विभाग ।   (जनपद - झाँसी)   (हजार रु0 में)

क्र0सं0	योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	1986"87 अनुमानित व्यय कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	1987"88 हेतु प्रस्तावित परिव्यय कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1- चालू योजना:-												
जिला एवं अन्य मार्ग सेतु निर्माण तथा मार्गों का पुन: निर्माण:-												
क- मार्गों का पुन: निर्माण:-												
1- मुख्य जिला मार्ग		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2- अन्य जिला मार्ग		--	--	391-00	391-00	391-00	391-00	391-00	391-00	--	--	--
3- ग्रामीण मार्ग		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4- अन्य विभागों के मार्ग नहर पटरी		--	--	290-00	290-00	290-00	290-00	290-00	290-00	--	--	--
योग पुन: निर्माण		--	--	681-00	681-00	681-00	681-00	681-00	681-00	--	--	--
ख- लघु सेतु :-												
1- उ0मी0स्थान तक		--	--	400-00	400-00	400-00	400-00	400-00	400-00	1100-00	1100-00	1100-00
2- ग्रामीण मार्ग न्यू0 आ0का0		--	--	2056-00	2056-00	2056-00	2056-00	2056-00	2056-00	2267-00	2267-00	2267-00
कुल योग चालू योजना		[illegible]	[illegible]	3137-00	3137-00	3137-00	3137-00	3137-00	3137-00	3367-00	3367-00	3367-00
अधिष्ठान व्यय:-		--	--	503-00	--	--	503-00	--	--	530-00	--	--
महा योग:-		10200-00	3147-00	3640-00	3137-00	3137-00	3640-00	3137-00	3137-00	3897-00	3367-00	3367-00

:: योजनावार व्यय/परिव्यय ::   :: जी०एन०-2 ::

विभाग का नाम:- सार्वजनिक निर्माण विभाग ।   §हजार रू०में§   :जनपद - झाँसी:

क्र०सं०	योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय कुल	1986-87 अनुमोदित परिव्यय पूंजीगत	1986-87 अनुमोदित परिव्यय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	1986-87 अनुमानित व्यय कुल	1986-87 अनुमानित व्यय पूंजीगत	1986-87 अनुमानित व्यय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	1987-88 हेतु प्रस्तावित परिव्यय कुल	1987-88 हेतु प्रस्तावित परिव्यय पूंजीगत	1987-88 हेतु प्रस्तावित परिव्यय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1- चालू योजनायें:-												
ग्रामीण मार्ग-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम:-												
1-	रक्षा राजापुर मार्ग	--	--	--	--	--	--	--	--	50	50	50
2-	रक्षा अम्बाबाय मार्ग	--	--	--	--	--	--	--	--	200	200	200
3-	सिमरधा लिंक मार्ग	--	--	15	15	15	15	15	15	--	--	--
4-	रेवन-बेरवई मार्ग	--	--	15	15	15	15	15	15	--	--	--
5-	दुगारा अमनपुर मार्ग	--	--	20	20	20	20	20	20	--	--	--
6-	मथुरापुरा-गढ़ियाफाटक	--	--	--	--	--	--	--	--	105	105	105
7-	पठा कटौरा मार्ग पर लघुसेतु का निर्माण	--	--	400	400	400	400	400	400	100	100	100
8-	सिजना-झंगरा रे०स्टे० मार्ग पर लघु सेतु	--	--	--	--	--	--	--	--	1000	1000	1000
9-	बडागाँव थस्नेह मार्ग	--	--	150	150	150	150	150	150	--	--	--
10-	सिमरधा लिंक मार्ग	--	--	150	150	150	150	150	150	--	--	--
11-	बकवाँ शाहजहाँपुर मार्ग	--	--	250	250	250	250	250	250	--	--	--
12-	खैडनी मानौर मार्ग	--	--	56	56	56	56	56	56	300	300	300
13-	मानौर-गढ़वई मार्ग	--	--	56	56	56	56	56	56	--	--	--

क्रमश:----2----

:: 2 :::

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14-गुरसरांय-मोंठलिंक मार्ग		--	--	19	19	19	19	19	19	--	--	--
15-,, ,, ,, ,,		--	--	20	20	20	20	20	20	--	--	--
16-समथर-पीपरी किला मार्ग		--	--	384	384	384	384	384	384	--	--	--
17-सेरसा कैनाल पटरी		--	--	910	910	910	910	910	910	600	600	600
18-मोंठ बधेरा, गुरसरांय [19 कि0मी0]		--	--	21	21	21	21	21	21	--	--	--
19-मोंठ-भांडेर मार्ग		--	--	290	290	290	290	290	290	--	--	--
20-मोंठ-बधेरा गुरसरांय [17 कि0मी0]		---	--	220	220	220	220	220	220	--	--	--
21-कचवा शाहजहांपुर मार्ग		--	--	110	110	110	110	110	110	--	--	--
22-बसोवई बेलसा मार्ग		--	--	51	51	51	51	51	51	--	--	--
23-समथर-धोरका मार्ग		--	--	--	--	--	--	--	--	1012	1012	1012
योग चालू योजना:-		18200	3447	3640	3137	3137	3652	3137	3137	3897	3367	3367

:: योजनावार व्यय/परिव्यय :: [illegible] :जा०एन०-2 ::

विभाग का नाम:- पर्यटन विभाग ।   (हजार रूपयें)   :जनपद - झाँसी :

क्र०सं० योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय कुल	1986-87 अनुमोदित परिव्यय पूंजीगत	1986-87 अनुमोदित परिव्यय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	1986-87 अनुमानित व्यय कुल	1986-87 अनुमानित व्यय पूंजीगत	1986-87 अनुमानित व्यय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	1987-88 हेतु प्रस्तावित परिव्यय कुल	1987-88 हेतु प्रस्तावित परिव्यय पूंजीगत	1987-88 हेतु प्रस्तावित परिव्यय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1- चालू योजना :-											
स्थानीय पर्यटन विकास:-											
(अ)-लक्ष्मीताल का विकास एवं जल प्रदूषण रोकना	--	--	250-00	250-00	--	250-00	--	--	600-00	600-00	--
(ब)-मंडी समिति झाँसी से महाराजा गंगाधरराव की छतरी तक सड़क निर्माण ।	--	--	230-00	230-00	--	230-00	--	--	--	--	--
(स)-झाँसी मंडी समिति से नारायन बाग तक के मार्ग का विद्युतीकरण	--	--	--	--	--	--	--	--	400-00	400-00	--
योग चालू योजना:-	--	--	480-00	480-00	--	400-00	--	--	1000-00	1000-00	--
2- नई योजना:-	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
योग चालू + नई योजना:-	--	--	480-00	480-00	--	480-00	--	--	1000-00	1000-00	--

:: योजनावार व्यय/परिव्यय :: :: जी०एन०-2 ::

विभाग का नाम:- सामान्य शिक्षा 2 (हजार रूपों) :जनपद - झाँसी:

क्र०सं०	योजना	1984-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय			1986-87 अनुमानित व्यय			1987-88 हेतु प्रस्तावित परिव्यय		
				कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1-	चालू योजनायें:-											
	शिक्षा विभाग :-											
1-	ग्रामीण तथा नगर में भवन रहित जूनियर बेसिकस्कूलों के भवन निर्माण हेतु अनुदान-60101001	713-00	250-00	250-00	250-00	250-00	250-00	250-00	250-00	250-00	250-00	250-00
2-	अंशसहायिक मान्यता प्राप्त अशासकीय सी०बे०स्कूलों को अनुदान अनुदान 60101005	794-00	174-00	190-00	--	190-00	190-00	--	190-00	200-00	--	200-00
3-	ग्रामीण तथा नगर क्षेत्र के सी०बे०स्कूलों के भवन निर्माण हेतु अनुदान 60101005	1063	157-00	157-00	157-00	157-00	157-00	157-00	157-00	157-00	157-00	157-00
4-	ग्रामीण क्षेत्र में मिश्रित जू०बे०स्कूलों को खोलने हेतु अनुदान60101006	1005-00	175-00	39-00	--	39-00	39-00	--	39-00	39-00	--	39-00
5-	नगर क्षेत्र में बालक तथा बालिकाओं के जू०बे०स्कूल खोलने हेतु अनुदान 60101007	336-00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

क्रमशः:----2----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6-	जूनियर बे0स्कूल में विज्ञान शिक्षण में सुधार एवं विज्ञान सज्जा हेतु अनुदान 60101007	30-00	--	10-00	--	10-00	10-00	--	10-00	10-00	--	10-00
7-	ग्रामीण क्षेत्रों में छात्र संख्या में वृद्धि तथा स्थिरता हेतु निर्बल वर्ग के बालकों एवं बालिकाओं हेतु प्रोत्साहन अनुदान 60101009	46-00	10-00	10-00	--	10-00	10-00	--	10-00	10-00	--	10-00
8-	नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र में वय वर्ग 6-14 के बच्चों के लिये अंशकालिक कक्षायें खोलने हेतु अनुदान 60101011	932-00	667-00	716-00	"-"	716-00	716-00	"-	716-00	716-00	--	716-00
9-	ग्रामीण क्षेत्रों में बालक एवं बालिकाओं के ली0 बे0स्कूल खोलने हेतु अनुदान 60101013	1441-00	520-00	379-10	157-00	222-10	379-10	157-00	222-10	379-10	157-00	379-10
10-	प्रत्येक जिले में जिला बे0 शिक्षा अधिकारी कार्यालय का सुदृढ़ीकरण 60101015	35-00	--	16-00	--	16-00	16-00	--	16-00	16-00	--	16-00
11-	प्रदेश के प्रत्येक जिले में कक्षा 6 से 8 में 15/= रू0प्रति माह की दरसे 3 वर्ष के लिये योग्यता छात्रवृत्ति 60101017	82-00	27-00	30-00	--	30-00	30-00	--	30-00	30-00	--	30-00
12-	बेसिक स्कूल के अध्यापको को दक्षता पुरूस्कार 60101020	11-00	4-00	4-00	--	4-00	4-00	--	4-00	5-00	--	5-00

क्रमशः---3---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13-	नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध कराने तथा सी०बे० स्कूलों में पाठ्यपुस्तक स्थानीति करने हेतु अनुदान - 60101022	100-00	--	10-00	--	10-00	10-00	--	10-00	10-00	--	10-0[illegible]
14-	ग्रामीण क्षेत्र में सी०बे०स्कूलों को साज-सज्जा हेतु अनुदान 60101024	56-00	45-00	45-00	--	45-00	45-00	--	45-00	45-00	--	45-00
15-	ज०बे०स्कूलों में साज-सज्जा तथा शिक्षण सामग्री हेतु अनुदान 60101025	98-00	--	15-00	--	15-00	15-00	--	15-00	15-00	--	15-00
16-	निर्बल वर्ग के बच्चों को पोशाक की व्यवस्था 60101026	56-00	--	--	--	-	--	--	--	--	--	--
17-	ग्रामीण तथा नगर क्षेत्र के सीनियर बे०शि०स्कूलों में विज्ञान शिक्षण में सुधार एवं विज्ञान सज्जा हेतु अनुदान 60101034	60-00	15-00	15-00	--	15-00	15-00	--	15-00	15-00	--	15-00
18-	अरेबिक मदरसों को अनुरक्षण एवं विकास अनुदान 60108003	99-00	--	2-00	--	2-00	2-00	--	2-00	2-00	--	--
19-	खेलकूद तथा अन्य विद्यालयों के बाहर शैक्षिक-कार्यक्रमों तथा युवकों के कल्याण हेतु प्राविधान	34-00	15-00	17-00	--	--	17-00	--	--	17-00	--	1225-50
20-	उ०मा०विद्यालयों से बालचर योजना का प्रसार	11-00	6-00	2-00	--	--	2-00	--	--	2-00	--	--

क्रमशः----4----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21-	वर्तमान पाठ्यपुस्तकालयों का विकास तथा नये जिला पुस्त0की स्थापना	250-00	150-00	150-00	100-00	--	150-00	100-00	--	150-00	100-00	--
22-	सार्वजनिक पुस्तकालयों का विकास अनुदान	5-00	5-00	5-00	--	--	5-00	--	--	5-00	5-00	--
23-	संस्कृत पाठशाला को विकास अनुदान	2-00	6-00	15-5	--	--	15-50	--	--	6-00	6-00	--
24-	रा0अ0विद्यालयों के भवनों का निर्माण, विस्तार एवं विद्युतीकरण तथा विशेष मरम्मत	19-00	8-00	8-00	--	--	8-00	--	--	8-00	8-00	--
	योग आधारिक:-	331-00	190-00	197-50	100-00	--	197-50	100-00	--	188-00	119-00	--
	योग वेतिक आधारिक:-	7288-00	2242-00	2134-50	672-40	1364-00	2134-00	672-40	1364-00	2095-50	691-40	1905-50
2-	नई योजना:-	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	योग नई + चालू योजना	7288-00	2242-00	2134-00	672-40	1364-00	2134-00	672-40	1364-00	2095-50	691-40	1905-50

:: योजनावार व्यय/परिव्यय ::   :: जी०एन०-2 ::

विभाग का नाम:- खेलकूद विभाग ।   [हजार रुपयें]   ::जनपद - झाँसी::

क्र०सं० योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	1986-87 अनुमानित व्यय कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	1987-88 हेतु प्रस्तावित परिव्यय कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1- चालू योजनायें:-											
1-ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद केन्द्रों का विकास/राजकीय स्कूलों में खेलकूद केन्द्रों की स्थापना ।	0-00	1-13	4-10	-	-	4-10	-	-	3-20	-	-
2-खेलकूद उपकरण सामग्री की सम्पूर्ति	96-37	17-85	26-40	-	-	26-40	-	-	30-00	-	-
3-क्रीडा एवं खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन	68-96	1-17	5-00	-	-	5-00	-	-	40-00	-	-
4-क्रीडा प्रतिष्ठानों का निर्माण											
[अ]-क्रीडागमों का विकास	399-40	--	78-50	-	-	78-50	-	-	69-00	-	-
[ब]-तरणताल का निर्माण	--	247-35	218-00	218-00	-	218-00	218--00	-	1000-20	1000-20	-
योग चालू योजना:-	564-73	267-50	332-00	218-00	-	332-00	218--00	-	1142-40	1000-20	-
2- नई योजना:-	--	--	--	-	-	--	-	-	--	--	-
योग चालू + नई योजना:-	564-73	267-50	332-00	218-00		332-00	218-00	-	1142-40	1000-20	-

:: योजनावार व्यय/परिव्यय ::   :: जी0एम0-2::

विभाग का नाम:- प्राविधिक शिक्षा ।   §हजार रू0में§   : जनपद - झाँसी :

क्र0सं0	योजना	1880-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय कुल	पूंजीगत	न्यनतम आवश्यकता कार्यक्रम	1986-87 अनुमानित व्यय कुल	पूंजीगत	न्यनतम आवश्यकता कार्यक्रम	1987"88 हेतु प्रस्तावित परिव्यय कुल	पूंजीगत	न्यनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1- चालू योजनायें :-												
1-	पॉलीटेकनीक का सुदृढ़ीकरण डाईवर्सीफाइड कार्यक्रमों का प्रारम्भ करना।	254-00	-	150-00	150-00	-	150-00	150-00	-	150-00	150-00	-
2-	पॉलीटेकनीको का विस्तार:-											
§1§	साज-सज्जा की आधुनिकीकरण	211-00	-	60-00	60-00	-	60-00	60-00	-	150-00	150-00	-
§2§	विद्यार्थियों को सुविधा	--	-	--	--	-	--	--	-	16-00	16-00	-
§3§	पुस्तकालय का सुदृढ़ीकरण	25-70	-	20-00	20-00	-	20-00	20-00	-	62-55	62-55	-
§4§	विस्तार योजना के अन्तर्गत भवन	--	-	--	--	-	--	--	-	610-00	610-00	-
योग चालू योजना:-		490-70	-	230-00	230-00	-	230-00	230-00	-	988-55	988-55	-
2- नई योजना:-		--	--	--	--	-	--	--	-	--	--	-
योग चालू + नई योजना:-		490-70	-	230-00	230-00	-	230-00	230-00	-	988-55	988-55	-

:: योजनावार व्यय/परिव्यय :: :: जी०एस०-2::

विभाग का नाम:- प्राविधिक शिक्षा । (हजार रू०में) : जनपद - झांसी :

क्र०सं० योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	1986-87 अनुमानित व्यय कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	1987-88 हेतु प्रस्तावित परिव्यय कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1- चालू योजनायें :-											
1-पालीटेक्नीक का सुदृढ़ीकरण डाईवर्सीफाइड कार्यक्रमों का प्रारम्भ करना।	254-00	-	150-00	150-00	-	150-00	150-00	-	150-00	150-00	-
2-पालीटेक्नीको का विस्तार:-											
(1)साज-सज्जा की आधुनिकीकरण	211-00	-	60-00	60-00	-	60-00	60-00	-	150-00	150-00	-
(2)विद्यार्थियों को सुविधा	--	-	--	--	-	--	--	-	16-00	16-00	-
(3)पुस्तकालय का सुदृढ़ीकरण	25-70	-	20-00	20-00	-	20-00	20-00	-	62-55	62-55	-
(4)विस्तार योजना के अन्तर्गत भवन	--	-	--	--	-	--	--	-	610-00	610-00	-
योग चालू योजना:-	490-70	-	230-00	230-00	-	230-00	230-00	-	988-55	988-55	-
2- नई योजना:-	--	--	--	--	-	--	--	--	--	--	-
योग चालू + नई योजना:-	490-70	-	230-00	230-00	-	230-00	230-00	-	988-55	988-55	-

:: योजनावार व्यय/परिव्यय :: :जी0एन0-2:

विभाग का नाम:- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य । §हजार रू0में§ :जनपद - झाँसी :

क्र0सं0	योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय			1986-87 अनुमानित व्यय			1987-88हेतु प्रस्तावित परिव्यय		
				कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1- चालू योजनायें:-												
1-	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों का निर्माण	-	-	400-00	400-00	400-00	400-00	400-00	400-00	900-00	900-00	900-00
2-	उप केन्द्रों के भवन निर्माण	-	242-00	400-00	400-00	400-00	400-00	400-00	400-00	1800-00	1800-00	1800-00
3-	नये प्रा0स्वा0केन्द्रों की स्थापना	-	--	130-00	--	130-00	130-00	--	130-00	500-00	--	500-00
4-	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना	-	--	328-00	--	328-00	328-00	--	328-00	1100-00	1100-00	1100-00
5-	क्षयरोग निरीक्षक औषधियाँ	-	50-00	60-00	--	--	60-00	--	--	राज्य सेक्टर में हस्तांतरित		
6-	मलेरिया नियंत्रण	-	1697-00	1700-00	--	--	1700-00	--	--			--
7-	सब्सीडियरी हैल्थ सेन्टर	-	42-00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	योग सी0एम0ओ0की योजनायें-	-	2031-00	3018-00	800-00	1258-00	3028-00	800-00	1258-00	4300-00	3800-00	4300-00
	-:आयुर्वैदिक :-											
8-	प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में नये आयु0एवं यूनानी चिकि0की स्थापना	310-30	25-00	60-00	--	--	60-00	--	--	240-00	--	--
9-	शहरी क्षेत्रों में 25शैययायुक्त नये आयु0/यूनानी चिकि0की स्थापना	-	--	150-00	--	--	150-00	--	--	400-00	--	--

क्रमश: ---2---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19-वर्तमान आयु0/यूनानी चिकि0तथा औषधालयों का प्रोन्नतयन एवं उनकी स्थिति में सुधार		60-80	--	33-00	--	--	33-00	--	--	63-00	--	--
योग आयु0/यूनानी:-		371-10	2[illegible]00	243-00	--	--	243-00	--	--	703-00	--	--
योग चालू योजना:-		371-●0	2331-00	3261-00	800-00	1258-00	3261-00	800-00	1258-00	5003-00	3800-00	4300-00
2-नई योजना:-												
1-चीरघर का निर्माण		--	--	--	--	--	--	--	--	300-00	300-00	--
2-अस्पतालों में विशिष्ट उपचार सेवाओं की व्यवस्था दन्त रूजालय		--	--	--	--	--	--	--	--	60-00	--	--
3-शहरी/ग्रामीण होम्यो0 औषधालयों की स्थापना		--	--	--	--	--	--	----	--	30-00	--	--
4-अस्पतालों में साजसज्जा एवं अन्य आवश्यक सामग्री डीजल जनेरेटर की व्यवस्था		--	--	--	--	--	--	--	--	200-00	186-00	--
5-राजकीय आयु0/यूनानी चिकित्सलयों के भवनों का निर्माण		--	--	--	--	--	--	--	--	120-00	120-00	--
योग नई योजना:-		--	--	--	--	--	--	--	--	710-00	606-00	--
योग नई + चालू योजना:-		371-10	2331-00	3261-00	800-00	1258-00	3261-00	800-00	1258-00	5713-00	4406-00	4300-00

:: योजनावार व्यय/परिव्यय ::

::जी0एन0-2::

विभाग का नाम:- पेयजल-जेलोत्तार-जल निगम । ॥हजार रू0में॥ :जनपद-झाँसी:

क्र0सं0	योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय			1986-87 अनुमानित व्यय			1987-88 हेतु प्रस्तावित परिव्यय		
				कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1- चालू योजना:-											
1	1-ग्रामीण जल सम्भूर्ति	11017-00	750-00	--	--	--	--	--	--	॥ योजना पूर्ण हो गई ॥		
2	2-अनुपयुक्त हैण्डपम्पों के स्थान पर इण्डियन मार्क II हैण्डपम्पों का अधिष्ठान	--	--	750-00	750-00	750-00	750-00	750-00	750-00	--	--	--
	योग चालू योजना:-	11017-00	750-00	750-00	750-00	750-00	750-00	750-00	750-00	--	--	--
	2-नई योजना:-											
1	1-कोछाभांवर ग्राम पेयजल योजना	--	--	--	--	--	--	--	--	750-00	750-00	750-00
	योग नई योजना:-	--	--	--	--	--	--	--	--	750-00	750-00	750-00
	योग नई + चालू योजना:-	11017-00	750-00	750-00	750-00	750-00	750-00	750-00	750-00	750-00	750-00	750-00

:: योजनावार व्यय/परिव्यय :: :जी0एन0-2:

विभाग का नाम:- ग्रामीण हरिजन पेयजल ग्राम्य विकास विभाग । {हजार रू0में} :जनपद-झाँसी:

क्र0सं0	योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	1986-87 अनुमानित व्यय कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	1987-88 हेतु प्रस्तावित परिव्यय कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1- चालू योजना:-												
ग्रामीण हरिजन पेयजल योजना		1384-33	300-00	--	--	--	--	--	--	250-00	--	250-00
योग चालू योजना:-		1384-33	300-00	--	--	--	--	--	--	250-00	--	250-00
2- नई योजनाएं :-		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
योग नई + चालू योजना:-		1384-33	300-00	--	--	--	--	--	--	250-00	--	250-00

:: योजनावार व्यय/परिव्यय ::   :: जी०एन०-2 ::

विभाग का नाम:- ग्रामीण आवास ग्राम्य विकास विभाग ।   ॥हजार रू०में॥   : जनपद - झाँसी :

क्र०सं०	योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय			1986-87 अनुमानित व्यय			1987-88 हेतु प्रस्तावित परिव्यय		
				कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1- चालू योजना:-												
ग्रामीण आवास		843-00	153-00	--	--	--	--	--	--	200-00	--	200-00
योग चालू योजना:-		843-00	153-00	--	--	--	--	--	--	200-00	--	200-00
2- नई योजना:-		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
योग नई + चालू योजना:-		843-00	153-00	--	--	--	--	--	--	200-00	--	200-00

:: योजनावार व्यय/परिव्यय ::   :: जी0एन0-2 ::

विभाग का नाम:- सूचना विभाग ।   (हजार रू0 में)   :जनपद- झाँसी:

क्र0सं0	योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय			1986-87 अनुमानित व्यय			1987-88 हेतु प्रस्तावित परिव्यय		
				कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1- चालू योजना:-												
	तहसील सूचना कार्यालयों की स्थापना	--	50.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--

नोट:- वर्ष 1987-88 हेतु कोई योजना परिव्यय नहीं माँगा गया ।

:: योजनावार व्यय/परिव्यय :: :: जी0एन0-2 ::

विभाग का नाम:- श्रम विभाग । 《हजार रू0में》 :जनपद-झाँसी:

क्र0सं0	योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय			1986-87 अनुमानित व्यय			1987-88हेतु प्रस्तावित परिव्यय		
				कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1	2	3	44	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1-	चालू योजना :-											
1-	नये श्रम कल्याण केन्द्रों की स्थापना तथा निर्माण	--	--	94-00	--	--	94-00	--	--	--	--	--
2-	अपमुक्त बंधुआ श्रमिकों का पुर्नवास	--	--	10-00	--	--	10-00	--	--	---	--	--
	योग चालू योजना:-	--	--	104-00	--	--	104-00	--	--	--	--	--
2-	नई योजना:-	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	योग नई + चालू योजना:-	--	--	104-00	--	--	104-00	--	--	--	--	--

नोट:- इस विभाग के झाँसी स्थिति अधिकारी ने कोई योजना माँग 87-88 हेतु प्रस्तुत नहीं की ।

:: योजनावार व्यय/परिव्यय :: ::जी0एस0-2 ::

विभाग का नामः- प्रशिक्षण एवं सेवायोजन ‡हजार रू0में‡ :जनपद-झाँसी:

क्र0सं0	योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय			1986-87 अनुमानित व्यय			1987-88 हेतु प्रस्तावित परिव्यय		
				कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1- चालू योजनाः-												
1-	सेवायोजन कार्यालय का सुदृढ़ीकरण‡भवन निर्माण‡	-	-	400-00	400-00	-	400-00	400-00	-	-	-	-
	योग चालू योजनाः-	-	-	400-00	400-00	-	400-00	400-00	-	-	-	-
2- नई योजनाः-												
	सेवायोजन कार्यालय का सुदृढ़ीकरण ‡जीप की व्यवस्था ‡	-	-	--	--	-	--	--	-	100-00	100-00	-
	योग नई योजनाः-	-	-	--	--		--	--	-	100-00	100-00	-
	योग चालू / नई योजनाः-	-	-	400-00	400-00	-	400-00	400-00	-	100-00	100-00	-

नोटः- निर्माण स्थल [illegible] न हो पाने के कारण वर्ष 1987-88 हेतु परिव्यय नहीं रखा गया ।
[illegible] हेतु कार्यवाही प्रगति में है ।

:: योजनावार व्यय/परिव्यय ::

:: जी०एन०-2 ::

विभाग का नाम:- शिल्पकार प्रशिक्षण {हजार रू० में} : जनपद - झाँसी :

क्र०सं० योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	1986-87 अनुमानित व्यय कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	1987-88 हेतु प्रस्तावित परिव्यय कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1- चालू योजना:-											
वर्तमान प्रो०प्र०सं० का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण	113-00	--	400-00	--	--	400-00	--	--	300-00	300-00	--
योग चालू योजना:-	113-00	--	400-00	--	--	400-00	--	--	300-00	300-00	--
2- नई योजना:-											
वर्तमान औ०प्र०सं० में भवनों की बाउं ड्री बाल का निर्माण	--	--	--	--	--	--	--	--	400-00	400-00	--
योग नई योजना:-	--	--	--	--	--	--	--	--	400-00	400-00	--
योग नई + चालू योजना:-	113-00	--	400-00	--	--	400-00	--	--	700-00	700-00	--

:: योजनावार व्यय/परिव्यय ::   :: जी०एन०-2 ::

विभाग का नाम:- हरिजन एवं समाज कल्याण§अनु०जाति एवं पिछड़ी जाति कल्याण§   §हजार रू०में§ :जनपद- झांसी:

क्र०सं०	योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	1986-87 अनुमानित व्यय कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	1987-88हेतु प्रस्तावित परिव्यय कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1-चालु योजना:-												
1-अनु०जाति शिक्षा:-												
§1§छात्रवृत्ति पाठ्य पुस्तकीय तथा उपकरण हेतु§अनावर्तक सहा०												
अ- कक्षा 6 से 8 तक के अनु०जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति ।												
1- निर्धनता के आधार पर		174-90	60-00	75-00	-	-	75-00	-	-	85-00	-	-
2- योग्यता के आधार पर		--	45-00	50-00	-	-	50-00	-	-	60-00	-	-
ब-कक्षा 1 से 5 तक के अनु०जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति ।												
1- निर्धनता के आधार पर		--	35-00	40-00	-	-	40-00	-	-	43,00	-	-
2- योग्यता के आधार पर		--	35-00	40-00	-	-	40-00	-	-	43,00	-	-
§2§अनु०जाति के छात्राओं को अपॅरर्चुनिटी काष्ट अनुदान		-60-00	14-00	20-00	-	-	20-00	-	-	25-00	-	-
§3§पब्लिक स्कूलों में पढ़ने वाले मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति		--	--	10-00	-	-	10-00	-	-	10-00	-	-
§4§बुक बैंक की स्थापना		21-90	5-00	5-00	-	-	5-00	-	-	7-00	-	-
§5§दशमएवं दशमोत्तर कक्षा की अन्तिम परीक्षा में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण छात्रों को विशेष पुरूस्कार		[illegible]	5-00	5-00	-	-	5-00	-	-	7-00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(6)	विभाग द्वारा सहायता प्राप्त प्रा०पा०पुस्तकालय एवं छात्रावास अनुदान	--	--	20-00	-	-	20-00	-	-	20-00	--	-
(7)	अनु०जाति के छात्रों को पाठ्य पुस्तकीय अनावर्ती सहायता (प्राइमरी स्तर पर)											
1-	निर्धनता के आधार पर	--	--	6-00	-	-	6-00	-	-	7-00	-	-
2-	योग्यता के आधार पर	--	--	6-00	-	-	6-00	-	-	7-00	-	-
(8)	विमुक्त जाति कल्याण:-											
(5)	(जूनियर हा०स्कूल स्तर तक)											
1-	निर्धनता के आधार पर	--	1-00	3-00	-	-	3-00	-	-	3-00	-	-
2-	योग्यता के आधार पर	--	0-50	3-00	-	-	3-00	-	-	3-00	-	-
	(प्राइमरी स्तर पर)											
1-	निर्धनता के आधार पर	--	1-00	3-00	-	-	3-00	-	-	3-00	-	-
2-	योग्यता के आधार पर	--	0-50	3-00	-	-	3-00	-	-	3-00	-	-
8-	विमुक्त जाति कुटीर उद्योग अनु०	42-00	--	31-00	-	-	31-00	-	-	35-00	-	-
9-	विमुक्त जाति कृषि बागवानी	31-00	--	20-00	-	-	20-00	-	-	25-00	-	-
10-	गृह निर्माण अदायगी (आवास)	87-5	--	360-00	-	-	360-00	-	-	--	-	-
	योग अनु०जाति कल्याण:-	463-30	222-00	700-00	-	-	700-00	-	-	386-00	-	-

विभाग का नाम:- जिला हरिजन एवं समाज कल्याण(समाज कल्याण) (हजार रु०में) :जनपद-झाँसी ।

क्र०सं०	योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय कुल	1986-87 अनुमोदित परिव्यय पूंजीगत	1986-87 अनुमोदित परिव्यय न्यूनतम आवश्यकता का क्रम	1986-87 अनुमानित व्यय कुल	1986-87 अनुमानित व्यय पूंजीगत	1986-87 अनुमानित व्यय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	1987-88 हेतु प्रस्तावित परिव्यय कुल	1987-88 हेतु प्रस्तावित परिव्यय पूंजीगत	1987-88 हेतु प्रस्तावित परिव्यय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
समाज कल्याण:-												
1-	नेत्रहीन बधिर तथा शारीरिक रूप से अक्षम विकलांगों को अनुदान ।	110-00	144-00	149-00	-	-	149-00	-	-	160-00	-	-
2-	शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों को छात्र वृत्ति	--	--	20-00	-	-	20-00	-	-	20-00	-	-
3-	शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के बच्चों को छात्रवृत्ति	--	--	5-00	-	-	5-00	-	-	5-00	-	-
4-	शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अंग लगवाने हेतु अनुदान ।	--	25-00	25-00	-	-	25-00	-	-	20-00	-	-
5-	निराश्रित विधवा अनुदान	172-90	888-00	930-00	-	-	930-00	-	-	1000-00	-	-
6-	मलिन मेहतर कालोनियों में शिशु शाला खोलना	--	--	50-00	-	-	--	-	-	--	-	-
7-	परियोजना कार्यक्रम	2274-00	674-20	596-00	-	-	596-00	-	-	600-00	-	-
योग समाज कल्याण:-		2556-90	1731-20	1775-00	-	-	1725-00	-	-	1805-00	-	-
2-	नई योजना:-	--	--	--	-	-	-	-	-	--	-	-
योग चालू + नई योजना:-		2556-90	1731-20	1775-00	-	-	1725-00	-	-	1805-00	-	-

:: योजनावार व्यय/परिव्यय ::

::जी0एन0-2 ::

विभाग का नाम:- हरिजन एवं समाज कल्याण‡पुष्टाहार‡समाज कल्याण‡ ‡हजार रू0में‡ :जनपद- झाँसी:

क्र0सं0	योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय			1986-87 अनुमानित व्यय			1987-88 हेतु प्रस्तावित परिव्यय		
				कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	पूरक पुष्टाहार कार्यक्रम											
	समाज कल्याण	-	912-00	2622-00	-	-	2622-00	-	-	2622-00	-	-
	योग पुष्टाहार कार्यक्रम:-	-	912-00	2622-00	-	-	2622-00	-	-	2622-00	-	-

भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि

जी.एन.-3

विभागका नाम: कृषि:

जनपद झांसी

मद	इकाई	छठी योजना वर्ष 1980-85		सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 86-87		वर्ष 87-88 लक्ष्य
		लक्ष्य	उपलब्धि			लक्ष्य	अनुमानित उपलब्धि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. प्रदेश के मैदानी भागों में बीज विधायन संयंत्र की स्थापना	कु0	3000	3000	10000	2000	5000	5000	5000
2. प्रदेश के मैदानी भागों में गुणात्मक बीजों के सम्बर्द्धन, संग्रहण एवं वितरण योजना	बी0कु0	1515	455	1000	600	500	500	500
॥क॥ प्रक्षेत्र टाडा बमरौली पर 15 हा0पा0 का पवार थ्रेसर क्रय	संख्या	-	-	-	-	-	-	-1
॥ख॥ प्रक्षेत्र टाडा बमरौली पर ट्रेक्टर गैरिज का निर्माण	संख्या	-	-	-	-	-	-	-1
॥ग॥ प्रक्षेत्र टाडा बमरौली पर भूसा/गेन गोदाम का निर्माण	संख्या	-	-	-	-	-	-	-1
॥घ॥ प्रक्षेत्र टाडा बमरौली पर सिंचाई नाली का निर्माण	मीटर	50	50	200	-	-	-	500
॥ड.॥ प्रक्षेत्र घिसौली पर ट्रेक्टर गैरिज का निर्माण	संख्या	-	-	-	-	-	-	-
॥च॥ प्रक्षेत्र घिसौली पर सिंचाई नाली निर्माण	मीटर	150	150	200	-	-	-	400
॥छ॥ प्रक्षेत्र घिसौली पर भूसा/गेन गोदाम का निर्माण	संख्या	-	-	-	-	-	-	1
॥ज॥ विकास खण्ड बड़ागांव एवं बंगरा के अन्तर्गत बरुआसागर एवं करार में राजकीय कृषि बीज भण्डार गृह का निर्माण 100मै0टन क्षमता एवं 50 मै0टन क्षमता	संख्या	-	-	-	2	1	1	2

§2§

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित दलहन फसल के उत्पादन की योजना								
§क§ दलहनी फसलों के प्रदर्शन	संख्या	570	570	815	210	200	200	200
4. प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में कृषि रक्षा सेवा की योजना	संख्या							
§क§ विकास खण्ड गुरसरांय में कृषि रक्षा रसायन भण्डार गृह का निर्माण	संख्या	-	-	-	1	1	1	1

भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि

जी. एन. -2

विभाग का नाम: उद्यान एवं फल उपयोग विभाग उ0प्र0

जनपद झांसी

मद	इकाई	छठी योजना वर्ष 1980-85 लक्ष्य	छठी योजना वर्ष 1980-85 उपलब्धि	सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87 लक्ष्य	वर्ष 1986-87 अनुमानित उपलब्धि	वर्ष 1987-88 लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. वर्तमान उद्यानों के सुधार की योजना		इस योजना में एक लेखाकार तथा ट्रेक्टर ड्राइवर का पद स्वीकृत है, जिसके वेतन आदि के आहरण पद 50 हजार रू0 व्यय होगा । वर्तमान उद्यानों के सुधार के अन्तर्गत पूंजीगत परिव्यय में निम्न कार्य आवश्यक हैं । §1§ राजकीय उद्यान नारायण बाग झांसी का क्षेत्रफल 106 एकड़ है जिसकी शेष 2500 मीटर लम्बी बाउण्ड्री निर्माण अपेक्षित है इस पर विस्तृत कारण पूर्व में प्रेषित किये जा चुके हैं । इसके निर्माण हेतु ग्रामीण अभियंत्रण सेवा का आकलन 634 हजार का प्राप्त हुआ है । [illegible] 634 [illegible]						
2. प्रदेश में औद्योगिक उत्पादन के सघनीकरण तथा बीज प्रोसेसिंग की स्थापना								
फलदार तथा शोभाकार पौधों का उत्पादन	सं0	1,00,000	14,50,300	12,50,000	1,26,400	1,65,000	1,70,000	1,80,000
3. पिछड़े हुए अन्य क्षेत्रों में औद्योगिक विकास की योजना								
नये उद्यानों का रोपण	है0	250	276.80	250.00	51.75	50.00	55.00	60.00
आलू के अन्तर्गत अतिरिक्त क्षेत्रफल	है0	100	185.50	100.00	51.50	30.00	30.00	35.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
मसाले के अन्तर्गत क्षेत्रफल	है0	250	322.47	500.00	50.9	50.00	50.00	55.00
शाकभाजी के अन्तर्गत अतिरिक्त क्षेत्रफल	है0	150	216.600	150.00	36.00	30.00	32.00	35.00
खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना :-								
1. 24 सप्ताहीय बेकरी, कुकरी तथा खाद्य संरक्षण का प्रशिक्षण	सं0	120	100	60	33	60	50	30
2. 30 दिवसीय- पाककला, बेकरी तथा सम्मिलित कोर्स का प्रशिक्षण :	,,	180	-	90	-	90	80	90
फल संरक्षण केन्द्रों के विस्तार एवं सुदृणीकरण की योजना:-								
1. सामुदायिक फल संरक्षण	कि0ग्रा0	175000	158909	35000	26000	35000	35000	35000
2. फल संरक्षण प्रशिक्षण	संख्या	2350	2225	500	296	500	500	500

नोट:- 24 सप्ताहीय कोर्स के स्थान पर एक वर्षीय कोर्स हो जाने पर ।

भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि

जी. एन. -3

विभाग का नाम:- कृषि विपणान

जनपद झांसी

मद	इकाई	छठी योजना वर्ष 1980-85 लक्ष्य	छठी योजना वर्ष 1980-85 उपलब्धि	सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87 लक्ष्य	वर्ष 1986-87 अनुमानित उपलब्धि	वर्ष 1987-88 लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
चालू योजना :-								
राष्ट्रीय स्तर पर गोदामों का निर्माण	सं0	-	-	--	-	कृषि उत्पादन मण्डी परिक्षेत्र मऊरानीपुर एवं चिरगांव में 500 मी0टन क्षमता वाले एक-एक गोदाम का निर्माण । कुल गोदाम - 2 भण्डारण क्षमता-1000 मी0टन		
नई योजना :-	शून्य							

भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि

जी.एन.-3

भूमि संधारण -

विभाग का नाम:- सीलिंग अनुभाग:

जनपद झांसी

मद	इकाई	छठी योजना वर्ष 1980-85		सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87		वर्ष 1987-88 लक्ष्य
		लक्ष्य	उपलब्धि			लक्ष्य	अनुमानित उपलब्धि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
सीलिंग से प्राप्त भूमि आवंटियों को सहायता	आवंटियों की संख्या							
(अ) अनु0जाति		1938	1938	1938	6	16	16	16
(ब) जनजाति		683	638	638	2	4	4	4

भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि

जी. एन. -3

विभाग का नाम:- निजी लघु सिंचाई :-

जनपद झांसी

मद	इकाई	छठी योजना वर्ष 1980-85 लक्ष्य	छठी योजना वर्ष 1980-85 उपलब्धि	सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87 लक्ष्य	वर्ष 1986-87 अनुमानित उपलब्धि	वर्ष 1987-88 लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
चालू योजनायें (संख्या)								
1. सिंचाई कूप	संख्या	5020	5839	26804	842	800	800	850
2. रहट	,,	2260	2332	11709	254	200	200	150
3. भूस्तरीय पम्पसेट	,,	5730	6385	10239	1068	1000	1000	1000
4. नलकूप	,,	400	541	562	132	100	100	120
5. बंधी निर्माण	हैक्टेअर में	133965	186032.5	—	53693	45000	45000	46000

विभाग का नाम:- राजकीय लघु सिंचाई

भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि

जी.एन.-3

जनपद झांसी

मद	इकाई	छठी योजना वर्ष 1980-85		सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87		वर्ष 1987-88 लक्ष्य
		लक्ष्य	उपलब्धि			लक्ष्य	अनामानित उपलब्धि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. चालू योजनायें:-								
नलकूपों का छिद्रण	अदद	45	46	48	2	5	5	4
नलकूपों का विकसन	,,	45	45	47	2	5	5	4
पम्प ग्रह का निर्माण	,,	45	42	44	5	3	3	4
पम्पसेट की विस्थापना	,,	42	42	44	5	2	2	4
विद्युतीकरण	,,	42	42	44	3	2	2	3
पक्की गूल	कि0 मी0	23	23.06	23.06	42.8	31	31	20
कच्ची गूल	,,	78	78	84	55.8	50	50	25
सेवा मार्ग का निर्माण	,,	-	-	-	-	-	-	-
नये नलकूपों का निर्माण	अदद	-	-	-	-	5	5	4
2. नई योजना	-	-	-	-	-	-	-	-

भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि

विभाग का नाम:- भूमि एवं जल संरक्षण :

जी.एन.-3

जनपद - झांसी

मद	इकाई	छठी योजना वर्ष 1980-85		सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87		वर्ष 1987-88 लक्ष्य
		लक्ष्य	उपलब्धि			लक्ष्य	अनुमानित उपलब्धि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
प्रदेश के मैदानी भागों में भूमि एवं जल संरक्षण की योजना ।								
(अ) भूमि संरक्षण इकाई								
झांसी		6250	5735	-	879	1250	1250	1250
(ब) भू०सं०अ० डी०पी०ए०पी०								
झांसी		-	-	-	-	200	200	600
योग :-		6250	5735	-	879	1450	1450	1850

विभाग का नाम: पशुपालन

जा.एन.-3

भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि

जनपद झांसी ।

मद	इकाई	छठी योजना वर्ष 1980-85		सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87		वर्ष 87-8
		लक्ष्य	उपलब्धि			लक्ष्य	अनुमानित उपलब्धि	लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. पशु चिकित्सालयों एवं पशु सेवाओं में सुधार की योजना	सं0	862560	683560	–	160000	171000	171000	188000
2. पशुधन प्रक्षेत्र पर प्रजनन कार्य हेतु सांड़ों कोउत्पादन की यो0	कि0मी0	–	–	–	–	–	–	2 नाली।
3. खुरपका, मुंहपका रोग की रोकथाम की योजना	सं0	–	–	–	2000	2000	3000	2000
4. प्रदेश में क0ग0 के सुदृणीकरण की योजना	सं0	40500	40500	–	13800	13800	14650	15000
5. नये कुक्कुट प्रक्षेत्रों की स्थापना तथा वर्तमान कुक्कुट प्रक्षेत्रों का सुदृणीकरण की योजना	सं0	–	–	–	1	1	1	1
6. अतिहिमीकृत वीर्य द्वारा क0ग0 कार्यक्रम की सुदृणीकरण की यो0	केन्द्र	–	–	"	6	6	6	10
7. संयुक्त राष्ट्र बाल आपात निधि के सहयोग से व्यवहारिक पुष्टाहार की योजना	विकास खण्ड	–	–	–	1	1	1	1

2.....

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	राज्य में बकरी प्रजनन सुविधाओं के प्रसार की योजना		संख्या	–	–	3530	5000	5000	5000
9.	भेड़ प्रजनन सुविधाओं के सुदृणीकरण की यो0		,,	–	–	28483	12000	25000	25000
10.	प्रदेश में ऊन श्रेणीकरण तथा विपणन केन्द्र का सुदृणीकरण प्रसार की योजना		,,	–	–	–	1	1	1
11.	सुकर प्रजनन सुविधाओं एवं सुदृणीकरण की योजना		,,	–	–	115	150	150	150
12.	पशुधन विकास संबंधी प्रसार कार्यक्रम की योजना §प्रदर्शनी§		,,	–	–	1	1	1	1
13.	चारी/चारा बीज चरागाहों के विकास की योजना . 7.		कुन्टल	–	–	–	–	–	5

विभाग का नाम:- मत्स्य पालन ।

भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि

जी.एन.-3

जनपद - झांसी

मद	इकाई	छठी योजना वर्ष 1980-85		सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87		वर्ष 1987-88 लक्ष्य
		लक्ष्य	उपलब्धि			लक्ष्य	अनामानित उपलब्धि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
मत्स्य पालक								
विकास भूमि करण :-								
1. तालाबों का सुधार	है0	-	-	-	-	5.20	5.20	100
2. इनपुट्स		-	-	-	-	-	-	-
3. प्रशिक्षण	मत्स्य पालक संख्या	-	-	-	-	110	-	100

विभाग का नाम:- वन ।   ﴾60﴿ भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि

जी. एन. -3

जनपद - झांसी

मद	इकाई	छठी योजना वर्ष 1980-85		सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87		वर्ष 1987
		लक्ष्य	उपलब्धि			लक्ष्य	अनुमानित उपलब्धि	लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन प्रजातियों का वृक्षारोपण								
अ- रोपण	है0	1047	1047	-	-	-	-	-
ब- भूमि सृजन	है0	847	847	-	-	-	-	-
स- हवाई जहाज द्वारा बीज छिड़काव	है0	-	-	1185	1185	-	-	-
द- 1984 बीटिंग अप	है0	-	-	297	297	297	297	-
ई ,, ,,	है0	-	-	300	300	300	300	-
फ- नर्सरी में पौध उगाना	सं0 लाख में	30.5	30.5	28.5	28.5	30	30	30
य- अवशेष बची पौध को वर्ष भर रखरखाव	,,	15.00	15.00	15.15	13.15	20 अनुमानित	20 अनुमानित	20 अनुमानित
2. संचार साधन :-								
अ- पुलिया निर्माण	सं0	7	7	-	-	1	1	2
ब- रपटा		1	1	-	-	1	1	2
स- सडक निर्माण	﴾मीटर में﴿	160	160	-	-	-	-	-

2...

1	2		3	4	5	6	7	8	9
3.	वन मनोरंजन/वन चेतना केन्द्रों की स्थापना								
अ-	कैंटीन निर्माण	सं0	1	1	-	-	-	-	-
ब-	मृग बिहार	सं0	1	1	-	--	-	-	-
स-	पवन चक्की	सं0	1	1	-	-	-	-	-
द-	चिड़ियाघर	सं0	1	1	-	-	-	-	-
ई-	पौधशाला	सं0	1	1	-	-	-	-	-
फ-	कृषक सूचनाकेन्द्र	सं0	1	1	-	-	-	-	-
ग-	बीज भण्डारण केन्द्र का निर्माण	सं0	-	-	-	-	1	1	-
र-	गोबर गैस	सं0	-	-	-	-	1	1	-
ल-	मौन पालन	सं0	-	-	-	-	1	1	-
व-	शौचालय एवं स्नानागार	सं0	-	-	-	-	-	-	1
श-	वानिकी संग्रहालय	सं0	-	-	-	-	-	-	1
द-	मृग बिहार में शेड बनवाई	सं0	-	-	-	-	-	-	1
4.	भवन								
अ-	वन रक्षक चौकी निर्माण	सं0	5	5	-	-	2	2	6
ब-	बाहर से आने वाले तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिये ठहरने के लिये व्यवस्था	सं0	-	-	-	+	1	1	-
5.	वन कर्मचारियों को पेयजल विद्युत सुविधा तथा टांगिया मजदूर कृषकों को सुविधायें								
अ-	लेबर हाट निर्माण	सं0	7	7	1	1	2	2	2

3....

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ब- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का शौचालय निर्माण	सं0	-	-	3	3	-	-	-
स- कर्मचारियो को स्नान गृह का निर्माण	सं0	-	-	1	1	-	-	-
द- बिजली व्यवस्था (रोरा में)	स्थान	-	-	-	-	-	-	रोरा में
र- हैण्ड पम्प लगाना	सं0	-	-	-	-	-	-	1
6. सामाजिक वानिकी								
1. अधिष्ठान	सं0	-	-	-	-	-	-	-
2. निर्माण कार्य								
क- पौधशाला	नई पौधे उगाना लाख में	-	-	-	-	10	10	10
ख- अग्रिम शिफ्टी कार्य								
1. रेलवे लाइन	पं0कि0मी0/है0	-	-	20पं0कि0मी0/6.5	20/6.6	20/6.6	20/6.6	30पं0कि0मी0
2. सड़क के किनारे	-,,-	-	-	10-,,-	10/3.3	-,,-	-,,-	50
3. वन भूमि	है0	-	-	70	70	258	258	300
4. ग्राम समाज	,,	-	-	-	-	50	50	-
ग- वृक्षारोपण								
1. रेलवे लाइन	पं0कि0मी0/है0	-	-	-	-	20/6.6	20/6.6	20पं0कि0मी0
2. सड़क के किनारे	-,,-	-	-	- -	-	10/3.3	10/3.3	20 ,,
3. वन भूमि	है0	-	-	100	100	228	228	100 ,,
4. ग्राम समाज	,,	-	-	---	-	-	-	50

4....

1	2	3	4	5	6	7	8	9
घ- भवन निर्माण								
प्रथम श्रेणी	संख्या	-	-	-	-	-	-	-
द्वितीय श्रेणी	,,	-	-	-	-	-	-	-
तृतीय श्रेणी	,,	-	-	-	-	-	-	5
चतुर्थ श्रेणी	,,	-	-	-	-	-	-	2
3. मोटर गाड़ियां								
1. गाड़ियों का क्रय (ट्रेक्टर ट्राली सहित)	,,	-	-	2	2	-	-	-
2. अनुरक्षण पेट्रोल आदि गाड़ियों की खरीद	,,	-	-	2	-	2	2	-
च- मृत पौधों का बदलाव (वीटिंग अप कार्य)								
1. 1936 बरसात में रोपित मृत पौध का बदलाव								
अ- रेलवे लाइन	पं0कि0मी0	-	-	-	-	-	-	20
ब- सड़कों के किनारे	,,	-	-	-	-	-	-	10
स- वन भूमि	है0	-	-	-	-	-	-	228
2. 1935 बरसात में रोपित मृत पौधों का बदलाव								
अ- वन भूमि	है0	-	-	-	-	-	-	100
ब- सड़कों के किनारे	पं0कि0मी0	-	-	-	-	-	-	10

विभाग का नाम: - पंचायतराज:

जनपद झांसी ।

(64) भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि

जी. एन. -3

मद	इकाई	छठी योजना वर्ष 1980-85 लक्ष्य	छठी योजना वर्ष 1980-85 उपलब्धि	सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87 लक्ष्य	वर्ष 1986-87 अनुमानित उपलब्धि	वर्ष 87-88 लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. पंचायत उद्योगों को तकनीकी तथा उद्योग प्रबंधकीय सहायता	संख्या	3	3	3	3	2	2	1
2. पंचायत राज संस्थाओं की आय में वृद्धि हेतु सहायता गांव सभा	,,	15	15	15	3	3	3	3
3. ग्रामीण पर्यावरण में स्वच्छता हेतु खड़न्जा तथा नाली निर्माण	कि0मी0	20	14.6	14.6	5	4	4	5
4. पंचायत भवनों का निर्माण (गांव सभा)	संख्या	17	11	11	10	10	10	12
5. हाट बाजार तथा मेलो की स्थिति में सुधार हेतु गांव सभाओं को सहायक अनुदान	,,	50	20	20	10	4	4	4
6. पंचायत उद्योगों की कार्यशाला भवन निर्माण	,,	-	-	-	2	2	2	2
7. जिला स्तर पर पंचायत भवन निर्माण	,,	-	-	-	-	-	-	1
योग		85 20 कि0मी0	48 14.6 कि0मी0	49 14.6 कि0मी0	-	21 4 कि0मी0	21 4 कि0मी0	23 5 कि0मी0

विभाग का नाम:- प्रादेशिक विकास दल: भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि

जी.एन.-3

मद	इकाई	छठी योजनावर्ष 1980-85		सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 86-87		वर्ष 87 लक्ष्य
		लक्ष्य	उपलब्धि			लक्ष्य	अनुमानित उपलब्धि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. स्वयं सेवकों का सुदृणीकरण	संख्या	-	-	80	80	118	118	150
2. युवक मंगल दलों को प्रोत्साहन	,,	15	15	40	40	50	50	60
3. युवक मंगल दल सेमीनार	,,	9	9	9	9	9	9	9
4. समाज सेवा कार्य (मेला, प्रदर्शन, तीर्थयात्रा)	,,	-	-	-	-	8	8	8
5. प्रकीर्ण व्यय	रू०	.2	.2	4	4	10	20	12
6. व्यवसायिक रोजगार	संख्या	8.3	8.3	-	-	8	8	8
7. खेलकूद प्रतियोगिता	,,	45	110	9	9	9	9	9
8. ग्रामीण क्षेत्रों में व्यायामशाला प्रोत्साहन	,,	3	3	1	1	1	1	1
9. श्रमदान प्रशिक्षण शिविर	,,	-	-	-	-	8	8	65
10. युवकों का तैराकी प्रशिक्षण	,,	1	1	-	-	2	2	2

ग्राम्य विकास विभाग: जनपद झांसी — भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि — जी.एन.-3

ब्लाक भवन

मद	इकाई	छठी योजना वर्ष 1980-85		सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87		वर्ष 1987-88 लक्ष्य
		लक्ष्य	उपलब्धि			लक्ष्य	अनुमानित उपलब्धि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
विकास खण्डों में आवासीय भवनों का निर्माण	सं0	-	-	-	-	-	-	57 §विकासखण्ड बडागांव, बामौर एवं मंगरा में 19-19 आवासों का निर्माण/आंकलन संलग्न है।§

डी०आर०डी०ए०, जनपद झांसी

भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि

जी.एन.-3

मद	इकाई	छठी योजना वर्ष 1980-85 लक्ष्य	छठी योजना वर्ष 1980-85 उपलब्धि	सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87 लक्ष्य	वर्ष 1986-87 अनुमानित उपलब्धि	वर्ष 1987- लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम		24000	20143	20143	प्रथम 2657	2249	2300	3000
					द्वितीय 2842	4374	4400	3700
2. लघु सीमांत कृषक उत्पादन वृद्धि कार्यक्रम								
1. लघु सिंचाई		×	×	×	=	-	-	-
निःशुल्क बोरिंग		×	×	×	101	150	200	150
2. चेकडेम		×	×	×	6	10	10	12
3. तालाब		×	×	×	4	2	2	3
4. बंधी					1	2	2	×
2. अनुदान से लाभान्वित व्यक्ति		150	153	153	202	225	225	225
3. मिनीकिट वितरण		8560	8560	8560	14067	15000	15000	15000
4. भूमि सुधार	हे० में	×	×	×	502	500	500	600
5. नर्सरी स्थापना		8	8	8	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3. सूखोन्मुख क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम		1053	1053	1053	390	1575	1575	2280

सहकारिता — भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि — जी.एन.-3

मद	इकाई	छठी योजना वर्ष 1980-85 लक्ष्य	छठी योजना वर्ष 1980-85 उपलब्धि	सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87 लक्ष्य	वर्ष 1986-87 अनुमानित उपलब्धि	वर्ष 1987-88 लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. जिला सहकारी बैंक की शाखाओं हेतु प्रबंधकीय अनुदान		3	-	-	-	3 शाखायें	3	टहरौली शाखा को तृतीय किस्त गरौठा एवं मऊरानीपुर को द्वितीय किस्त तथा मानिक चौक शाखा प्रथम किस्त कुल 32000/=.
2. जिला सहकारी बैंक की शाखाओं का नवीनीकरण		-	-	-	-	2 रानीपुर गरौठा	2	मानिक चौक शाखा
3. निर्बल वर्ग अनु० जाति के लोगों को अंश क्रय हेतु ऋण अनुदान		500	100	-	500सदस्य	500 सदस्य 100/-प्रति	500	500 सदस्य बनाने का लक्ष्य प्रत्येक सदस्य को 100/- तक सदस्य बनाने हेतु अंश क्रय करने के लिये दान उपलब्ध कराया जायेगा।
4. प्रारम्भिक कृषि ऋण समिति को उर्वरक व्यवसाय हेतु सीमांत दान		13	-	-	सात समितियों को 15000/- की दर से 105000/-रू० उपलब्ध कराया गया।	11 समिति	11समिति को 15000/- 165000/- उपलब्ध कराया गया।	20 समितियों को 15000/- रू० प्रति समिति की दर से 3 लाख रू० उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

2...

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्रारम्भिक कृषि ऋण समितियों को उपभोक्ता व्यवसाय हेतु सीमांत धान	10	10	-	10 समितियों को 7500/- रू० प्रति समिति की दर से उपलब्ध कराया गया ।	20समिति	20 समितियों को 7500/- रू० प्रति 15000/- उपलब्ध कराया जा रहा है ।	20 समितियों को 7500/- रू० प्रति समिति की दर से कुल 150000/- दिया जाना प्रस्तावित है ।

विभाग का नाम: - विद्युत भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि जी. एन. -3 जनपद झांसी

मद	इकाई	छठी योजना वर्ष 1980-85 लक्ष्य	छठी योजना वर्ष 1980-85 उपलब्धि	सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87 लक्ष्य	वर्ष 1986-87 अनुमानित उपलब्धि	वर्ष 1987-88 लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. ग्राम	संख्या	-	172	200	36	-	-	-
2. हरिजन बस्ती	,,	-	149	150	46	-	-	-
3. नलकूप	,,	-	202	250	161	-	-	-

ग्रामीण एवं लघु : जनपद -झांसी
उद्योग :-

भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि

जी.एन.-3

मद	इकाई	छठी योजना वर्ष 1984-85 लक्ष्य	छठी योजना वर्ष 1984-85 उपलब्धि	सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87 लक्ष्य	वर्ष 1986-87 अनुमानित उपलब्धि	वर्ष 1987-88 लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. औद्योगिक इकाईयों की स्थापना								
1. लघु/लघुत्तर	संख्या	480	819	1083	283	310	315	310
2. दस्तकारी	,,	240	1326	2199	604	600	610	600
2. रोजगार	,,	5000	7448	15420	1992	2150	2200	2150
3. सहकारी समितियों का गठन								
1. अवस्त्रीय	,,	12	8	13	-	-	-	-
2. हस्तकला	,,	6	7	22	-	-	-	-
4. पंजीकरण								
1. प्रस्तावित	,,	930	1421	1882	347	-	375	-
2. स्थाई	,,	420	819	1098	283	310	375	310
5. औद्योगिक आस्थान	,,	1	-	-	-	-	-	-

विभाग का नाम:- राजकीय चीनी पात्र विकास केन्द्र
कोछाभांवर, झांसी

भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि

जी०एन०-3

मद	इकाई	छठी योजना वर्ष 1980-85 लक्ष्य	छठी योजना वर्ष 1980-85 उपलब्धि	सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87 लक्ष्य	वर्ष 1986-87 अनुमानित उपलब्धि	वर्ष 19[illegible] लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. केन्द्र की मशीनों की स्थापना	रा०चीनी०पात्र० केन्द्र कोछाभांवर झांसी	केन्द्र में वर्कशाप में सभी मशीनों की स्थापना		–	–	–	–	–
2. पात्रकार वर्कशेडों {दस का निर्माण}	,,	निर्माणाधीन		सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा हस्तगत कर लिया गया है एवं चार पात्रकारों को शेडों का आवंटन कर दिया गया है।	–	–	–	–
3. डी०डी०किल भट्टी का निर्माण एवं टेस्टिंग	,,	–		–	–	–	–	20 डी०डी० [illegible] निर्माण प्रस्ता[illegible]
3अ- पात्रकारों का पंजीकरण	,,	9		5	1	6	–	12
4. प्रशिक्षण	,,	90		10	10	15	–	20
5. तकनीकी परामर्श	,,	56		05	10	15	–	20
6. पात्रकारों को कच्चा माल उपलब्ध कराना एवं बिक्री	,,	वाणिज्य प्रक्रिया हेतु शासन से बजट उपलब्ध न होने के फलस्वरूप उत्पादन एवं बिक्री नगण्य रही।		शासन द्वारा वित्तीय वर्ष में बजट अपेक्षित है जिसके लिए शासन स्तर पर कार्यवाही की जा रही है।		–	2,[illegible] रु० का उत्पादन इकाईयों द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में 5,[illegible] एक इकाई द्वारा 32,[illegible] रु [illegible] उत्पादन प्रारम्भ हुआ।	2,5 लाख[illegible]

विभाग का नाम- हथकरघा, जनपद झांसी ।

भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि

जी.एन.-3

मद	इकाई	छठी योजना वर्ष 1980-85 लक्ष्य	छठी योजना वर्ष 1980-85 उपलब्धि	सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87 लक्ष्य	वर्ष 1986-87 अनुमानित उपलब्धि	वर्ष 1987-88 लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. चालू योजना								
1. हथकरघा स0स0 को अंश पूंजी ऋण	सं0	65	73	73	8	10	10	10
2. हथकरघा स0स0 को प्रबंधकीय सहायता	सं0	45	51	51	13	10	10	11
3. हथकरघों का आधुनीकरण	सं0	155	250	250	40	100	100	100
योग चालू योजना		268	374	374	61	120	120	121
2. नई योजना		-	-	-	-	-	-	-
योग नई योजना		-	-	-	-	-	-	-
योग चालू + नई योजना		268	374	374	61	120	120	121

विभाग का नाम- सार्वजनिक निर्माण विभाग: भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि जी. एन. -3

मद	इकाई	छठी योजना वर्ष 1980-85 लक्ष्य	छठी योजना वर्ष 1980-85 उपलब्धि	सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87 लक्ष्य	वर्ष 1986-87 अनुमानित उपलब्धि	वर्ष 1987-88 लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ग्रामीण मार्ग :-								
1. चालू योजनायें	किमी०	259.00	259.00	लेपित 259.00 वाटर बाउण्ड्री 326.00 मिट्टी 174.00	लेपित 9.00 वाटर बाउण्ड्री 57.00 मिट्टी 27.00 (समस्त योजनाओं में)	लेपन 15.0 मिट्टी 5.00 पुलिया 14.00 सीलिंग 7.00	15.00 5.00 14.00 7.00	लेपन स्तर 21.00 मध्य सतह 6.00 लघु सेतु 1

विभाग का नाम :- पर्यटन, जनपद झांसी

भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि

जी.एन.-3

मद	इकाई	छठी योजना वर्ष 1980-85 लक्ष्य	छठी योजना वर्ष 1980-85 उपलब्धि	सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87 लक्ष्य	वर्ष 1986-87 अनुमानित उपलब्धि	वर्ष 1987-88 लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	19
1. लक्ष्मी तालाब का विकास	तालाब संख्या	-	-	-	-	झांसी स्थित लक्ष्मी तालाब के प्रदूषण रोकने के लिये विस्तृत योजना बनाई गई है।		
2. सड़क निर्माण	कि०मी०	-	-	-	-	2	2	-
3. झांसी मण्डी समिति से नारायण बाग तक सड़क का विद्युतीकरण	कि०मी०	-	-	-	-	2	-	3

§3§

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14. ग्रामीण क्षेत्र में सी०बे० स्कूलों को साज सज्जा तथा शिक्षण सामग्री हेतु अनुदान 60101025	सं०	50विद्या.	69विद्या.	65विद्या.	15विद्या.	15विद्या.	15विद्या.	15विद्या.
15. जू०बे०स्कूलों में साज सज्जा तथा शिक्षण सामग्री हेतु अनुदान 60101025	,,	200 ,,	160 ,,	250 ,,	--	,, ,,	15 ,,	15 ,,
16. निर्बल वर्ग के बच्चों को पोशाक की व्यवस्था 60101026	,,	2000छात्र	1640छात्र	350छात्र	--	--	--	--
17. ग्रामीण तथा नगर क्षेत्र के सी०बे० स्कूलों में विज्ञान शिक्षा में सुधार एवं विज्ञान सज्जा हेतु अनुदान 60108003	,,	20विद्या.	20 विद्या.	350विद्या.	3विद्या.	3विद्या.	3विद्या.	3विद्या.
18. अरेबिक मदरसों को अनुरक्षण अनुदान 60108003	,,	2 ,,	1 ,,	2 ,,	--	1 ,,	1 ,,	1 ,,

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. ग्रामीण क्षेत्र में छात्र संख्या में वृद्धि तथा स्थिरता हेतु निर्बल वर्ग के बालकों एवं बालिकाओं को पाठ्य पुस्तक वितरण हेतु प्रोत्साहन अनुदान 6010।009	सं0	20000 छात्र	15333 छात्र	10000 छात्र	100छात्र	100छात्र	100छात्र	100छात्र
8. नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र में वय वर्ग 6-14 बच्चों के लिये अंशकालिक कक्षायें खोलने हेतु अनुदान 60101011	,,	575 केन्द्र	625 केन्द्र	पूर्व में खोले गये केन्द्रों पर व्यय हेतु।				
9. ग्रामीण क्षेत्र में बालक एवं बालिकाओं के सी0बे0 स्कूल खोलने हेतु अनुदान 60101012	,,	31विद्या.	6विद्या.	40 विद्या.	3 विद्या.	1विद्या.	1 विद्या.	1 विद्या.
10. प्रत्येक जिले में जिला बे0शिक्षा अधि0 कार्यालय का सुदृणीकरण 60101013	,,	पखे/टी.	पखे/टी.ले.	ड्राइवर/टेलीफोन	-	ड्राइवर/टेलीफोन	ड्राइवर/टेलीफोन	ड्राइवर/टेलीफोन
11. प्रत्येक जिले में कक्षा 6 से 8 में 15/- रू0 प्रतिमाह की दर से 3 वर्ष के लिये योग्यता छात्रवृत्ति 60101017	,,	65छात्र	65 छात्र	100छात्र	220छात्र	220छात्र	220छात्र	220छात्र
12. बे0स्कूल में अध्यापकों को दक्षता पुरस्कार 60101020	,,	-	32अध्यापक	40अध्यापक	8अध्यापक	8अध्यापक	8अध्यापक	8अध्यापक
13. नि:शुल्कपाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने तथा सी0बे0स्कूलों में पाठ्य पुस्तक बैंक स्थापित करने हेतु अनुदान 60101022	,,	150विद्या.	100वि.	40वि.	-	8विद्या.	8विद्या.	8विद्या.

3........

विभाग का नाम- सामान्य शिक्षा - [illegible] (78) भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि जी.एन.-3

मद	इकाई	छठी योजना वर्ष 1980-85 लक्ष्य	छठी योजना वर्ष 1980-85 उपलब्धि	सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87 लक्ष्य	वर्ष 1986-87 अनुमानित उपलब्धि	वर्ष 1987-88 लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. ग्रामीण तथा नगर क्षेत्र में भवन रहित जू0 बे0 विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु अनुदान 60101001	सं0	25 विद्या.	15 विद्या.	40 विद्या.	3 विद्या.	3 विद्या.	3 विद्या.	3 विद्या.
2. असहायिक मान्यता प्राप्त अशासकीय सी0 बे0 स्कूलों को अनुरक्षण अनुदान 60101004	,,	10 विद्या.	6 विद्या.	15 विद्या.	पूर्व के दो विद्यालयों को वेतन वितरण	पूर्व के दो विद्यालयों को वेतन वितर		
3. ग्रामीण क्षेत्र में मिश्रित जू0 बे0 स्कूल खोलने हेतु अनुदान 60101006	,,	30 विद्या.	12 विद्या.	40 विद्या.	2 विद्या.	-	-	-
4. ग्रामीण तथा नगर क्षेत्र के सी0 बे0 स्कूलों को भवन निर्माण हेतु अनुदान 60101005	,,	17 विद्या.	13 विद्या.	20 विद्या.	1 विद्या.	1 विद्या.	1 विद्या.	1 विद्य
5. नगर क्षेत्र में बालक तथा बालिकाओं के जू0 बे0 स्कूल खोलने हेतु अनुदान 60101007	,,	5 विद्या.	1 विद्या.	5 विद्या.	-	-	-	-
6. जू0 बे0 स्कूलों में विज्ञान शिक्षण में सुधार एवं विज्ञान साज सज्जा हेतु अनुदान 60101008	,,	100 विद्या.	99 विद्या.	250 ,,	-	17 विद्या.	17 विद्या.	17

2......

विभाग का नाम: - खेलकूद विभाग: जनपद, झांसी । भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि जी. एन. -3

मद	इकाई	छठी योजना वर्ष 1980-85 लक्ष्य	छठी योजना वर्ष 1980-85 उपलब्धि	सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87 लक्ष्य	वर्ष 1986-87 अनुमानित उपलब्धि	वर्ष 1987-88 लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद केन्द्रों का विकास तथा शासकीय अर्द्धशासकीय स्कूलों में खेलकूद केन्द्रों की स्थापना ।	सं0	1	1	2	2	2	2	2
2. खेलकूद उपकरण की सम्पूर्ति	,,	-	-	-	-	-	-	-
3. विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन	,,	3	3	40	3	3	3	40
4. क्रीड़ा प्रतिष्ठानों का निर्माण								
§अ§ तरणताल का निर्माण		-	-	-	-	-	-	1
§ब§ क्रीड़ांगनों का विकास समतलीकरण		-	-	-	-	-	-	स्टेडियम के शेष भाग का समतलीकरण ।

विभाग का नाम :- प्राविधिक शिक्षा, झांसी ।

भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि

जी.एन.-3

मद	इकाई	छठी योजना वर्ष 1980-85 लक्ष्य	छठी योजना वर्ष 1980-85 उपलब्धि	सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87 लक्ष्य	वर्ष 1986-87 अनुमानित उपलब्धि	वर्ष 1987-88 लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. पालीटेकनिक का सुदृणीकरण								
1. डायवर्सीफाइड कार्यक्रमों का प्रारम्भकरना			-	-	-	-	-	एक पालीटेकनिक
2. इलेक्ट्रानिक अभियंत्रण हेतु एल.सी.ए/								
अ- सी.ई.आर.सी. व टी0वी0 लैवनिर्माण			-	-	-	-	-	एक 150 वर्गमीटर
ब- एल0वी0ए0 लैव व इलेक्ट्रानिक्स लैव			-	-	-	-	-	एक 150 ,,
स- डिजिटल इलै0 लैव एवं एन.एफटी. लैव			-	-	-	-	-	एक 150 ,,
द- इं.डी. लैव एवं इं.ड. कण्ट्रोल लैव			-	-	-	-	-	एक 150 ,,
य- क्लास रूम			-	-	-	-	-	दो 120 ,,
र- स्टाफ रूम			-	-	-	-	-	एक 30 ,,
ल- ड्राइंग हाल			-	-	-	-	-	एक 120 ,,
3. साज सज्जा का आधुनीकरण			-	-	-	-	-	-
4. पुस्तकालय सुदृणीकरण			-	-	-	-	-	-
5. विद्यार्थियों को सुविधा-वाटर कूलर करना §स0§			-	-	-	-	-	दो

विभाग का नाम:- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य जनपद झांसी।

भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि

जी.एन.-3

मद	इकाई	छठी योजना वर्ष 1980-85		सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87		वर्ष 1987-88 लक्ष्य
		लक्ष्य	उपलब्धि			लक्ष्य	अनुमानित उपलब्धि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. प्रा. स्वा. केन्द्रका भवन निर्माण	सं0	6	2	4	-	2	1	1
2. उप केन्द्रों का भवन निर्माण	,,	40	32	139	8	4	4	18
3. अति0 प्रा0स्वा0 केन्द्रों की स्थापना	,,	2	2	25	2	3	3	5
4. उच्चीकृत प्रा0स्वा0 केन्द्रों का रखरखाव एवं भवन निर्माण	,,	2	2	2	-	2	1	1
5. उच्चीकृत प्रा0स्वा0 केन्द्रों में जनरेटरों की व्यवस्था	,,	-	-	3	-	-	-	1
6. वीर गृह का निर्माण	,,	-	-	2	-	1	-	1
7. उच्चीकृत प्रा0स्वा0 केन्द्रों में चिकित्सीय विशिष्ट सुविधायें	,,	-	-	3	-	-	-	1
8. होम्योपैथिक औषधालय की स्थापना	,,	-	-	2	-	-	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों मे नये आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों की स्थापना	सं0	3	3	14	1	4	2	3
2. शहरी क्षेत्रों में 25 शैयायुक्त नये आयु0/यूनानी चिकित्सालयों की स्थापना	... ,,	1	–	–	–	1	1	1
3. वर्तमान आयु0/यूनानी चिकित्सा तथा नये औषधालय का प्रोन्नयन एवं उनकी स्थिति में सुधार	... ,,	–	14	14	–	15	15	17
4. राजयकीय आयु0/यूनानी चिकित्सालयों के भवनों तथा स्टाफ क्वार्टर्स का निर्माण	... ,,	1	–	–	–	1	–	1

विभाग का नाम:- ग्राम्य विकास विभाग, झांसी ।

भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि

जी.एन.-3

ग्रामीण पेयजल

मद	इकाई	छठी योजना वर्ष 1980-85 लक्ष्य	छठी योजना वर्ष 1980-85 उपलब्धि	सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87 लक्ष्य	वर्ष 1986-87 अनुमानित उपलब्धि	वर्ष 1987-88 लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ग्रामीण हरिजन पेयजल योजना	संख्या	91 26 है0प0	102 कूप 15 है0प0	13 कूप	100	-	-	16

विभाग का नाम: - जल निगम, झांसी ।

 भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि

पा. एन. -3

मद	इकाई	छठी योजना वर्ष 1980-85 लक्ष्य	छठी योजना वर्ष 1980-85 उपलब्धि	सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87 लक्ष्य	वर्ष 1986-87 अनुमानित उपलब्धि	वर्ष 1987-88 लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. हैण्डपम्प	ग्राम	--	382	204	235	88 नग हैण्डपम्प अस्थाई रूप से खराब हैण्डपम्प के स्थान पर ॥जिला योजना॥ 70 ग्राम-11 हैण्डपम्प ॥त्वरित कार्यक्रम॥ 151 ग्राम-536 हैण्डपम्प ॥तुरंत कार्यक्रम सेचुरेशन॥ 7 ग्राम 70 हैण्डपम्प ॥सूखा राहत॥		
2. पपइप	ग्राम	--	160	--	--	-	--	1 ग्राम

विभाग का नाम:- ग्राम्य विकास विभाग, झांसी

भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि

॥निर्बल वर्ग आवास॥

जी.एन.-3

मद	इकाई	छठी योजना वर्ष 1980-85		सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87		वर्ष 1987-88 लक्ष्य
		लक्ष्य	उपलब्धि			लक्ष्य	अनुमानित उपलब्धि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
निर्बल वर्ग आवास	संख्या	378	378	400	76	—	—	100

विभाग का नाम: - क्षेत्रीय सेवायोजन, झांसी ।

भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि

जी०एन. -3

मद	इकाई	छठी योजना वर्ष 1980-85 लक्ष्य	छठी योजना वर्ष 1980-85 उपलब्धि	सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87 लक्ष्य	वर्ष 1986-87 अनुमानित उपलब्धि	वर्ष 1987-88 लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
चालू योजना :-								
सेवायोजन कार्यालय का सुदृढ़ीकरण(भवन निर्माण)	भवनसंख्या	—	—	एक भवन निर्माण	—	भूखण्ड प्राप्त किया जाना	एक भवन भूमि अध्याप्ति प्रक्रिया प्रगति में है ।	भवन निर्माण
नई योजना :-								
झांसी स्थित कार्यालय क्षेत्रीय है इसमें जीप की व्यवस्था का प्राविधान प्रस्तावित है । जीप के अनुमान एवं ड्राइवर का 6 माह का वेतन एवं आकस्मिक व्यय पी०ओ०डब्लू० के आगणन संलग्न है ।				—	—	—	—	एक जीप

भौतिक लक्ष्य उपलब्धि

जी.एन.-3

विभाग का नाम:- प्रशिक्षण एवं सेवायोजन शिल्पकार प्रशिक्षण ।

मद	इकाई	छठी योजना वर्ष 1980-85		सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87		वर्ष 1987-88 लक्ष्य
		लक्ष्य	उपलब्धि			लक्ष्य	अनुमानित उपलब्धि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. चालू योजना :-								
वर्तमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के विस्तार एवं सुदृणीकरण							साज सज्जा की पूर्ति	
नई योजना								
वर्तमान औ० प्र० संस्थान एवं भवनों की बाउण्ड्री वाल का निर्माण							बाउण्ड्री वाल. क्षेत्र 1005 एम×2एम ×30एम =603 सौ एम	

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग :- झांसी ।

भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि

जी.एन.-3

मद	इकाई	छठी योजना वर्ष 1980-85 लक्ष्य	छठी योजना वर्ष 1980-85 उपलब्धि	सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87 लक्ष्य	वर्ष 1986-87 अनुमानित उपलब्धि	वर्ष 1987-88 लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
चालू योजनायें :-								
अ- अनु० जातियों का कल्याण								
1. शिक्षा :-								
1. छात्रवृत्ति पाठ्य पुस्तकीय तथा उपकरण हेतु अनावर्तक सहायता								
क- जूनियर हाई स्कूल स्तर 6-8								
1. निर्धनता के आधार पर	संख्या	-	1562	-	468	468	468	500
2. योग्यता के आधार पर	संख्या	-	-	-	208	208	208	225
ख- प्राइमरी स्तर 1-5								
1. निर्धनता के आधार पर	,,	-	-	-	437	500	500	550
2. योग्यता के आधार पर	,,	-	-	-	291	300	300	350
2. अनु० जातियों के छात्रों को लिये अपर चंटी कास्ट अनुदान	,,	-	333	-	83	200	200	225
3. दशम/दशमोत्तर कक्षाओं की अंतिम परीक्षा में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण छात्र को विशेष पुरस्कार	,,	-	101	-	12	12	12	15

2...

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग: -

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. चुक बैंक की स्थापना	संख्या	--	48	-	8	8	8	10
5. अनकलीन प्रोफेशन जैसे व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के विद्यार्थियों को पूर्व दशम कक्षाओं में छात्रवृत्ति	,,	--	-	-	70	-	-	-
6. विभाग द्वारा सहायता प्राप्त पाठशाला, पुस्तकालय एवं छात्रावासों को सुधार/विस्तार	,,	--	3	-	3	3	3	3
आर्थिक उत्थान :-								
7. कृषि बागवानी अनुदान	,,	--	116	-	-	16	16	16
8. कुटीर उद्योग अनुदान	,,	--	258	-	-	24	24	24
3. स्वास्थ्य/आवास संबंधी अन्य योजनायें :-								
1. गृह निर्माण	,,	--	410	-	-	200	200	200
अनु0 जनजातियों का कल्याण :-								
प्राइमरी स्तर 1-5								
1. निर्धनता के आधार पर	,,	--	--	-	-	75	75	80
2. योग्यता के आधार पर	,,	--	--	-	-	50	50	60
विमुक्त जातियों का कल्याण :-								
1. छात्रवृत्ति पाठ्य पुस्तकीय एवं उपकरण हेतु अनावर्तक सहायता ।								

3....

‡3‡

हरिजन एवं समाज कल्याण:-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
क- जू0 हाई स्कूल स्तर :								
1. निर्धनता के आधार पर	संख्या	-	15	-	13	13	18	20
2. योग्यता के आधार पर	संख्या	-	-	-	8	12	12	14
प्राइमरी स्तर 1-5								
1. निर्धनता के आधार पर	संख्या	-	-	-	25	57	37	40
2. योग्यता के आधार पर	,,	-	-	-	17	212	212	215
विमुक्त जातियों का आर्थिक उत्थान:								
1. कुटीर उद्योग अनुदान	,,	-	73	-	-	64	64	70
2. कृषि बागवानी अनुदान	,,	-	30	-	--	40	40	50
स्वास्थ्य आवास :-								
गृह निर्माण एवं ऋण अदायगी	,,	-	35	-	-	200	200	-
2. समाज कल्याण :-								
1. नेत्रहीन, बधिर तथा शारीरिक रूप से अक्षम विकलांगों को अनुदान	,,	-	246	-	246	270	270	280
2. शारीरिक रूप से अक्षम तथा हड्डी के रोग से ग्रस्त विद्यार्थियों को शिक्षा तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु अनुदान	,,	-	28	-	40	50	50	60

4.......

हरिजन एवं समाज कल्याण :-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के बच्चों को शैक्षिक तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु छात्र	संख्या	-	-	-	12	12	12	14
4. शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अंग, सामान खरीदने हेतु अनुदान	,,	-	-	-	15	20	20	22
आश्रम पद्धति विद्यालय कबूतरा जाति बाल कल्याण								
5. समन्वित बाल विकास परियोजना	,,	एक	एक	-	एक संस्था	एक संस्था	एक संस्था	एक संस्था
6. शहरी ग्रामीण क्षेत्र की मलिन मेहतर कालोनियों शिशुशालाओं को खोलना	,,	-	-	-	2 केन्द्र		2 केन्द्र	2 केन्द्र
7. निराश्रित विधवाओं को सहायता अनुदान	,,	-	275	-	1394		1500 विधवायें	1800
8. पुष्टाहार कार्यक्रम	,,	-	30792	-	100000		250000	220000

NIEPA DC
D03814

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B, Sri Aurobindo Marg, New Delhi-110016
DOC. No. ...3814...
Date ...16/6/87...